क्षतिकृत्यों का कानून

(THE LAW OF TORTS)

[नवीनतम अधिकृत निर्णयो से समन्वित सरल व्याख्या]

सेन्ट्रल ला एजेन्सी
यूनिवर्सिटी रोड
इलाहाबाद

प्रकाशक
सेंट्रल ला एजेंसी
यूनिवर्सिटी रोड
इलाहाबाद

मुद्रक —
श्रीकमल प्रेस
जीरो रोड,
इलाहाबाद

अनुक्रमणिका





१

सामान्य सिद्धान्त

(GENERAL PRINCIPLES)

प्रश्न १—'टार्ट' (क्षतिकृत्य) शब्द की परिभाषा लिखिए और उसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर परिभाषा—'टार्ट' शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'टार्टम' (Tortum) शब्द से हुई है। इस शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द (Wrong) है और हिन्दी पर्यायवाची शब्द 'क्षतिकृत्य' है। अंग्रेजी कानून के साहित्य में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नार्मन विधिशास्त्रियों ने किया। उनके मतानुसार इस शब्द का अर्थ उस कृत्य से है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति (Legal damage) पहुँचे और क्षतिकर्त्ता को उसकी क्षतिपूर्ति करना पड़े। समाजशास्त्र की बृहत ज्ञान संहिता (Encyclopaedia of Social Sciences) में कहा गया है कि टार्ट-सम्बन्धी दायित्व संविदा भंगीकरण (Breach of Contract) दायित्व से भिन्न ऐसा दायित्व है जो कानूनी सामान्य कर्त्तव्यों का पालन न करने के कारण आता है और जिसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। चैम्बर्स के शब्दकोष में 'टार्ट' शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है—'टार्ट, वह क्षतिपूर्ण या अनुचित कृत्य है जिसका उदय संविदा को भंग करने के कारण न हुआ हो और जिससे पहुँची क्षति को पूरा करने का एकमात्र उपाय क्षतिपूर्ति देना हो।"

प्रसिद्ध विधिशास्त्री डा० अण्डरहिल (Dr Underhill) ने 'टार्ट' की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'टार्ट' संविदा से पूर्णतया स्वतन्त्र एक ऐसा कृत्य है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार (Absolute right) को भंग करता है या किसी व्यक्ति के परिमित अधिकार (Qualified right) को भंग करके उसको हानि पहुँचाता है अथवा किसी सार्वजनिक अधिकार (Public right) की इस प्रकार अवहेलना करता है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष को आम व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक क्षति पहुँचती है और जिसके परिणामस्वरूप वह क्षतिकर्त्ता (Tort feasor, के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाने का अधिकारी हो जाता है।

उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की भूमि पर अनाधिकार प्रवेश (Trespass करे और कुछ समय तक उस पर आधिपत्य (Possession) रखने के

बाद बिना हानि पहुँचाये चालो कर दे तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसकी भूमि पर अनाधिकार प्रवेश किया गया उस व्यक्ति पर जिसने अनाधिकार प्रवेश किया टार्ट के कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का अधिकार है क्योंकि अनाधिकृत प्रवेशकर्ता (Trespasser) ने उसके इस कानूनी अधिकार को कि वह अपनी भूमि पर किसी को न आने दे, भंग किया।

स्मरण रहे कि 'टार्ट' की एक सुनिश्चित और व्यापक परिभाषा देना कठिन है। इसका कारण यह है कि इस विषय का कानून अभी विकास की परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और न कानून की इस शाखा का अभी संहिताकरण (Codification) ही हुआ है। इस विषय का समस्त कानून इंगलैंड के सर्वसाधारण कानून (Common Law) पर अवलम्बित है। भारत में भी अपनी टार्ट सम्बन्धी कोई विधायक अधिनियम (Legislative enactment) नहीं है। इसलिए भारत में भी कानून की इस शाखा के वे ही सिद्धान्त लागू किए जाते हैं जो इंगलैंड में प्रचलित हैं। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्यायालयों को अधिकार है कि वे अंग्रेजी कानून के ऐसे सिद्धान्तों की उपेक्षा कर सकते हैं जो भारतीय जीवन व रीति रिवाज आदि से मेल नहीं खाते [[illegible] प्रति रामसरन, ए० आई० आर० १९५५ इलाहाबाद ५९४]

तत्वों की व्याख्या—उपर्युक्त विवेचना से यह भलीभांति स्पष्ट है कि 'टार्ट' अथवा क्षतिकृत्य संविदा से पृथक तथा स्वतन्त्र ऐसा कृत्य है जो किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भंग करे अथवा अवहेलना कर हानि पहुँचाये और जिसके द्वारा पहुँची क्षति को पूरा करने का एक मात्र कानूनी उपाय क्षतिपूर्ति देना हो। अतएव उसमें निम्नलिखित तीन तत्वों का होना आवश्यक है—

(१) प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य का किया जाना जो किसी संविदा की शर्तों का भंग करने के कारण ही क्षतिपूर्ण न हो गया हो, अर्थात् ऐसा कृत्य किसी संविदा के अन्तर्गत न किया गया हो और प्रतिवादी को ऐसा कृत्य करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त न हो,

(२) ऐसे कृत्य से वादी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विधिक क्षति पहुँची हो, अर्थात् उसके किसी कानूनी अधिकार को भंग किया गया हो अथवा उसकी अवहेलना कर क्षति पहुँचायी गयी हो, एवं

(३) ऐसे कृत्य द्वारा पहुँची क्षति को पूरा करने का एक मात्र कानूनी उपाय क्षतिपूर्ति देना हो।

प्रश्न २—अन्तर स्पष्ट कीजिये—

(अ) क्षतिकृत्य (Tort) और संविदा भंगीकरण (Breach of Contract),

(ब) क्षतिकृत्य (Tort) और अपराध (Crime),

(स) क्षतिकृत्य (Tort) और न्यास भंगीकरण (Breach of trust)

उत्तर (अ) क्षतिकृत्य (Tort) और संविदा भंगीकरण (Breach of Contract) में अन्तर—क्षतिकृत्य और संविदा भंगीकरण अलग अलग कोटि के कृत्य हैं, जिनमें अन्तर निम्नलिखित है —

(१) क्षतिकृत्य के मामले में कोई व्यक्ति उन कर्त्तव्यों को भंग करता है जिन्हें कानून ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्धारित किया है, लेकिन संविदा भंगीकरण के मामले में वह उन कर्त्तव्यों का भंग करता है जिन्हें करने या न करने का उसने स्वयं वचन दिया है।

(२) क्षतिकृत्य जनसाधारण के प्रति कानूनी कर्त्तव्यों का उल्लंघन है लेकिन संविदा भंगीकरण में जिस कर्त्तव्य का उल्लंघन किया जाता है वह ऐसा कर्त्तव्य होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति विशेष के प्रति हो।

(३) क्षतिकृत्य के मामले में अक्सर अनिकर्त्ता के उद्देश्य पर विचार किया जाता है लेकिन संविदा भंगीकरण के मामले में संविदा की शर्तों को तोड़ने वाले व्यक्ति के उद्देश्य पर विचार नहीं किया जाता है।

(४) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में दी जाती है, लेकिन संविदा भंगीकरण के मामले में संविदा की शर्तों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति प्रतिपक्षी को उसकी हानिपूर्ति करने के लिए प्रतिकर (Compensation) के रूप में अधिकतर संविदा के अन्तर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति देता है।

(५) क्षतिपूर्ति की धनराशि का मापदण्ड क्षतिकृत्य एवं संविदा भंगीकरण के मामलों में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत निश्चित होता है। क्षतिकृत्यों के मामलों में क्षतिपूर्ति की धनराशि सदा पूर्वनिश्चित नहीं होती, जबकि संविदा भंगीकरण के मामलों में वह प्रायः पूर्वनिश्चित होती है।

स्मरण रहे कि यद्यपि क्षतिकृत्य और संविदा भंगीकरण विभिन्न कोटि के कृत्य हैं, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें एक ही कृत्य को क्षतिकृत्य और संविदा भंगीकरण के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई पिता अपने बीमार पुत्र की चिकित्सा के लिए किसी डाक्टर की नियुक्ति करता है और डॉक्टर के किसी अविवेकपूर्ण कृत्य से पुत्र को आघात पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में पिता डॉक्टर

के विरुद्ध संविदा के आधार पर मुकदमा चला सकता है और पुनः डाक्टर के अविवेकपूर्ण कृत्य से पहुँचे आघात की क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकृत्य के आधार पर मुकदमा चला सकता है। [ग्लैडवेल प्रति स्टयल, ८ एल० ज० सी० पी० ३६१]।

(ख) क्षतिकृत्य (Tort) और अपराध (Crime) में अन्तर—आधुनिक कानून के अन्तर्गत क्षतिकृत्य और अपराध में भारी अन्तर है जो निम्नलिखित है —

(१) क्षतिकृत्य सर्वसाधारण के प्रति कानूनी कर्तव्यों का उल्लंघन करने से उद्दीत होता है, लेकिन अपराध वह गैरकानूनी कृत्य है जो कानून द्वारा इस कारण वर्जित है कि वह समाज के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से घातक है।

(२) क्षतिकृत्य व्यक्ति विशेष के कानूनी अधिकारों को भंग करता है, लेकिन अपराध समस्त समाज के विपरीत गैरकानूनी व अनैतिक कृत्य है।

(३) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिकर्ता (Tort feasor) को क्षतिप्राप्त (Aggrieved) व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देकर मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अपराधी व्यक्ति को राज्य दण्डित करता है।

(४) क्षतिकृत्य का मुकदमा चलाना व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है लेकिन अपराधी को दण्ड देने के लिए उस पर मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व राज्य पर है।

(५) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिकर्ता से जो धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जाती है वह क्षतिप्राप्त व्यक्ति को मिलती है, लेकिन अपराध के मामले में अपराधी से अर्थदण्ड के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है वह राजकीय कोष में जाती है।

(६) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना न्यायप्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है लेकिन अपराध के मामले में न्यायप्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दण्ड देकर अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है।

स्मरण रहे कि जो कृत्य अपराध होता है वह अक्सर क्षतिकृत्य भी होता है। उदाहरणार्थ, आक्रमण, अनधिकार प्रवेश, गुप्तगामिता व मानहानि आदि इसी प्रकार के कृत्य हैं। इन कृत्यों का करनेवाला दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाकर दीवानी न्यायालय से क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की डिग्री प्राप्त की जा सकती है और फौजदारी न्यायालय से सजा दिलायी जा सकती है।

(ग) क्षतिकृत्य (Tort) और प्रन्यास भंगीकरण (Breach of Trust) में अन्तर—सामण्ड (Salmond) के मतानुसार क्षतिकृत्य और प्रन्यास भंगीकरण में अन्तर मात्र ऐतिहासिक है। क्षतिकृत्य कानून मूलतः अंग्रेजी सम-

साधारण कानून (English Common Law) का एक भाग है जिसका अधिक्षेत्र सर्वसाधारण न्यायालयों (Common Courts) को प्राप्त था। इसके विपरीत प्रन्यास भगोकरण का दायित्व निष्पेक्ष न्याय (Equitable justice) का विषय है जो केवल चान्सरी न्यायालयों (Chancery Courts) के अधिक्षेत्र में था। विनफील्ड (Winfield) ने क्षतिकृत्य और प्रन्यास भगोकरण में क्षतिपूर्ति के विषय में भी अन्तर किया है। उनके मतानुसार प्रन्यास भगोकरण के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर की धनराशि गबन हुई प्रन्यासगत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर होती है, लेकिन क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति की धनराशि को निश्चित करने के लिए ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है।

प्रश्न ३—क्या एक ही कृत्य क्षतिकृत्य, अपराध तथा संविदा भगीकरण तीनों हो सकता है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर व्याख्या—क्षतिकृत्य, अपराध तथा संविदा भगोकरण तीनों अलग अलग कोटि के कृत्य हैं। लेकिन ऐसा भी कृत्य हो सकता है जो एक साथ क्षतिकृत्य, अपराध तथा संविदा भगोकरण तीनों हो। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति एक मोटरकार खरीदता है और अपने नगर की नगरपालिका (Municipal Board) से यह संविदा करता है कि वह संविदा के अन्तर्गत निर्धारित गति से ही नगरपालिका के क्षेत्र में मोटरकार चलायगा। उस राज्य की दण्ड संहिता में यह प्रविधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति असावधानी और तीव्र गति से मोटरकार चलायेगा तो उसे दण्ड दिया जायगा। मान लीजिए कि वह व्यक्ति उक्त संविदा में निर्धारित गति की उपेक्षा कर असावधानी और तीव्र गति से नगरपालिका के क्षेत्र में मोटरकार चलाता है और किसी व्यक्ति को घायल कर देता है तो उसके इस एक कृत्य के लिए उस पर क्षतिकृत्य, अपराध और संविदा भगोकरण तीनों प्रकार का दायित्व आ जायगा। क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत वह घायल व्यक्ति उसके विरुद्ध दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा करेगा, राज्य की सरकार दण्ड-संहिता के प्रविधानों का उल्लंघन करने के अपराध में उसके ऊपर फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चलायगी और नगरपालिका उस पर इस बात का मुकदमा चलायगी कि उसने संविदा की शर्तों को तोड़ा है। इस प्रकार एक ही कृत्य में क्षतिकृत्य, अपराध और संविदा भगोकरण तीनों का समन्वय हो सकता है।

स्मरणीय बात यह है कि उपर्युक्त कृत्य को वैयक्तिक दृष्टिकोण से देखने पर दीवानी दायित्व और सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पर फौजदारी दायित्व उदित होता

है। सालमण्ड (Salmond) का कथन है कि दीवानी और फौजदारी दायित्व एक दूसरे के वैकल्पिक (Alternative) नहीं, बल्कि समवर्ती (Concurrent) हैं। इंगलैण्ड में कानून का यह रुख अवश्य है कि इस प्रकार के मामले में दोषी व्यक्ति पर उस समय तक दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उनके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में मुकदमा न चलाया जाय। लेकिन भारत में कानून का यह रुख नहीं है। यहाँ क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षतिकर्ता के विरुद्ध सीधा दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है और यह जरूरी नहीं है कि वह पहले फौजदारी न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाये। उदाहरणार्थ, नुकसानरसानी, मानहानि चोरी आदि के मामलों में फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाये बिना भारत में आमतौर पर दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाता है।

प्रश्न ४—अपकृत्य (Tort) के विभिन्न भेदों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।

उत्तर अपकृत्य के भेद—साधारणतः अपकृत्य दो प्रकार के होते हैं—(१) स्वतः अभियोज्य अपकृत्य (Torts actionable per se), अर्थात् ऐसे अपकृत्य जो स्वतः अभियोज्य (Actionable) हैं और जिनमें क्षति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती एवं (२) ऐसे अपकृत्य जो स्वतः अभियोज्य नहीं होते और जिनमें क्षति को प्रमाणित करना जरूरी होता है।

प्रथम प्रकार के अपकृत्य को समझने के लिए उदाहरणार्थ मान लीजिए कि आपका कोई मित्र उस निर्वाचन क्षेत्र से जिसके आप निवासी हैं और आपको मत देने का अधिकार है विधान सभा की सदस्यता के लिए खड़ा होता है। आप भी मतदान के लिए जाते हैं। लेकिन मतदान-अधिकारी आपको मत देने से रोक देता है। चुनाव का परिणाम घोषित होने पर आपको ज्ञात होता है कि आपका मित्र चुनाव में विजयी हुआ। ऐसी स्थिति में आपको मतदान अधिकारी द्वारा मत देने से रोक देने पर भी किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मत देना चाहते थे वह आपके मत के बिना भी विजयी हो गया। फिर भी आप मतदान-अधिकारी के विरुद्ध अपकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके मत देने के कानूनी अधिकार को भंग किया। इस प्रकार का अपकृत्य स्वतः अभियोज्य अपकृत्यों की कोटि में आयेगा।

दूसरे प्रकार के अपकृत्यों के लिए हम तभी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जब हम यह प्रमाणित कर सकें कि अमुक अपकृत्य से हमें वास्तव में क्षति पहुँची है।

मानहानिकारक वचन (Slander) इसी प्रकार का क्षतिकृत्य है, क्योंकि वचन द्वारा मानहानि करने वाले व्यक्ति पर हम तभी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जब हम यह प्रमाणित कर दें कि हमें उसके उस वचन से वास्तविक क्षति पहुँची है। इस कोटि में वास्तविक क्षति (Actual damage) का परिस्थिति में अभियोज्य क्षतिकृत्य रखे जायेंगे।

प्रश्न ५—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय में जो दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

उत्तर क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व का आधार—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय में बड़ा मतभेद है। इस मतभेद को दूर करने के लिए दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं —

प्रथम सिद्धान्त—यह सिद्धान्त सर फ्रेडरिक पोलाक (Sir Fredrick Pollock) का है। इस सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रकार की क्षति जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहुँचाता है और जिसके लिए कोई कानूनी बचाव नहीं है क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अन्तर्गत आती है। उदाहरणार्थ, यदि 'क' अपने पड़ोसी को कोई क्षति पहुँचाता है तो वह पड़ोसी 'क' के विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चला सकता है, चाहे उस क्षति को आक्रमण, छल मानहानि आदि कोई विशेष नाम दिया जाय अथवा कोई विशेष नाम दिया ही न जा सके। ऐसी स्थिति में यदि 'क' कोई कानूनी बचाव प्रमाणित नहीं करता तो उस पर क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व आ जायगा। इस सिद्धान्त के एक समर्थक लार्ड कामडन (Lord Camden) ने कहा है कि क्षतिकृत्य अनन्त हैं और उन्हें परिमित नहीं किया जा सकता। नए नए क्षतिकृत्यों का प्रादुर्भाव इस सिद्धान्त की विशेषता है।

द्वितीय सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार क्षतिकृत्यों की संख्या परिमित है और उनके अतिरिक्त अन्य किसी कृत्य के लिए क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व नहीं आता। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक सर जान सामण्ड (Sir John Salmond) और डाक्टर जेंक्स (Dr Jenks) हैं। इस सिद्धान्त के समर्थन में सर जॉन सालमण्ड (Sir John Salmond) ने ऐसे मामलों को उद्धृत किया है जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य हानिकारक तो हो किन्तु क्षतिपूर्ण न हो। ऐसे बिना क्षति के हानिकारक कृत्य (Damnum sine injuria) क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन बिना क्षति के हानिकारक कृत्यों के ये मामले जिन पर सालमण्ड (Salmond) का समर्थन निर्भर करता है इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करते।

बात यह है कि वास्तव में कानून कानूनी अधिकारों के अतिक्रमण को ही विधिक क्षति (Legal damage) मानता है। यह विधिक क्षति न तो वास्तविक क्षति (Actual damage) के अनुरूप है और न ही इसका तात्पर्य आर्थिक क्षति (Pecuniary damage) से होता है। कानूनी अधिकारों को किसी प्रकार भी भंग करने को क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत विधिक क्षति कहेंगे, चाहे उन अधिकारों के इस प्रकार भंग करने से वादी को नाराजी अथवा आर्थिक क्षति न पहुँची हो।

डॉक्टर जैंक्स (Dr Jenks) का मत है कि इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह नहीं है कि नए क्षतिकृत्यों का आविर्भाव हो ही नहीं सकता, बल्कि बात यह है कि नए क्षतिकृत्य मान्यता प्राप्त मूल क्षतिकृत्यों से ही उदित होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नए क्षतिकृत्यों का मूल इस सामान्य सिद्धान्त पर निर्भर नहीं करता कि हरेक अनियमित हानि क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अन्तर्गत आती है। डाक्टर जैंक्स (Dr Jenks) की यह दलील बलशाली अवश्य है किन्तु सभी मामलों में समयानुकूल प्रतीत नहीं होती। उदाहरणार्थ, पशु अनाधिकार प्रवेश (Cattle trespass) के क्षतिकृत्य का दायित्व जैसा कि आधुनिक व प्राचीन कानूनों में है उसमें कोई बुनियादी समानता नहीं दीखती। [रिलैण्डस प्रति फ्लचर, (१८६८) ३७ एल आर ३ एच एल ३३०] यह बात भी है कि कानून इतना शक्तिहीन प्रमाणित नहीं हुआ है कि नए दायित्व और नए कर्त्तव्यों का आविर्भाव न कर सके। [डानू प्रति स्टीवेन्सन, (१९३२) एस सी ५१६] विकास कानून का नियम है। कानून ज्यों-ज्यों विकसित हो रहा है क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के लिए सामान्य सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो रहे हैं।

प्रश्न ६—क्षतिपूर्ण कृत्य और हानिपूर्ण कृत्य में क्या अन्तर है? क्या न्याययुक्त प्रतियोग्यता ■ पहुँची हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा चल सकता है? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

उत्तर क्षतिपूर्ण (Wrongful) कृत्य और हानिपूर्ण (Harmful) कृत्य—सरसरी दृष्टि से देखने पर क्षतिपूर्ण कृत्य व हानिपूर्ण कृत्य एक ही प्रतीत होते हैं। लेकिन अमल में ऐसा नहीं है। क्षतिकृत्य कानून के संदर्भ में क्षतिपूर्ण कृत्यों से तात्पर्य उन कृत्यों से है जो हमारे कानूनी अधिकारों को भंग करते हैं, चाहे उन कृत्यों के परिणामस्वरूप हमें कोई हानि न पहुँची हो। इसके विपरीत कुछ कृत्य हानिपूर्ण तो होते हैं किन्तु कानून की दृष्टि से वे क्षतिपूर्ण नहीं होते। ऐसे कृत्य क्षतिकृत्य कानून में हानिपूर्ण कृत्य कहलाते हैं।

क्षतिपूर्ण कृत्यों के विषय में यह बात स्मरणीय है कि जब कोई क्षतिपूर्ण कृत्य किया जाय तब किसी को वास्तविक हानि पहुँचे ही, यह जरूरी नहीं है। इस कृत्य को

एकमात्र पहचान यह है कि उससे हमारे किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अनाधिकार प्रवेश बिना हानि पहुँचाये भी क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य है।

जब किसी कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को हानि तो पहुँची हो किन्तु उसका कोई कानूनी अधिकार भंग न हुआ हो तो हानि प्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होता। क्षतिकृत्य कानून में यह बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्य (Damnum sine injuria) का सिद्धान्त कहलाता है। इस सिद्धान्त के विपरीत एक और सिद्धान्त है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार भंग किया गया है और उसके द्वारा उसे कोई हानि नहीं पहुँची है तो भी वह अपने कानूनी अधिकार को भंग करने वाले के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। इस सिद्धान्त को 'बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्यों' (Injuria sine damno) का सिद्धान्त कहते हैं। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का दावा करनेवाले व्यक्ति को केवल इतना ही सिद्ध करना होता है कि उसके कानूनी अधिकार को भंग किया गया है और यह बात महत्वहीन है कि उस कानूनी अधिकार के भंग किए जाने से उसको वास्तव में हानि हुई है अथवा नहीं। [एशबी प्रति व्हाइट, २ लिड० रेयम० ६३८]

न्यायुक्त प्रतियोग्यता क्षतिपूर्ण कृत्य नहीं—न्याययुक्त प्रतियोग्यता को कानून में सन्वैध मान्यता दी जाती है। अतएव ऐसा प्रतियोग्यता (Competition) के परिणामस्वरूप किसी को हानि पहुँचे तो हानिकर्ता उस हानि को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात् उसके विरुद्ध उसके हानिपूर्ण कृत्य से पहुँची हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं चलता। एक प्रसिद्ध मामला इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। जलयान की कुछ प्रतिद्वन्दी कम्पनियों में यह प्रतियोग्यता हुई कि प्रतिपक्ष की कम्पनी को व्यवसाय से निकलने पर विवश किया जाय। एक पक्ष की चार कम्पनियों के स्वामियों ने यह घोषणा की कि प्रतिपक्षी की पाँचवीं कम्पनी के द्वारा माल न भेजकर यदि उनकी चार कम्पनियों के द्वारा माल भेजा जायगा तो विशेष छूट दी जायगी। इस पर पाँचवी जलयान कम्पनी को व्यापार में हानि हुई और उसने प्रतिद्वन्दी कम्पनियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मामले में निर्णय हुआ कि व्यापारिक प्रतियोग्यता द्वारा पहुँची हानि अभियोज्य (Actionable) नहीं है, क्योंकि उससे वादी कम्पनी का कोई कानूनी अधिकार भंग नहीं हुआ। [मोगुल स्टीम शिप कम्पनी प्रति एम० ग्रजर, १८६२ ए० सी० २५]

प्रश्न ७—"जिस प्रकार ऐसे मामले हैं जिनमें क्षति क्षतिकृत्य के

रूप में अभियोज्य नहीं होती उसी प्रकार ऐसे मामले भी हैं जिनमें किया गया कृत्य बिना क्षति पहुँचाये भी क्षतिकृत्य के रूप में अभियोज्य होता है।" (सालमण्ड)

उपर्युक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर व्याख्या—कृपया प्रश्न ४ का उत्तर देखिए और निम्नलिखित का अतिरिक्त अध्ययन कीजिए।

क्षतिकृत्य कानून का यह सामान्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह आदेश देता है कि यदि किसी व्यक्ति के कृत्य से किसी अन्य व्यक्ति का कोई कानूनी अधिकार भंग होता है तो वह विधिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, चाहे उसके कृत्य से दूसरे व्यक्ति को कोई वास्तविक क्षति न पहुँची हो। सामण्ड (Salmond) ने इस उद्देश्य की व्याख्या करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार कुछ मामलों में किसी कृत्य से किसी को हानि पहुँचती है तो भी हानि पहुँचाने वाले के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसी प्रकार कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की कोई हानि न होते हुए भी क्षतिपूर्ति देय हो जाती है। ऐसे मामले जिनमें किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने पर फिर भी क्षतिपूर्ति देय होती है, स्वतः अभियोज्य क्षतिकृत्य (Tort actionable per se) होते हैं। उदाहरणार्थ, एक अधिकोषक (Banker) ने एक व्यक्ति को चेक का रुपया देने से अकारण इन्कार कर दिया जबकि बैंक में उसका पर्याप्त रुपया जमा था। रुपया न मिलने से उस व्यक्ति को कोई क्षति तो नहीं पहुँची किन्तु उसके द्वारा चलाए गए मुकदमे में न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि वादी को कानूनी अधिकार था कि अपने चेक का रुपया जब चाहे तब बैंक से प्राप्त कर ले और चूँकि प्रतिवादी ने उसके इस कानूनी अधिकार को भंग किया है इसलिए वह वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है। [मारजेटी प्रति विलियम्स]

ऐसे कृत्य जिनके परिणामस्वरूप पहुँची क्षति क्षतिकृत्य के रूप में अभियोज्य नहीं होती क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं होते। इस सम्बन्ध में ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल (Gloucester Grammar School) का मामला उदाहरणार्थ उल्लेखनीय है। बच्चों की एक पाठशाला के समीप प्रतिवादी ने एक नवीन पाठशाला खोली। जिसके परिणामस्वरूप पुरानी पाठशाला के अधिकांश विद्यार्थी नवीन पाठशाला में दाखिल हो गए और पुरानी पाठशाला के स्वामी को भारी हानि पहुँची। इस

मामले में निर्णय दिया गया कि न्याययुक्त प्रतियोग्यता (Fair Competition) के द्वारा विपक्षी को चाहे कितनी भी हानि क्यों न पहुंचे पर वह मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न ८—'कानूनी अधिकार' और 'कानूनी क्षति' से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में निम्नलिखित सिद्धान्तों का निरूपण कीजिए —

(अ) बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्य (Injuria sine damno, एवं
(ब) बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्य (Damnum sine injuria)।

उत्तर कानूनी अधिकार—कानूनी अधिकारों की विशद व्याख्या विधिशास्त्र (Jurisprudence) का विषय है। लेकिन क्षतिकृत्य कानून के अध्ययन के लिए भी कानूनी अधिकारों की आकृति को समझ लेना नितान्त आवश्यक है। विधिशास्त्रियों ने कानूनी अधिकार की जो परिभाषाएँ दी हैं वे लगभग सभी अपूर्ण हैं। सालमण्ड (Salmond) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक ऐसा स्वार्थ (Interest) है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिसे कानून रक्षित करता है। पेटन (Paton) के मतानुसार कानूनी अधिकार कानून द्वारा स्वीकृत ऐसा कृत्य है जो कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित मान (Standard) के अनुसार हो। हालैण्ड (Holland) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कानूनी अधिकार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के कृत्यों को समाज के मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता को कहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के चिन्तन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कानूनी अधिकार समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने से सम्बन्धित ऐसी माँगें हैं जो कानून द्वारा समाज हित की भावना से स्वीकृत कर ली गयी है। ऐसी माँगें या अधिकार अनगिनती हैं। उनका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक वर्ग के अन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकार (Personal rights) आते हैं और दूसरे वर्ग में सार्वजनिक अधिकार (Public rights) हैं। व्यक्तिगत अधिकार ही क्षतिकृत्य कानून के लिए सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ये निम्नलिखित तीन विभागों में विभाजित किए गए हैं —

(१) शारीरिक सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता का अधिकार (Right of bodily security and freedom),

(२) सम्पत्ति का अधिकार (Right of property), एवं

(३) प्रतिष्ठा का अधिकार (Right of reputation)।

कानूनी क्षति—कानूनी अधिकारों के भंगीकरण को कानूनी क्षति कहते हैं। यह न तो वास्तविक क्षति (Actual damage) के अनुरूप है और न ही इसका तात्पर्य आर्थिक क्षति (Pecuniary loss) से होता है। वादी के कानूनी अधिकारों को किसी प्रकार भी भंग करने को क्षतिकृत्य कानून में कानूनी क्षति कहेंगे, चाहे उन अधिकारों के इस प्रकार भंग किए जाने से वादी को कोई शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति न पहुँचा हो। यदि वादी यह सिद्ध कर दे कि उसके किसी कानूनी अधिकार को भंग किया गया है तो कानून विधिक क्षति का अनुमान कर लेगा।

कानूनी क्षति के सम्बन्ध में 'बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्य' (Injuria sine damno) और 'बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria) के सिद्धान्तों का विश्लेषण श्रेयस्कर होगा जो निम्नलिखित है —

(अ) 'बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्य' (Injuria sine damno)—इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यक्ति जिसका कोई पूर्ण कानूनी अधिकार (Absolute legal right) भंग किया गया हो और उसके द्वारा भले ही उसे क्षति न पहुँचा हो, फिर भी वह क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। कानून व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकारों को व्यक्ति और समाज के हित में विशेष रूप से आवश्यक मानता है। अत: ऐसे अधिकारों का भंगीकरण स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) है और ऐसे मामलों में वादी को केवल इतना ही सिद्ध करना होता है कि उसके इस प्रकार के किसी कानूनी अधिकार को भंग किया गया है तथा यह बात महत्वहीन है कि उसे कोई वास्तविक या आर्थिक क्षति पहुँची है अथवा नहीं। अनाधिकार प्रवेश, मानहानि आदि इसी प्रकार के स्वतः अभियोज्य क्षतिकृत्यों के उदाहरण हैं।

(ब) बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria)—इस सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य द्वारा हानि भी पहुँची हो किन्तु उसका कोई कानूनी अधिकार भंग न हुआ हो तो उसे क्षतिपूर्ति पाने के लिए दावा करने का अधिकार नहीं है। व्यापारिक प्रतियोगिता के मामले इसके उदाहरण हैं। कानून उपयोगिता के हित में ऐसे कृत्यों को क्षतिकृत्य नहीं मानता। अतएव क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत ऐसे मामले अभियोज्य नहीं हैं।

दोनों सिद्धान्तों में अन्तर—संक्षेप में उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों में अन्तर निम्नलिखित है —

बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्य (Injuria sine damno)	बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्य (Damnun sine injuria)
१ कानूनी अधिकार का भंगीकरण, चाहे हानि अथवा क्षति पहुँची हो या नही।	हानि अथवा क्षति का पहुँचना, किन्तु कानूनी अधिकार भंग न हुआ हो।
२ स्वतः अभियोज्य।	अभियोज्य नही।
३ केवल कानूनी अधिकार का भंगीकरण सिद्ध करना अनिवार्य।	कानूनी अधिकार के भंगीकरण के बिना वास्तविक हानि का सिद्ध करना निरर्थक।
४ ऐसे कानूनी अपकृत्या की कल्पना जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।	ऐसे नैतिक उपकृत्यो की कल्पना जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध नही हैं।
५ कानूनी अधिकारों का विषय।	नैतिक अधिकारों का विषय।

प्रश्न ६—'प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं।"—(Ubi jus ibi remedium)

उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कानूनी उपायों (Legal remedies) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर स्पष्टीकरण —विधिशास्त्रियों का कथन है कि प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ-साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। उनके इस कथन ने 'जहाँ कहीं क्षतिपूर्ण कृत्य है वहाँ उसका उपाय भी है' (Ubi jus ibi remedium) की कहावत का रूप ले लिया है। क्षतिकृत्य कानून की लगभग सभी सामग्री इसी कहावत का विकसित रूप है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री श्री रतनलाल धीरजलाल ने अपनी क्षतिकृत्य कानून सम्बन्धी पुस्तक में यथार्थ ही कहा है कि जहाँ कानूनी उपाय प्राप्त नहीं हैं वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि कोई कानूनी क्षति भी नहीं हुई है। क्योंकि कानून में कोई अधिकार बिना उपाय के नहीं है और यदि किसी अधिकार के भंग किये जाने पर कोई भी उपाय उपलब्ध न हो तो समझ लेना चाहिये कि कानून की दृष्टि से वह अधिकार है ही नहीं।

कानूनी उपाय (Legal remedies)—यद्यपि यह सच है कि सभी क्षतिकृत्य दीवानी क्षति (Civil injuries) है पर सभी दीवानी कार्यवाही क्षति-कृत्य कानून के अन्तर्गत अनिवार्यत नहीं आएगी। बात यह है कि जब तक किसी

मुकदमें में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रश्न न हो तब तक वह क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत नहीं आता। अक्सर ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि वादी क्षतिपूर्ति पाने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के साथ साथ दूसरे कानूनी उपायों (Legal remedies) के लिए भी कार्यवाही करता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति असावधानी से मोटर चलाकर किसी की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाये और साथ-साथ उस व्यक्ति को शारीरिक चोट भी पहुँचाये तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को क्षतिकर्ता के विरुद्ध न केवल क्षतिपूर्ति का दावा करने का कानूनी उपाय ही उपलब्ध होगा, बल्कि वह फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए भी राज्य को बाध्य कर सकता है।

प्रश्न १०—द्वेष (Malice), सङ्कल्प (Intention) और मन्तव्य (Motive) की व्याख्या करते हुए क्षतिकृत्य सम्बन्धी मामलों में इनकी सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर द्वेष (Malice)—आमतौर पर द्वेष (Malice) शब्द से 'ईर्ष्या' अथवा 'बैर' का भाव प्रकट होता है। लेकिन कानून में यह शब्द दो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य ऐसे हानिपूर्ण कृत्य से है जिसे करने का कोई औचित्य (Justification) न हो तथा दूसरे अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य ऐसे हानिपूर्ण कृत्य से है जो किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया हो। इस प्रकार इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो जानबूझ कर किया गया ऐसा हानिपूर्ण कृत्य जिसमें ईर्ष्या या बैर के तत्व विद्यमान हों और दूसरा यह कि ऐसा हानिपूर्ण कृत्य जिसमें ईर्ष्या या बैर की कोई भावना न हो पर वह इस प्रकार के उद्देश्य से किया जाय जिसको कानून अनुचित समझता हो। उदाहरणार्थ, यदि 'क' किसी के जानवर को जानबूझ कर जहर दे दे तो यह कहा जायगा कि उसका यह हानिपूर्ण कृत्य द्वेषपूर्ण (Malicious) है। [ब्रामवेल प्रति वायु, (१८२५) ४ बी० एण्ड सी० २४७]।

द्वेष के उपरोक्त कानूनी अर्थों के आधार पर विधिशास्त्रियों ने उसके दो भेद कर दिये हैं जो निम्नांकित हैं —

(१) वास्तविक द्वेष (Malice in fact)—साधारण बोलचाल में हम द्वेष शब्द से ईर्ष्या या बैर भावना का जो तात्पर्य समझते हैं वह वास्तविक द्वेष (Malice in fact) है। यह वास्तविक द्वेष केवल निम्नलिखित क्षतिकृत्यों में ही उसका सुसंगत तत्व (Relevant element) माना जाता है—

(अ) द्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious prosecution),

(ब) हानिकारक मिथ्यावाद (Injurious falsehood),

(स) षड्यन्त्र (Conspiracy), एवं

(द) किसी विशेष अधिकारयुक्त अवसर पर मानहानि (Defamation on a privileged occasion)।

यह बात स्मरणीय है कि एक ऐसा कृत्य जो अन्यथा कानूनी दृष्टि से उचित है वह केवल इस कारण गैरकानूनी नहीं हो जाता कि उसको द्वेष अथवा डाह (Ill will) से प्रेरित होकर किया गया है। इसी आधार पर यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि द्वेष क्षतिकृत्य के लिए एक असंगत (Irrelevant) तत्त्व है। एक अंग्रेजी प्रमुख मामले में इस विषय की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यदि सामान्यतः किसी व्यक्ति का कोई कृत्य क्षतिकृत्य नहीं है तो वह कृत्य इस कारण क्षतिकृत्य नहीं बन जाता कि उसके करने वाले ने उसे द्वेष से प्रेरित होकर किया है। [ब्रेडफोर्ड मेयर प्रति पिकिल्स, (१८९५) ए० सी० ५८७]

उपर्युक्त विवेचना से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत स्वतः द्वेष (Malice per se) से प्रेरित होकर किया गया कोई कानूनी कृत्य गैरकानूनी नहीं हो जाता, चाहे उससे वादी को हानि ही पहुँची हो।

(२) विधिक द्वेष (Legal malice)—विधिक द्वेष का अर्थ वास्तविक द्वेष के अर्थ से सर्वथा विपरीत है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को भंग कर उसको क्षति पहुँचाता है तो क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिकर्ता का वह कृत्य द्वेषपूर्ण समझा जाता है, चाहे उसने वह कृत्य क्षति पहुँचाने की नीयत से न किया हो या उसे उसके कृत्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचेगी इसका पूर्वज्ञान न हो। अण्डरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति की भलाई के उद्देश्य से भी ऐसा कृत्य किया है जिससे उस दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँच जाती है तो कानून की दृष्टि में ऐसा कृत्य द्वेषपूर्ण ही कहलाएगा। उदाहरणार्थ, यदि 'क' बिना किसी औचित्य के 'ख' को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वह 'ग' से अपनी कोई संविदा तोड़ दे और इसके परिणाम स्वरूप 'ग' को क्षति पहुँचे तब यह कहा जायगा कि 'क' का कृत्य 'ग' के प्रति क्षतिकृत्य है और 'क' यह दलील देकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जायगा कि उसने जो कुछ किया वह सद्भावना से प्रेरित होकर किया था यह कि उसकी नीयत 'ग' को क्षति पहुँचाने की नहीं थी।

संकल्प (Intention)—सालमण्ड (Salmond) के मतानुसार जिस इरादे से कोई कृत्य किया जाय उस इरादे का संकल्प (Intention) कहते हैं।

इरादे का पूर्वज्ञान और उसको कृत्य द्वारा कार्यान्वित करने की आकांक्षा संकल्प के आवश्यक तत्व हैं।

यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि कोई कृत्य पूर्णतया संकल्पहीन (Unintentional) भी हो सकता है अथवा पूर्णरूपेण संकल्पपूर्ण (Intentional) भी हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा कृत्य भी हो सकता है जिसका कुछ भाग संकल्पहीन हो तथा कुछ भाग संकल्पपूर्ण हो।

विधिशास्त्र का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किये हुए कृत्य के स्वाभाविक परिणाम का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को भगाने के लिए उस पर गोली चलाए और कुत्ता गोली से मर जाय तो कानून यह कभी नहीं मानेगा कि गोली चलाने वाले व्यक्ति का संकल्प कुत्ते की हत्या करने का नहीं था। अतएव किसी कृत्य को संकल्पहीन तभी कहा जायगा जब कर्त्ता को उस कृत्य के स्वाभाविक परिणाम का पूर्वज्ञान न हो। इस विषय में एक अंग्रेजी मुकदमे की घटनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो निम्न प्रकार हैं —

प्रतिवादी ने वादी को जो एक सम्भ्रान्त महिला थी यह झूठी सूचना दी कि उसका पति जो विदेश में था बुरी तरह घायल हो गया है और उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इस सूचना से वादी को स्नायुविक ठेस (Nervous Shock) पहुँची और कई दिन तक उसके प्राण भी संकट में पड़ गए। प्रतिवादी द्वारा दी गई सूचना के झूठी होने की बात ज्ञात होने पर वादी ने प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। प्रतिवादी ने अपने बचाव में यह दलील दी कि उसका इरादा वादी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने का नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले का निर्णय देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जब कोई कृत्य करता है तो उसके स्वाभाविक परिणाम का पूर्वज्ञान रखता है। इस मामले में प्रतिवादी ने जानबूझ कर ऐसा कृत्य किया है जिससे कि वादी को शारीरिक क्षति पहुँची है और इस प्रकार उसके वैयक्तिक सुरक्षा (Personal Safety) के कानूनी अधिकार को भंग किया गया है। अतएव प्रतिवादी के कृत्य से वादी को विधिक हानि पहुँची है जिसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व प्रतिवादी पर है चाहे ही वह प्रतिवादी के प्रति किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण संकल्प न रखता हो। [विल्किन्स प्रति डाउनटन, (१८९७) २ क्यू० बी० ५७]

मन्तव्य (Motive)—यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि कोई भी स्वेच्छा से किया गया कृत्य बिना मन्तव्य (Motive) के नहीं हो सकता। लेकिन बैन्थम (Bentham) के मतानुसार उस कृत्य से प्राप्त फल को उस के किये जाने का मन्तव्य नहीं समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार साधारण बोलचाल में मन्तव्य (Motive)

और सङ्कल्प (Intention) एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, पर कानून की दृष्टि में इन दोनों में अन्तर है। विधिशास्त्रियों का मत है कि मन्तव्य दूरस्थ (Ulterior) सङ्कल्प है। पेटन (Paton) इस प्रकार के भेद से सहमत नहीं हैं।

क्षतिकृत्य कानून में मन्तव्य पर विचार किया जाना महत्वहीन समझा जाता है, क्योंकि इस कानून के अन्तर्गत केवल यह तथ्य विशेष रूप से विचारणीय होता है कि जो कृत्य किया गया है, वह कानून की दृष्टि से अधिकृत है अथवा नहीं। अतएव किसी कृत्य के किये जाने का मन्तव्य कितना ही भला क्यों न हो, किन्तु यदि वह कृत्य किसी कानून के विपरीत किया गया है तो क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उससे जो क्षति पहुँचेगी, उसके लिए सन्तकर्ता (Tort feasor) क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ अनाज भूल जाय और उस अनाज की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति उसे खलिहान में रखवा दे तो भी वह किसान उस व्यक्ति के विरुद्ध अपने खेत में अनधिकार प्रवेश (Trespass) और अपने अनाज के प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप (Unauthorised interference) के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है।

प्रश्न ११—क्या किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना (Malfeasance) किसी कृत्य का गैरकानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी कृत्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्त्तव्य की अवहेलना करना (Non feasance) क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत एक समान ही अभियोज्य (Actionable) हैं? अपने उत्तर की अधिकृत निर्णयों से पुष्टि कीजिए।

उत्तर—विवेचना—किसी गैर कानूनी कृत्य का किया जाना (Malfeasance), किसी कृत्य का गैर कानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी कृत्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्त्तव्य की अवहेलना करना (Non feasance) क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत एक समान ही अभियोज्य (Actionable) नहीं हैं। किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना क्षतिकृत्य कानून में स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) है और इस मामले में किसी प्रकार की असावधानी (Negligence) तथा द्वेष इत्यादि को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी कृत्य के करने अथवा न करने के सिवाय कर्त्तव्य की अवहेलना करने से कर्त्ता पर कानूनी रूप से कोई दायित्व नहीं आता, लेकिन किसी कृत्य के गैर कानूनी ढंग से किए जाने पर कर्त्ता क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। [एलमी प्रति गुटवारड (१९०३), ५ टी० आर०] । यदि किसी कृत्य को करने के कर्त्ता पर कानूनी दायित्व]

है और वह उस कानूनी ढंग से न करके किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाता है तो क्षति-पूर्ति के लिए उसका कृत्य उसी प्रकार अभियोज्य है, जिस प्रकार किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य होता है। [वैसो प्रति मैट्रोपालिटन रलवे कम्पनी (१८६५), क्यू० बी० ६४४]

प्रश्न १२—उन व्यक्तियों का वर्णन कीजिए जो क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत (अ) दावा करने के लिए अयोग्य समझे जाते हैं, तथा (ब) जिनके विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता।

उत्तर—टिप्पणी—क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा करने और किये जाने की व्यक्तिगत योग्यताओं और अयोग्यताओं के आधार पर समाज को तीन विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—पहले वर्ग में वे व्यक्ति हैं जिनको क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्राप्त है और जिनके विरुद्ध भी दावा किया जा सकता है। दूसरे वर्ग में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो व्यक्तिगत अयोग्यताओं के कारण क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा करने की कानूनी क्षमता (Legal Competence) नहीं रखते। तीसरे वर्ग में वे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा नहीं किया जा सकता।

(अ) दावा करने के लिए अयोग्य व्यक्ति—निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अयोग्यताओं के कारण क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा करने की कानूनी क्षमता नहीं रखते —

(१) विदेशी शत्रु (Alien enemy)—यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि विदेशी शत्रु क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अधिकार के रूप में दावा करने का हक नहीं रखता लेकिन भारत की दीवानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ८३ के अन्तर्गत विदेशी शत्रु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद दावा कर सकता है।

(२) दण्ड प्राप्त अपराधी (Convict)—एक दण्ड प्राप्त अपराधी अपनी सम्पत्ति के प्रति किये गये क्षतिपूर्ण कृत्य के लिए दावा नहीं कर सकता, परन्तु यदि वह क्षतिपूर्ण कृत्य उसकी सम्पत्ति के प्रति न होकर उस व्यक्ति (Person) के ही प्रति हो तो वह क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी है। श्री रतनलाल धीरजलाल के मतानुसार भारत में सन् १८२१ ई० तक यह नियम था कि कुछ अपराधों के करने पर दण्ड प्राप्त अपराधी की सम्पत्ति हस्तगत कर ली जाती थी, किन्तु अब यह नियम समाप्त हो गया है। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा १२१, १२६ और १६९ के प्राविधानों को छोड़ कर अब सम्पत्ति हस्तगत करने का नियम

नहीं है। परन्तु उक्त अपवादों को छोड़कर दण्ड प्राप्त अपराधी भी भारत में क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अपने शरीर और सम्पत्ति दोनों के विरुद्ध किये गये क्षतिपूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

(३) पति और पत्नी (Husband and wife)—क्षतिकृत्य कानून में न तो पति अपनी पत्नी के विरुद्ध और न पत्नी अपने पति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि कानून की दृष्टि में पति पत्नी एक इकाई (One Unit) माने जाते हैं। लेकिन विवाह विच्छेद हो जाने पर पत्नी अपने पति के विरुद्ध उन क्षतिपूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकती है जिनको कि पति ने उस समय किया था जबकि उनके वैवाहिक सम्बन्ध टूटे नहीं थे। भारतीय विधिशास्त्री भी आवलाल के मतानुसार भारत में पति-पत्नी के कानूनी एक्य (Legal identity) की बात लागू न होने के कारण वे एक दूसरे के विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं।

(४) निगम (Corporation)—कानून की दृष्टि में निगम व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित संघ है जिसके कर्त्तव्य और अधिकार उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्त्तव्यों और अधिकारों से भिन्न होते हैं जिनसे मिल कर निगम बनता है। क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत निगम वैयक्तिक क्षति (Personal wrongs) के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता, किन्तु ऐसे मानहानिकारक लेख (Libel) के लिए जिसके द्वारा निगम की सम्पत्ति को क्षति पहुँची हो अथवा उसको व्यावसायिक हानि हुई हो तो वह क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। [मैनचेस्टर का मेयर प्रति विलियम्स (१८६१), १ एल० बी० ६४]

(५) गर्भस्थ बालक (Child in womb)—माता के गर्भ के भीतर का बालक जन्म होने के पश्चात् उस क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता जो उसे उस समय पहुँची जबकि वह माता के गर्भ में था। [वाकर प्रति ग्रेट नादर्न रेलवे, (१८६०), एल० आर० आयरिश ६६]

(६) दिवालिया (Insolvent)—दिवालिया व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के प्रति किये गये क्षतिपूर्ण कार्य के लिए क्षतिकर्त्ता पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता, किन्तु वैयक्तिक क्षति (Personal wrong) की दशा में उसे पूर्ण अधिकार है कि वह क्षतिकर्त्ता पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाये।

(ब) व्यक्ति जिन पर दावा नहीं चलता—निम्नलिखित व्यक्ति क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा किये जाने से उन्मुक्त (Immune) समझे जाते हैं —

(१) सम्राट (Crown)—अंग्रेजी कहावत है कि सम्राट से किसी का क्षति

नहीं पहुँच सकती (King can do no wrong) अतएव संवैधानिक कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सम्राट अथवा राज्याध्यक्ष (Head of the Govrnment) अक्सर कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्त समझे जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्राय राज्याध्यक्ष मन्त्रिमण्डल (Cabinet) की सलाह पर कार्य करता है और जो भी आज्ञाएँ अथवा आदेश दिए जाते हैं, उन पर केवल सरकार के प्रतीक के रूप में उनका नाम होता है।

(२) विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष (Foreign Sovereigns)—साधारणतया विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष पर अतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह स्वयं ही अपनी उन्मुक्ति (Immunity) का स्वेच्छा से परित्याग कर दे तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कानूनी उन्मुक्ति विदेशी सत्ताधारियों के अतिरिक्त राजदूतों को भी प्राप्त है।

भारतीय संविधान की धारा १६१ के अनुसार भारत के राष्ट्रपति (President of India), राज्यों के राज्यपाल (Governors of the States), तथा राजप्रमुखों पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

एक बात जो इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्मरणीय है वह यह है कि किसी भी देश के राज्याध्यक्ष चाहे वे किसी छोटे देश के हों अथवा बड़े देश के, सदा एक समान ही माने जाते हैं, अर्थात् देश के छोटे बड़े होने के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाता।

(3) राजदूत (Ambassador)—विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्षों की भाँति ही राजदूतों को भी कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त है तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी कई तरह की दीवानी तथा फौजदारी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः उन पर अतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वे स्वयं इन उन्मुक्तियों का परित्याग न कर दें।

(४) राजकीय कर्मचारी (Public or State officials)—यदि कोई राजकीय कर्मचारी सरकारी नौकर की हैसियत से कोई ऐसा कृत्य करे जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे तो वह उस कृत्य के लिए अतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं माना जायगा। लेकिन यदि उसने ऐसा कृत्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी ध्यान रखिए कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधीन कर्मचारियों के कार्यों के प्रति उस दशा में उत्तरदायी नहीं है जबकि उसने उनको कथित कार्यों के करने का स्वयं आदेश न दिया हो। [मर्सी डाक्स ट्रस्टीज बनाम गिब्स (१८६६), एल० आर० आयरिश० एच० एल० ६३]

(५) निगम (Corporation)—क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत निगम पर क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह कृत्य जिससे क्षति पहुँची, निगम के अभिकर्ता (Agent) अथवा कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं, वरन् निगम के अभिकर्ता अथवा कर्मचारी की हैसियत में निगम के हित में किया है।

(६) श्रमिक संघ (Trade union)—भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के विरुद्ध संघ के रजिस्टर्ड नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कर्मचारी केवल कुछ विशिष्ट क्षतिकृत्यों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल व्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामान्य नियम है कि पागल व्यक्ति क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उन कृत्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिनके प्रति वह फौजदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यही बात मदान्ध (Drunk) व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन यह बात बचाव के लिए तब तक पर्याप्त नहीं होगी जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उस व्यक्ति ने मद्यपान अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों पर क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस क्षतिपूर्ण कृत्य में पूर्वज्ञान या द्वेष आवश्यक तत्व हों, वहाँ शिशु या अल्पवयस्क होना एक अच्छा बचाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—इंगलैण्ड के सार्वजनिक कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर अकेले मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके पति को भी प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित न कर लिया जाय, किन्तु सन् १८८२ ई० के विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अकेले भी मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अकेले भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह अधिनियम हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन और सिक्ख स्त्रियों पर लागू नहीं होता। विवाहित स्त्रियाँ एवं क्षतिकर्ता अधिनियम, १९३५ (Married Women and Tort feasors Act, 1935) के अन्तर्गत स्त्रियों द्वारा किए गये क्षतिकृत्यों के लिए उनके पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

नहीं पहुँच सकती (King can do no wrong) अतएव संवैधानिक कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सम्राट अथवा राज्याध्यक्ष (Head of the Govrnment) अक्सर कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्त समझे जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रायः राज्याध्यक्ष मंत्रिमण्डल (Cabinet) की सलाह पर कार्य करता है और जो भी आज्ञाएँ अथवा आदेश दिये जाते हैं, उन पर केवल सरकार के प्रतीक के रूप में उसका नाम होता है।

(२) विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष (Foreign Sovereigns)—साधारणतया विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष पर क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह स्वयं ही अपनी उन्मुक्ति (Immunity) का स्वेच्छा से परित्याग कर दे तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कानूनी उन्मुक्ति विदेशी सत्ताधारियों के अतिरिक्त राजदूतों को भी प्राप्त है।

भारतीय संविधान की धारा ३६१ के अनुसार भारत के राष्ट्रपति (President of India) राज्यों के राज्यपाल (Governors of the States), तथा राजप्रमुखों पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

एक बात जो इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्मरणीय है वह यह है कि किसी भी देश के राज्याध्यक्ष, चाहे वे किसी छोटे देश के हों अथवा बड़े देश के, सदा एक समान ही माने जाते हैं, अर्थात् देश के छोटे बड़े होने के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाता।

(३) राजदूत (Ambassador)—विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्षों की भांति ही राजदूतों को भी कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त है तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी कानून की दीवानी तथा फौजदारी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः उन पर क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वे स्वयं उन उन्मुक्तियों का परित्याग न कर दें।

(४) राजकीय कर्मचारी (Public or State officials)—यदि कोई राजकीय कर्मचारी सरकारी सेवक की हैसियत से कोई ऐसा कृत्य करे जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे तो वह उस कृत्य के लिए क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं माना जायगा। लेकिन यदि उसने ऐसा कृत्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी ध्यान रखिए कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधीन कर्मचारियों के कृत्यों के प्रति उस दशा में उत्तरदायी नहीं है जबकि उसने उनको कथित कृत्यों के करने का स्वयं आदेश न दिया हो। [मर्सी डाक्स ट्रस्टीज़ प्रति गिब्स (१८६६), एल० आर० आयरि० एच० एल० ९३]

(५) निगम (Corporation)—क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत निगम पर क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह कृत्य जिससे क्षति पहुँची, निगम के अभिकर्ता (Agent) अथवा कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं, वरन् निगम के अभिकर्ता अथवा कर्मचारी की हैसियत में निगम के हित में किया है।

(६) श्रमिक संघ (Trade union)—भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के विरुद्ध संघ के रजिस्टर्ड नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कर्मचारी केवल कुछ विशिष्ट क्षतिकृत्यों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल व्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामान्य नियम है कि पागल व्यक्ति क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उन कृत्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिनके प्रति वह फौजदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यही बात मदान्ध (Drunk) व्यक्ति के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन यह बात बचाव के लिए तब तक पर्याप्त नहीं होगी जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उस व्यक्ति ने मद्यपान अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों पर क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस क्षतिपूर्ण कृत्य में पूर्वज्ञान या द्वेष आवश्यक तत्व हो, वहाँ शिशु या अल्पवयस्क होना एक अच्छा बचाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—इंगलैण्ड के सार्वजनिक कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर अकेले मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके पति को भी प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित न कर लिया जाय, किन्तु सन् १८८२ ई० के विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अकेले भी मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अकेले भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह अधिनियम हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन और सिक्ख स्त्रियों पर लागू नहीं होता। विवाहित स्त्रियाँ एवं क्षतिकर्ता-अधिनियम, १९३५ (Married Women and Tort feasors Act, 1935) के अन्तर्गत स्त्रियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों के लिए उनके पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

प्रश्न १३—उन परिस्थितियों का विवेचनात्मक उल्लेख कीजिए जिनमें क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वत मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने उत्तर में तत्सम्बन्धी अंग्रेजी और भारतीय कानून का अन्तर भी स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व से मुक्ति—निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वत मुक्ति प्राप्त कर लेता है —

(१) क्षतिकर्ता या क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु—कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा उठाने का व्यक्तिगत अधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाता है (Actio personalis moritur cum Persona—A personal action dies with the parties to the cause)। यह सिद्धान्त अंग्रेजी सार्वजनिक कानून (English Common Law) का एक सामान्य नियम था। किन्तु कानून सुधार (विविध प्राविधान) अधिनियम, १९३४ [The Law Reforms (Miscellaneous Provisions) Act, 1934] ने उक्त सिद्धान्त में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। इस अधिनियम के बनने के बाद अंग्रेजी कानून में यह एक सामान्य नियम हो गया है कि प्रत्येक क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal representative) को क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला कर क्षतिकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा और क्षतिकर्ता की मृत्यु से यह अधिकार समाप्त न होगा। लेकिन निम्नाङ्कित क्षतिकर्यों के लिए यह नियम लागू न होगा और क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु के साथ साथ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त हो जायगा —

(अ) जब क्षति प्राप्त व्यक्ति की मानहानि की गयी हो,

(ब) जब बहकाव द्वारा क्षति पहुँचायी गयी हो,

(स) जब दम्पति में से किसी को अलग होने के लिए बहका कर क्षति पहुँचायी गयी हो, तथा

(द) व्यभिचार (Adultery) द्वारा की गयी क्षति।

प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम, १८४६ (The Fatal Accidents Act, 1846) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाय तो जिस व्यक्ति का क्षतिकृत्य उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर

क्षति प्राप्त मृतक व्यक्ति के पति, पत्नी, बच्चे या उसका सम्पत्ति का व्यवस्थापक (Administrator) क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चला सकते हैं। सेवायोजक दायित्व अधिनियम, १८८० (The Employers' Liability Act 1880) के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति काल में ऐसे किसी भी कारण से मृत्यु हो जाय जिनका वर्णन इस अधिनियम में है, तो मृतक कर्मचारी का कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी सेवायोजक (Employer) पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है। श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२५ (The Workmen Compensation Act, 1925) के प्राविधानों के अनुसार यदि किसी श्रमिक कर्मचारी की कारखाने में काम करते समय दुर्घटनाजन्य मृत्यु हो जाय तो उस श्रमिक कर्मचारी के आश्रित (Dependent) व्यक्ति कारखाने के मालिक से क्षति प्राप्त करने के लिए उस पर दावा कर सकते हैं।

क्षतिकर्ता (Tort feasor) की मृत्यु का परिणाम अंग्रेजी कानून के अनुसार यह है कि उसके क्षतिपूर्ण कृत्य के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होता है जबकि मृतक क्षतिकर्ता ने अपने जीवनकाल में क्षति प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति या उसकी आय (Proceeds) का स्वायत्तीकरण (Appropriation) कर लिया हो और उस सम्पत्ति अथवा आय को अपनी सम्पत्ति अथवा आय में मिला लिया हो।

भारतीय कानून

भारतीय कानून में उपर्युक्त सामान्य सिद्धान्त के, कि क्षति प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप उसका मुकदमा चलाने का व्यक्तिगत अधिकार भी समाप्त हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद (Exceptions) हैं —

(अ) कानूनी प्रतिनिधि वाद अधिनियम, १८५५ (The Legal Representative's suits Act, 1855) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, यदि क्षतिकृत्य क्षति प्राप्त मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रति किया गया हो।

(ब) प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम, १८५५ (The Fatal Accidents Act, 1855) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति की जो कारखाने में काम करता है, काम करते समय किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारी, पति, पत्नी व सन्तान क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा

व्यक्ति की मृत्यु के दिन से दो वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमा चला सकते हैं। नवीन अवधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में अवधि दो वर्ष निर्धारित की गयी है।

(ख) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (The Indian Succession Act, 1925) की धारा ३०६ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के कुछ जो नैत्यिक अधिकार उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। अतएव उसकी सम्पत्ति का व्यवस्थापक (Administrator) उन क्षतिकृत्य के लिए जो उस मृतक व्यक्ति के जीवनकाल में किया गया हो और जो मानहानि (Defamation) आक्रमण या प्रहार (Assault) तथा व्यक्तिगत क्षति (Personal injury) के वर्ग का क्षतिकृत्य न हो, क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है।

क्षतिकर्ता की मृत्यु के परिणाम के विषय में भारतीय कानून यह है कि किसी क्षतिकर्ता के व्यवस्थापक (Administrator) या प्रतिनिधि (Representative) पर उन क्षतिकृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो मृतक क्षतिकर्ता ने अपने जीवन काल में किया हो और जो मानहानि, आक्रमण या प्रहार तथा व्यक्तिगत क्षति के वर्ग का क्षतिकृत्य न रहा हो।

( ) निर्वाचन द्वारा परित्याग (Waiver by election)—जब किसी क्षति प्राप्त व्यक्ति को किसी क्षतिकृत्य का प्रतिकार करने के लिए अनेक कानूनी उपाय उपलब्ध हों और वह उनमें से किसी एक की कार्यवाही के लिए चुन ले तो दूसरे उपायों के लिए यह समझा जायगा कि उसने निर्वाचन के द्वारा उनका परित्याग कर दिया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई क्षतिपूर्ण कार्य क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत भी अभियोज्य (Actionable) हो और उसके लिए संविदाभंगावरण (Breach of Contract) के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सके तथा क्षति प्राप्त व्यक्ति अंतिम उपाय की कार्यवाही करना चुन ले तो वह फिर क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकता, परन्तु वह वैकल्पिक दादरसी (Altern ative reliefs) अवश्य ले सकता है। [नीचे प्रति हार्डिंग (१८४१), सी० एच० १४६]

(३) समझौता एवं सन्तोष (Accord and satisfaction)—यदि वादी और प्रतिवादी में परस्पर समझौता हो जाता है जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति देकर वादी को सन्तुष्ट कर देता है तो वादी का क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। स्मरण रहे कि परस्पर समझौता बिना क्षतिपूर्ति द्वारा वादी को सन्तुष्ट किये भी अनियमित नहीं

है। [लो प्रति लकाशायर एण्ड याके रेलवे कम्पनी (१८७१), एल० आर० ६ चासरी डि० ५२७]

(४) मुक्ति (Release)—वादी अपने प्रति किये गये क्षतिपूर्ण कृत्य की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार को स्वयं भी छोड सकता है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून यह है कि इस प्रकार का मुक्ति पत्र या तो लिखित होना चाहिए या इस प्रकार की मुक्ति के लिए वादी को कुछ प्रतिदान (Consideration) अवश्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भारतीय कानून में मुक्ति के बदले में कोई प्रतिदान लेना अनिवार्य नहीं है।

(५) मौन सम्मति (Acquiescence)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति अपने क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार को जानते हुए भी एक लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं करता और चुप्पी साध लेता है तो विपक्षी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सम्भवत उसने अपना क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के अधिकार को त्याग दिया है। लेकिन मौन सम्मति का यह सिद्धान्त अधिकतर वादी के व्यवहार और अधिकार के प्रति सचेत ज्ञान पर अवलम्बित है।

(६) न्यायादेश का निष्पादन (Execution of judgment)—कानून का यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी एक व्यक्ति एक क्षतिकृत्य के लिए केवल एक बार ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उस पर बार-बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद भी हैं —

(अ) यदि किसी क्षतिपूर्ण कृत्य से लगातार किसी व्यक्ति को नित्य क्षति पहुँचती जा रही हो तो एक बार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद क्षतिपूर्ति के लिए पुनः दावा किया जा सकता है।

(ब) यदि एक ही क्षतिकृत्य द्वारा किसी व्यक्ति के दो विभिन्न अधिकारों को भंग किया गया हो तो क्षतिकर्ता के विरुद्ध एक से अधिक मुकदमे भंग किये गये अधिकारों के अनुसार चलाये जा सकते हैं।

(स) उन मामलों में जिनमें वास्तविक क्षति (Actual damage) मुकदमे का मूल तथ्य नहीं है अथवा उन मामलों में जिनमें क्षति ही अभियोज्य कृत्य का मूलाधार है, परिस्थिति के अनुसार मुकदमे चलाये जा सकते हैं।

(७) तमादी (Bar of limitation)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उचित न्यायालय में मुकदमा दायर करने में

असमर्थ रहे तो तमादी द्वारा उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

भारत के नवीन अवधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में विभिन्न प्रकार के क्षतिकृत्यों की कार्यवाही के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न १४—विदेश में किये गये क्षतिकृत्यों के कानून पर जैसा कि इंगलैण्ड और भारत में प्रचलित है, अधिकृत निर्णयों से पुष्टीकरण करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—विदेश में किये गये क्षतिकृत्यों का कानून—विदेश में किये गये क्षतिकरों का कानून जो इंगलैण्ड में प्रचलित है, वही भारत में भी है। अंग्रेजी कानून का यह एक सामान्य नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अचल सम्पत्ति (Immovable property) के प्रति कोई क्षतिपूर्ण कृत्य कर तो क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिकर्ता पर तब तक क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह विदेश में हो, भले ही क्षतिकर्ता इंगलैण्ड का नागरिक हो। लेकिन यदि क्षतिपूर्ण कृत्य किसी की चल सम्पत्ति (Movable property) या शरीर (Person) के प्रति किया गया हो तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को क्षतिकर्ता पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में मुकदमा चलाने का अधिकार है, भले ही क्षतिकर्ता विदेश में हो —

(अ) प्रतिवादी ने जो क्षतिपूर्ण कृत्य किया है, वह उस देश के कानून के विचार से गैरकानूनी हो, जहाँ वह किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई कृत्य इंगलैण्ड में गैरकानूनी है किन्तु भारत में कानून सम्मत है तो ऐसे कृत्य के लिए इंगलैण्ड में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा यदि वह कृत्य भारत में किया गया हो। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख मामले का अधिकृत निर्णय उल्लेखनीय है। वादी ने जमैका के राज्यपाल (Governor of Jamaica) पर अवैध कारावास (Illegal detention) के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया जिसमें राज्यपाल की ओर से यह दलील दी गयी कि उसने वादी को राजद्रोह का दमन करने के सिलसिले में कारावासित किया था और जमैका के कानून के अन्तर्गत उसको ऐसा करने का अधिकार था। इस मामले में निर्णय देते हुए विद्वान् न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी अन्य देश के कानून में कोई कृत्य वैध (Lawful) है तो उसके लिए इंगलैण्ड में क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही वह कृत्य इंगलैण्ड के कानून में अवैध हो। [फिलिप्स प्रति आयर (१८७०), ६ क्यू० बी० १]

(ब) प्रतिवादी ने जो क्षतिपूर्ण कृत्य किया है, वह इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि वह इंगलैण्ड में किया जाता तो अभियोज्य (Actionable) होता। उदाहरणार्थ, यदि किसी अंग्रेज ने भारत में ऐसा कृत्य किया है जो भारतीय कानून के अन्तर्गत तो अभियोज्य है किन्तु इंगलैण्ड के कानून के अन्तर्गत अभियोज्य नहीं है तो वादी को जिसकी चल सम्पत्ति या शरीर को क्षति पहुँची है, इंगलैण्ड में उक्त कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है। कारण यह है कि इंगलैण्ड अपने देश का कानून ही अपने देश में लागू कर सकता है, विदेश का कानून नहीं। ऐसे कृत्य के लिए, यदि वादी को कानूनी क्षमता प्राप्त है, तो भारत में ही क्षतिपूर्ति का मुकदमा चल सकता है।

प्रश्न १५—'जान बूझ कर आपत्ति लेना' (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर—जान बूझ कर आपत्ति लेना (Volenti non fit injuria)—क्षतिकृत्य कानून का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर अपने ऊपर आपत्ति लेता है और उस दशा में उसे कोई क्षति पहुँचती है तो उस क्षति के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त 'जान-बूझकर आपत्ति लेना (Volenti non fit injuria)' का सिद्धान्त कहलाता है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत केवल शरीर (Person) को पहुँची क्षति ही विचारणीय नहीं है, प्रत्युत सम्पत्ति को भी पहुँची क्षति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धान्त के लागू करने के लिए दो बातें विशेष रूप से विचारणीय हैं। एक तो यह कि क्षति प्राप्त व्यक्ति ने अपने आपको जान बूझकर आपत्तिजनक परिस्थिति में डाला हो, और दूसरी यह कि आपत्तिजनक परिस्थिति में जो क्षति उसको पहुँची हो, उसका पूर्वज्ञान भी उसे हो। यह बात भी विचारणीय है कि क्षति प्राप्त व्यक्ति ने अपने को आपत्तिजनक परिस्थिति में डालने की सहमति (Consent) स्वेच्छापूर्वक और स्वतन्त्रतापूर्वक दी हो। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रहे कि केवल जोखिम के ज्ञान होने का अर्थ ही सहमति नहीं है। [हेंस प्रति हारवुड, (१९३५), १ के० बी० १४६]

उपर्युक्त सिद्धान्त को भली प्रकार समझने के लिए एक उदाहरण देना आवश्यक है। मान लीजिए कि किसी बगीचे के मालिक ने अपने बगीचे की रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे हैं और बगीचे के बाहर दरवाजे पर यह तख्ती लिख कर टाँग दी है कि इस बगीचे में कुत्ते पले हैं। अब यदि उस बगीचे में कोई व्यक्ति अकारण प्रवेश करता है और कुत्ते उसे काट लेते हैं तो वह व्यक्ति उन कुत्तों के मालिक से क्षतिपूर्ति

प्राप्त नही कर सकता, क्योंकि उसने अपने को उस आपत्तिजनक परिस्थिति में स्वयं डाला है और उस परिस्थिति की जोखिम का उसे पूर्व ज्ञान भी है। इसी प्रकार यदि कोई रोगी किसी सर्जन के पास जाय और वह सर्जन उसे बतलाये कि आपरेशन में उसके प्राणों का खतरा है और इस पर भी वह रोगी उस सर्जन से आपरेशन कराये तो आपरेशन में यदि रोगी को कोई क्षति पहुँचती है तो सर्जन क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार नही है।

ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी की लापरवाही से वादी को क्षति पहुँची हो, उपर्युक्त सिद्धान्त की दलील बचाव में कारगर न होगी। इस प्रकार का एक मामला उल्लेखनीय है। प्रतिवादी के नौकर ने एक घोडागाडी सार्वजनिक मार्ग पर छोड दी। घोड़े गाडी को बिना किसी चालक के ही लेकर सडक पर भाग निकले। वादी ने जो एक पुलिस सिपाही था, गाडी को बिना चालक के सडक पर भागते देखा। उसकी ड्यूटी उस समय सडक पर नही थी बल्कि पुलिस स्टेशन पर थी। वह पुलिस स्टेशन से बाहर आया और उसने देखा कि सडक पर इस प्रकार बिना चालक के भागती हुई घोडागाडी को यदि न रोका गया तो वह सडक पर चलने वाले एक स्त्री और कुछ बच्चों को तुरन्त कुचल देगी। वादी ने उन्हें बचाने के लिए अपने को खतरे में डाल कर गाडी रोक ली और इस प्रयत्न में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने क्षतिपूर्ति के लिए गाडी के स्वामी के विरुद्ध मुकदमा चलाया। प्रतिवादी ने उपर्युक्त सिद्धान्त की दलील अपने बचाव में दी। विद्वान् न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि जिस प्रकार की घटनाएँ इस मुकदमे में हैं, उन परिस्थितियों में प्रतिवादी की दलील नितान्त बेकार है, क्योंकि जान-बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त ऐसी परिस्थितियों में लागू नही होता। प्रतिवादी ने बहुत ही लापरवाही का व्यवहार किया है। अत वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का कानूनन अधिकारी है। [हेन्स प्रति हारवुड (१९३५), १ के० बी० १४६]

प्रश्न १६—निम्नलिखित समस्याओं की समस्यापूर्ति कीजिए —

(अ) 'क' यह जानते हुए कि 'ख' शराब पिए हुए है, उसकी कार में बिना भाड़े के यात्री की हैसियत से सफर करता है। 'ख' शराब के नशे में द्रुतगति से कार चलाता है। रास्ते में वह एक अन्य यात्री को कार रोक कर उतार देता है और फिर उसी द्रुतगति से कार चलाने लगता है। 'क' फिर भी अपनी यात्रा को, यह जानते हुए भी कि 'ख' के इस प्रकार कार चलाने से खतरा है, जारी रखता है। अकस्मात् कार किसी पेड़ से टकराती है जिसके परिणामस्वरूप 'क' बुरी तरह घायल हो जाता है। वह क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। 'ख' अपने बचाव में

जान बूझकर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त की दलील देता है।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी है?

(ब) 'ख' अपनी घोड़ागाड़ी को सार्वजनिक मार्ग पर बिना चालक के छोड़ कर समीप की दुकान पर सामान खरीदने चला जाता है। उस समय जबकि वह दुकान के भीतर खरीदारी कर रहा होता है, सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति शरारतन पटाखा छोड़ देता है जिसके धमाके से बिदक कर घोड़े गाड़ी को लेकर भाग निकलते हैं। 'क' इस प्रकार बिना चालक के सड़क पर भागती हुई घोड़ागाड़ी को जिससे सड़क पर चलते हुए लोगों के कुचले जाने का खतरा है, रोकने का प्रयास करता है और परिणामस्वरूप उसको चोट पहुंचती है। वह क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। 'ख' अपने बचाव में यह दलील देता है कि 'क' ने स्वेच्छा से जान बूझ कर यह आपत्ति ली और यह कि पटाखा छोड़ने वाले व्यक्ति के अपकृत्य से यह घटना घटी है जिसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं हो सकती।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी है?

(स) 'क' को रेलवे स्टेशन जाना है। वह 'ख' के तांगे में किराया देकर चलता है। 'ख' रेलवे स्टेशन को सड़क पर तांगा चलाते हुए एक मोड़ पर आता है जहां मरम्मत के लिए सड़क बन्द होने की तख्ती लगी है। 'ख' तांगे को दूसरी घुमावदार सड़क से ले जाने के लिए मोड़ता है। 'क' को रेलवे स्टेशन पहुंचने की जल्दी है। वह यह देखते हुए भी कि एक अन्य तांगा उसी बन्द सड़क की बगल से जहाँ एक खतरनाक ढलान है, सुरक्षित गुजर जाता है, 'ख' से भी उसी ओर से तांगा ले जाने को कहता है। 'ख' उसकी बात मानकर उस ओर से तांगा ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ढलान पर तांगा फिसल जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। वह एक दूसरे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में 'क' अथवा 'ख' में से कौन क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है?

(द) सड़क पर पैदल चलते हुए 'क' को 'ख' मोटरकार चलाते हुए मिलता है। दोनों मित्र हैं। 'ख' 'क' से मोटरकार में बैठने के लिए कहता है और 'क' उसकी बात स्वीकार कर लेता है। 'ख' की असावधानी से मोटरकार किसी पेड़ से टकरा जाती है जिसके परिणामस्वरूप 'क' को चोट पहुंचती है। वह 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करता है।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' जिम्मेदार है?

उत्तर—समस्याएँ—(अ) आमतौर से यदि किसी व्यक्ति को खतरे का पूर्व ज्ञान हो और वह फिर भी जोखिम उठाए तो यह समझा जायगा कि उसने जान बूझ कर आपत्ति ली। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के कानूनी कर्त्तव्यों का पालन न करने के कारण क्षति पहुँची हो तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकर्ता जिम्मेदार होगा और वह जान बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त की दलील अपने बचाव में नहीं दे सकेगा। [डैन प्रति हेमिल्टन (१६३६), १ क० बी० ५०७] प्रस्तुत मामले में यद्यपि यह सही है कि 'क' को खतरे का पूर्व ज्ञान था और उसने स्वेच्छा से आपत्ति ली, परन्तु 'ख' ने भी शराब पीकर कार चलाते हुए अपनी कार के यात्रियों की सुरक्षा का अपना कानूनी कर्त्तव्य पालन नहीं किया। कार की दुघटना जिसके परिणामस्वरूप 'क' घायल हुआ, 'ख' के उक्त कानूनी कर्त्तव्य को भंग करने के कारण हुई। अतएव 'ख' 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

(ब) प्रस्तुत मामले की घटनाएं [हेन्स प्रति हारवुड (१६३५), १ के० बी० १४६] के मामले की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले में यह तय हुआ है कि जान बूझकर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं होता जिनमें पहुँची क्षति के लिए प्रतिवादी अपनी लापरवाही के कारण जिम्मेदार हो। प्रस्तुत मामले में 'ख' ने अपनी घोड़ागाड़ी को सार्वजनिक मार्ग पर बिना चालक के छोड़कर बहुत ही लापरवाही का व्यवहार किया। उसे यह जानना चाहिए था कि ऐसी हालत में घोड़े गाड़ी को लेकर भाग सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर चलते हुए लोगों की जान व माल का खतरा हो सकता है तथा कोई व्यक्ति उन्हें रोकने की भी कोशिश कर सकता है। 'क' ने जिन परिस्थितियों में घोड़ों को रोकने की कोशिश की और वह घायल हुआ उनमें जान बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त लागू नहीं होता, क्योंकि घटना सर्वथा 'ख' की लापरवाही का तत्काल परिणाम है। यह दलील भी कि घटना पटाखा छोड़ने वाले व्यक्ति के अपकृत्य के कारण घटी, 'ख' की जिम्मेदारी को हल्का अथवा कम नहीं करती। पटाखा छोड़ने वाले व्यक्ति ने एक अपकृत्य अवश्य किया। एक सही दिमाग नागरिक की हैसियत से उसे ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए थी। इस घटना का उत्तरदायित्व उस पर भी है। लेकिन 'ख' को भी यह जानना चाहिए था कि वह बिना चालक के सार्वजनिक मार्ग पर घोड़ा गाड़ी छोड़ रहा है और यदि किसी व्यक्ति की शरारत से घोड़े बिदक गए तो लोगों के जान

व माल को क्षति पहुँचने की सम्भावना है। अतएव 'ख' प्रत्येक परिस्थिति में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

(स) प्रस्तुत मामले में 'क' अथवा 'ख' में से कोई भी एक दूसरे का क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नहीं है। 'क' ने स्वयं 'ख' से उस खतरनाक ढलान से तांगा ले जाने को कहा और स्वेच्छा से स्वयं जान बूझकर आपत्ति ली तथा 'ख' ने तांगा चलाने हुए कोई लापरवाही या असावधानी का व्यवहार नहीं किया। अतएव 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' कदापि जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार 'ख' ने भी खतरे का पूरा ज्ञान होते हुए 'क' की बात मानकर स्वेच्छा से आपत्ति ली इसलिए 'क' उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(द) प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि दुर्घटना 'ख' की असावधानी के कारण घटी। अतएव इस मामले में जान बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त लागू नहीं होता। डेन प्रति हेमिल्टन [(१९३९) १ के० बी० ५०७] के प्रसिद्ध मामले में यह तय हुआ है कि यदि दुर्घटना प्रतिवादी की लापरवाही या असावधानी का तत्काल परिणाम हो तो वह वादी द्वारा जान बूझ कर आपत्ति लेने की दलील अपने बचाव में नहीं दे सकता। प्रस्तुत मामले में 'क' ने भले ही स्वेच्छा से 'ख' की मोटर कार में चलना स्वीकार कर लिया किन्तु उसे 'ख' की असावधानी से चोट पहुँची। अतएव 'ख' उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न १७—ऐसे सामान्य अपवादों की तालिका प्रस्तुत कीजिए जिनमें किये गये क्षतिकृत्य अभियोज्य नहीं होते।

उत्तर—सामान्य अपवाद—यद्यपि व्यक्ति का कोई भी ऐसा कृत्य जिसके द्वारा उसने अन्य व्यक्ति के कानूनी अधिकार का भंग किया हो या अन्य व्यक्ति के प्रति कानूनी कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा हो, क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य है, लेकिन इस सामान्य सिद्धान्त के कुछ अपवाद भी हैं। ये अपवाद सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधा के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। सर फ्रेडरिक पालक (Sir Fredrick Pollock) के मतानुसार ये अपवाद ऐसी उन्मुक्तियाँ (Immunities) हैं जो व्यक्ति के कानूनी दायित्व को सीमित करती हैं। इन सामान्य अपवादों अथवा उन्मुक्तियों की तालिका निम्नलिखित है —

(१) राज्य कृत्य (Act of state),

(२) कार्यपालिका (Executive), न्यायपालिका (Judiciary) एवं अर्ध-न्यायिक (Quasi Judicial) कृत्य,

(३) माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा किये गए कृत्य,

(४) अवश्यम्भावी दुर्घटनाएं (Inevitable accidents),
(५) सहमति से किये गये कृत्य,
(६) आवश्यक तथा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्य,
(७) स्वरक्षा के लिए किये गये कृत्य,
(८) सामान्य अधिकारों के उपभोग के लिये किये गये कृत्य (Exercise of Common rights),
(९) साधारण क्षतिपूर्ण कृत्य,
(१०) कानून सम्मत कृत्य,
(११) व्यक्तिगत उन्मुक्तियाँ (Personal immunities), एवं
(१२) ईश्वरीय कृत्य (Act of God)।

प्रश्न १८—राज्य कृत्यों (Acts of State) के औचित्य (Justification) की विवेचना करते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें वे क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य हो जाते हैं।

उत्तर—राज्य कृत्यों का औचित्य—सर जेम्स स्टीफन (Sir James Stephen) ने राज्य कृत्यों की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य कृत्यों के अन्तर्गत सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये सभी अधिकृत कृत्य सम्मिलित हैं। इंगलैण्ड के कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सम्राट कुछ भी अनुचित नहीं करता। इसी सामान्य सिद्धान्त के अनुसार सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अधिकृत कृत्य क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किये गये क्षतिकृत्य को सम्राट ने कृत्य हो जाने के बाद भी स्वीकृति दे दी हो तो वह भी राज्य कृत्य समझा जाता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। [बरन प्रति हेमान (१८४७), २ एक्स० १६७]

भारत में भी राज्य कृत्यों के औचित्य के सम्बन्ध में इंगलैण्ड में प्रचलित सिद्धान्त ही अधिकतर लागू होते हैं। भारतीय कानून के अन्तर्गत सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये ऐसे क्षतिकृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उन्होंने अपने कानूनी कर्तव्यों का अधिकृत रूप से पालन करने में किये हों। इस उन्मुक्ति का आधार यह सिद्धान्त है कि कानून द्वारा वैध घोषित किया हुआ कृत्य करने से किसी को कानून की दृष्टि में कोई क्षति पहुँच ही नहीं सकती, और जब क्षति ही नहीं पहुँच सकती तो क्षतिपूर्ति भी प्राप्य नहीं है और न ही मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि ऐसा कृत्य असावधानी से किया गया है तो क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, यदि विधान मंडल (Legislature) ने किसी मार्ग पर रेलवे चलाने का कानून बना दिया है तो उस रेलवे लाइन के स्टेशन के पास रहने वाले इस आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकते कि रेलों की आवाज से, उनको क्षति पहुँचती है। किन्तु यदि यह रेलवे कम्पनी किसी बस्ती में अपना कारखाना खोल दे और उसके शोर से उस बस्ती में रहने वालों को क्षति पहुँचे तो क्षतिप्राप्त व्यक्तियों को उस कम्पनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिये अच्छा आधार होगा। [राजमोहन बोस प्रति ईस्ट इंडिया रेलवे (१८७२) १० बी० एल० आर० २४१]

उपर्युक्त परिस्थिति के अतिरिक्त राज्य कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में भी अभियोज्य हो जाते हैं —

(१) जबकि अचल सम्पत्ति पर अनाधिकार प्रवेश किया जाय,

(२) जबकि कानून द्वारा दायित्व स्वीकृत हो, एवं

(३) जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि कर्मचारी द्वारा किये गये कृत्य से सरकार को लाभ पहुँचा है।

प्रश्न १६ —'अवश्यम्भावी दुर्घटनाएँ क्या हैं? क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उनके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०—अवश्यम्भावी दुर्घटनाएं—अवश्यम्भावी दुर्घटना (Inevitable Accident) वह दुर्घटना है, जिसको सतर्क, सावधानी (Reasonable prudence) या सतर्कता (vigilence) के बरतने पर भी न रोका जा सके। कानून की (Technical) भाषा में ऐसी दुर्घटना को जिसे सतर्क, सावधानी या सतर्कता बरतने पर बचाया जा सके, अवश्यम्भावी दुर्घटना नहीं कहा जायगा। अवश्यम्भावी दुर्घटना के कारण बिल्कुल ही अप्रत्याशित (Unforseen) होने चाहिए।

ऐसी दुर्घटना ही अवश्यम्भावी दुर्घटना की श्रेणी में रखी जा सकती है जो सावधानी या सतर्कता बरतने पर भी घटित हो जाय। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने साथ स्वतः आग लग जाने वाला पदार्थ (Explosive substance) को ले जा रहा हो तो उसका कर्तव्य है कि वह आग लगने वाले कारणों से बचने के लिए सतर्कता बरते, किन्तु यदि अप्रत्याशित कारण से उस पदार्थ में आग लग जाय तो उसके परिणामस्वरूप जो क्षति किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को पहुँचेगी उसका उत्तरदायित्व उस पदार्थ को ले जाने वाले व्यक्ति पर न होगा, क्योंकि वह क्षति अवश्यम्भावी दुर्घटनावश पहुँची।

उपर्युक्त विषय के प्रकरण में ब्राउन प्रति केडेल [(१८५०), ६ कासिंग २९२] का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनायें इस प्रकार हैं— एक बार वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। प्रतिवादी कुत्तों को छुड़ाने के लिए उनको मार रहा था और वादी वहीं खड़ा इस घटना को देख रहा था। इसी बीच प्रतिवादी द्वारा वादी की आंख में चोट लग गई। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी का कृत्य पूर्णतया विधिपूर्ण था, क्योंकि लड़ते हुए कुत्तों को अलग करना एक उचित कार्य था। यदि एक विधिपूर्ण और उचित कार्य सतर्कता एवं सावधानी से करने पर भी यह घटना हो गई और वादी की आंख में चोट लग गई तो यह अवश्यम्भावी दुर्घटना है और इसके लिए वादी को प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है।

स्मरण रहे कि अवश्यम्भावी दुर्घटनाएं प्रायः दो कारणों से होती हैं। एक तो वे जो किसी प्राकृतिक कारणवश हुई हों, और दूसरी वे जो किसी मनुष्य द्वारा तो हुई हों लेकिन उनको सतर्कता एवं सावधानी बरतने पर भी रोका जाना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर हो। पहले प्रकार की अवश्यम्भावी दुर्घटनाओं को हम ईश्वरीय कृत्य (Act of God) कहते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति पर राह में चलते समय बिजली गिर पड़े और उससे उसकी मृत्यु हो जाय तो हम इसे प्राकृतिक दुर्घटना कहेंगे। लेकिन यदि राह चलते समय किसी व्यक्ति का पैर फिसल जाय और वह गिर कर चोट खा जाय तो हम कहेंगे कि यह दुर्घटना मनुष्य की सतर्क, सावधानी बरतने पर भी हो गई। सावधानी को मापने के लिए कोई माप दण्ड नहीं है। पर सावधानी की प्रायः तीन कोटियां (Degrees) हो सकती हैं— साधारण से कम, साधारण और साधारण से अधिक। साधारण सावधानी या सामान्य-सावधानी उस सावधानी को कहते हैं जो कि साधारण व्यक्ति सामान्यतः साधारण परिस्थितियों में बरतते हैं।

प्र० २० —क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत न्यायाधीशों की उन्मुक्ति (Immunity) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उ०—न्यायाधीशों की उन्मुक्ति —क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को कानूनी दायित्वों से छूट या उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इन उन्मुक्तियों का आधार सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था या सार्वजनिक सुविधा होता है। न्यायाधीशों को इसी प्रकार की उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। किसी न्यायाधीश पर किसी ऐसे कार्य के लिए क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

जिसको, कि उसने, अपने कानूनी कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये किया हो, भले ही उसका व्यवहार क्षतिपूर्ण क्यों न रहा हो। अतः यदि किसी न्यायाधीश ने किसी मुकदमे के फैसले में किसी के प्रति कुछ अपमानकारी बातें लिखी हों तो वे अपमानकारी लेख (Libel) नहीं मानी जायेंगी और न ही उस न्यायाधीश के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

न्यायाधीश को उन्मुक्ति का उद्देश्य यह है कि वह अपना कार्य निर्भयतापूर्वक कर सके। श्री रतनलाल धीरजलाल के मतानुसार यह उन्मुक्ति किसी भ्रष्ट या ईर्ष्यालु न्यायाधीश के हित के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए है। इसी सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य पर आधारित सभी आधुनिक संविधानों में न्यायाधीशों को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखा गया है और वह अपने न्याय सम्बन्धी कर्त्तव्यों के पालन करने में जो कुछ भी करते या कहते हैं, उसके लिए उन्हें किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। भारत के संविधान (Constitution of India) ने भी न्यायाधीशों को इस प्रकार की उन्मुक्तियाँ दे रखी हैं। लेकिन यदि कोई न्यायाधीश जानबूझ कर अपने अधिक्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर कार्य करता है और उसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाता है तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को न्यायाधीश के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार है।

पंच (Arbitrator) तथा जूरी (Jury man) भी न्यायाधीश की श्रेणी में आते हैं। अतः कानून उनको भी न्यायाधीशों के समकक्ष मानता है और जो उन्मुक्तियाँ न्यायाधीशों को प्राप्त हैं, वे उनको भी प्राप्त हैं।

प्रश्न २१—ईश्वरीय कृत्य क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कहाँ तक कानूनी बचाव प्रस्तुत करते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उ०—ईश्वरीय कृत्य—ईश्वरीय कृत्यों से तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से है जो अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं और जिन्हें मनुष्य सतर्कता बरतने पर भी पहले से नहीं जान सकता। उदाहरणार्थ, 'क' की कोठी में एक जलाशय है जिसमें जल सदैव भरा रहता है। अचानक तेज वर्षा और तूफान से जलाशय के किनारे टूट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप 'ख' के मकान में पानी भर जाता है और उसको क्षति पहुँचती है। ऐसी परिस्थिति में 'क' 'ख' की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 'ख' को क्षति ईश्वरीय कृत्य से पहुँची। मनुष्य प्रकृति की साधारण घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरत सकता है, लेकिन उसकी सतर्कता से असाधारण घटनाओं के रोके जाने की आशा नहीं की जा सकती। कानून का यह एक

सामान्य नियम है कि जबकि कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर किसी कर्त्तव्य को पालन करने का दायित्व है और वह व्यक्ति सतर्कता बरतते हुए भी किसी ईश्वरीय कारणवश उस कर्त्तव्य का पालन करने में समर्थ नहीं हो पाता तो कानून उसको क्षमा कर देगा।

प्र० ७२—व्यक्तिगत स्वरक्षा (Private Defence) की परिभाषा देते हुए उसके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०—व्यक्तिगत स्वरक्षा —अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाती हैं जब कि व्यक्ति को अपने अथवा अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति की जान या माल के बचाव या सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय की शरण लेना सम्भव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में कानून ने व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वरक्षा का अधिकार दिया है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए व्यक्ति को केवल उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि नितान्त आवश्यक हो। यह बात कि कितना बल प्रयोग किया जाना चाहिए परिस्थिति विशेष पर निर्भर है और इसी कारण उसकी माप निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल प्रयोग की आवश्यकता को साबित करने का उत्तरदायित्व बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर है। जिस समय व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल प्रयोग किया जा रहा हो, उस समय यदि किसी अन्य व्यक्ति को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस द्वन्द में भाग न ले रहा हो, किसी प्रकार का आघात पहुँच जाय तो वह आकस्मिक आघात (Accidental harm) माना जायगा।

लेकिन व्यक्तिगत स्वरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति को ऐसा काय करने का अधिकार नहीं है जिससे कि जान बूझ कर अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचे। उदाहरणार्थ, यदि किसी असाधारण बाढ़ आने के कारण किसी की भूमि पर बाढ़ का पानी आने वाला हो तो उस भूमि के स्वामी को अधिकार है कि अपनी भूमि का पानी से बचाने के लिए उस पर चहार दिवारी बनवा ले। लेकिन यदि किसी की भूमि पर जल एकत्रित हो गया है तो वह उस जल को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर नहीं फेंक सकता। यह बात भी स्मरणीय है कि जब विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो जाये तो उसके बाद बल का प्रयोग अनुचित माना जाता है। मोरिस प्रति व्यूजेन्ट का मामला इस सदर्भ में उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी वादी के मकान के पास से जा रहा था। जिस समय वह मकान के निकट पहुँचा, मकान से निकल कर कुछ कुत्तों ने राह चलते वालों पर भूँकना शुरू कर दिया और प्रतिवादी के जूतों के ऊपर चढ़ा हुआ चमड़े का पट्टा (Gaiter) भी काट

लिया। जब प्रतिवादी ने कुत्तों को बन्दूक दिखाई तो वे भयभीत होकर भागे, किन्तु प्रतिवादी ने गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप वादी का कुत्ता मर गया। इस मामले का निर्णय देते हुए विद्वान न्यायाधीश ने यह तय किया कि प्रतिवादी को भागते हुए कुत्ते पर गोली चलाने का कोई औचित्य (Justification) नहीं था, क्योंकि उस समय विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो चुकी थी। अतएव प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

प्र० ७३—आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गए कृत्यों के औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०—आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्य—क्षतिकृत्य कानून में आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों का औचित्य एक अच्छा कानूनी बचाव समझा जाता है। अतएव आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों द्वारा जो क्षति किसी व्यक्ति को पहुँचती है उसके लिये क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक हित का उद्देश्य ही ऐसे कार्यों का औचित्य है। बात यह है कि समाज के हित के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति, स्वतन्त्रता एवं प्राण आदि सभी कुछ की आहुति दी जा सकती है। वर्षाकाल में सार्वजनिक हित के लिए ही सरकार गिराऊ मकानों को गिरवा देती है। डूबते हुए जहाज को डूबने से बचाने के लिए अक्सर उसके ऊपर लदा हुआ सामान समुद्र में फेंकना पड़ता है। लेकिन यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार के कृत्य तभी किये जा सकते हैं जब कि वह किसी परिस्थिति में नितान्त आवश्यक हों और उनसे किसी सार्वजनिक हित की रक्षा होती हो अथवा होने की सम्भावना हो।

प्रश्न ७४—उन सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए जिनके आधार पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व किसी व्यक्ति पर आता है।

उ०—अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व (Vicarious liability)—क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी उपस्थित हो जाती हैं जब कि किसी कृत्य का करने वाला अपने कृत्य द्वारा पहुँचाई गई क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उस कृत्य के लिए कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाता है। जब किसी कृत्य के लिए उसके कर्ता को उत्तरदायी न ठहरा कर किसी अन्य व्यक्ति पर उसका दायित्व डाला जाता है तो वह अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व (vicarious liability)

कहलाता है। उदाहरणार्थ जब किसी व्यक्ति का नौकर अपने किसी कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाय तो उस नौकर को उस क्षति का उत्तरदायी न मान कर उसके स्वामी का ही उत्तरदायी माना जाता है। सामण्ड (Salmond) के मतानुसार आधुनिक न्याय प्रणाली में कानून दो प्रकार के कृत्यों में ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। एक तो स्वामी को सेवक के कृत्य के लिये तथा दूसरे मृतक व्यक्ति के जीवन काल में किये गए कृत्यों के लिए उसके प्रतिनिधि (Representative) को। क्षतिकृत्य कानून में पहले प्रकार के उत्तरदायित्वों का ही अध्ययन किया जाता है और दूसरे प्रकार के उत्तरदायित्व साधारणतया इस कानून के अन्तर्गत नहीं आते।

अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व निम्नलिखित सिद्धान्तों पर अवलम्बित है —

(१) कोई व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य करता है तो कानून में वह कृत्य उसी व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जाता है। [Qui facit alium facit per se—'He who acts through another is deemed in law as doing it himself'] सेवक के कृत्य के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व इसी सिद्धान्त पर अवलम्बित है लेकिन यह बात स्मरणीय है कि सेवक द्वारा किया गया कृत्य उसके नियुक्ति काल में किया गया हो।

(२) प्रधान (Principal) अभिकर्ता (Agent) के कृत्यों के लिए उत्तरदायी समझा जाना चाहिये—(Respondeat Superior—'The Superior must be responsible, or let the Principal be liable)। इस सिद्धान्त का मूलाधार यह है कि वे सभी कृत्य जो अभिकर्ता द्वारा किये जाते हैं, प्रधान की स्पष्ट (Express) अथवा गर्भित (Implied) सहमति से ही कानूनी तौर पर किये गये समझे जाते हैं और वे वास्तव में प्रधान द्वारा ही किये गये कृत्य हैं।

(३) आधुनिक काल में अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का औचित्य उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त एक अन्य सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धान्त उपयोगिता (Expediency) और सार्वजनिक नीति (Public policy) पर अवलम्बित है। कानून का यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक कृत्य का कर्ता अपने कृत्य का स्वयं उत्तरदायी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य कराता है तो उसे स्वयं उस अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्य का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सर फ्रेडरिक पोलक (Sir Frederick Pollock) का कहना है कि कोई व्यक्ति अपने नौकरों या अभिकर्ताओं के कृत्यों के लिए वैयक्

इसीलिए ही उत्तरदायी नहीं है कि उसने उन नौकरों या अभिकर्ताओं को वे कृत्य करने के लिए अधिकार दिया है अथवा वे उसके प्रतिनिधि हैं, प्रत्युत व कृत्य उसके अपने मामले हैं और वे कृत्य उचित रीति से किए जायें, यह देखना उसका कर्तव्य है।

प्रश्न २५ —किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्यों का दायित्व किन अवस्थाओं में आता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उ०—किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों का दायित्व निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में आता है —

(१) पुष्टीकरण (Ratification) —जब कोई व्यक्ति कोई कृत्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है और वह दूसरा व्यक्ति उसके कृत्य का पुष्टीकरण कर देता है तो उस पुष्टीकरण के बाद वह कृत्य उसी पुष्टि करने वाले व्यक्ति का समझा जाता है और उसका सारा उत्तरदायित्व उसी पर आ जाता है लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि प्रत्येक पुष्टीकरण की परिस्थिति में पुष्टिकर्ता के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाय और कृत्य करने वाला पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय, ऐसा सदा और हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। यह बात भी स्मरणीय है कि गैरकानूनी कृत्यों का पुष्टीकरण नहीं किया जा सकता तथा वह कृत्य जिसका पुष्टीकरण किया गया है, सेवक ने अपने लिए न किया हो।

(२) विशेष सम्बन्ध (Special relationship) —कुछ व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं कि उनके इस परस्पर सम्बन्ध मात्र से ही उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्य का उत्तरदायित्व दूसरे व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व समझा जाता है। इस प्रकार के विशेष सम्बन्ध निम्नलिखित हैं —

(अ) स्वामी तथा सेवक (Master and Servant),

(ब) मालिक तथा स्वतन्त्र ठेकेदार (Owner and Independent Contractor)

(स) प्रधान तथा अभिकर्ता (Principal and Agent),

(द) अभिभावक तथा प्रतिपाल्य (Guardian and Ward),

(क) कम्पनी तथा उसके निर्देशक (Company and its Directors),

(ख) फर्म तथा उसके साझीदार (Firm and its partners)

(३) सहायता (Abetment) —किसी क्षतिपूर्ण कृत्य का करने वाले व्यक्ति की सहायता करने वाला भी उस कृत्य द्वारा अर्जित किये गये दायित्व को पूरा करने का उत्तरदायी होता है।

प्रश्न २६ —स्वामी और सेवक के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए सेवक द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों के लिये स्वामी के उत्तरदायित्व की विवेचना कोजिए।

उत्तर—स्वामी और सेवक का सम्बन्ध —ग्रास्बन (Osborn) का मत है कि दो व्यक्तियों के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध तब होता है जबकि स्वामी का यह अधिकार हो कि वह कृत्य विशेष करते समय सेवक के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रख सके और उससे अपनी इच्छानुसार काम करा सके। क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत स्वामी अपने सेवक के कृत्य के लिए तभी उत्तरदायी होगा जबकि सेवक ने वह कृत्य केवल उसी क्षेत्र में तथा उसी सीमा तक किया हो जिसके लिए वह सेवा में रखा गया है। यदि स्वामी ने किसी अन्य व्यक्ति को अपना सेवक काम करने के लिए दिया हो तो उस सेवक के कृत्यों का उत्तरदायित्व उसके स्वामी पर न होगा, क्योंकि सेवक का कृत्य न तो उसके निर्देशानुसार हुआ और न ऐसी परिस्थिति में उसका सेवक के ऊपर कोई नियन्त्रण था।

स्वामी और सेवक का सम्बन्ध कानून में बहुत ही घनिष्ठ माना जाता है। एक प्रसिद्ध मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई स्वामी अपने सेवक को कोई काम करने का आदेश दे जिसमें कि साधारण सावधानी या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और सेवक के सावधानी बरतने पर भी किसी व्यक्ति को क्षति पहुँच जाय तो ऐसी दशा में भी उत्तरदायित्व स्वामी का होगा। [ग्रेगरी प्रति पाइपर (१८२९), ९ बी० एण्ड सी० ५९१] यदि सेवक स्वामी द्वारा आदेशित कृत्य करने में पूर्ण रूप से सतर्क न भी हो तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का ही होगा। [जोन्स प्रति हार्ट, (१६९८) २ साल्क० ४४०, फिलीटर प्रति फिपर्ड, (१८४७), ११ क्यू० बी० ३४७] स्मरण रहे कि यदि सेवक ने स्वामी के आदेश पालन करने में थोड़ा-बहुत हेर फेर किया है तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का होगा, किन्तु यदि सेवक ने आदेशों का पालन करने में बहुत बड़ा हेर फेर कर दिया है तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर न होगा। [विलियम्स प्रति जोन्स, (१८६५), ३ एच० एण्ड सी० ६०२]

सेवक के कृत्य के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि सेवक ने स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राधिकृत कृत्य या उससे मिलता जुलता कृत्य ही किया है और वह कृत्य उसने सेवा करते समय किया है [ललनी रंजन सेन गुप्ता प्रति कलकत्ता निगम, आई० एल० आर० ५०, कलकत्ता, ६८३]

किसी कृत्य को सेवा के समय किया गया निम्नलिखित परिस्थितियों में समझा जाता है —

(क) जबकि स्वामी ने कृत्य किए जाने के लिए सेवक को अधिकृत किया हो,

(ख) जबकि किसी अनधिकृत कृत्य (Unauthorised act) को सेवक ने सेवा करते समय किया हो।

यदि किसी व्यक्ति को अपने अधीन किसी कानून के अन्तर्गत किसी विशेष व्यक्ति को अनिवार्यतः नौकर रखना पड़ता है तो इस प्रकार रखे हुए नौकर के कृत्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं समझा जायगा। इसके अतिरिक्त जब स्वामी और सेवक के बीच विभागाध्यक्ष (Head of the Department) तथा अधीन कर्मचारी (Subordinate servant) का सम्बन्ध हो तो स्वामी अपने ऐसे सेवक द्वारा किए गए क्षतिकृत्यों का उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरणार्थ, पोस्ट मास्टर जनरल (Post master General) अपने अधीनस्थ किसी डाकिए (Post man) द्वारा किये गये क्षतिकृत्य का जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न २७—एक रेलवे कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को मनाही कर दी थी कि वे अपनी व्यक्तिगत कारों को अन्य व्यक्तियों की जोखिम का बीमा कराये बिना कम्पनी के सेवा कार्यों में प्रयोग न करें। एक दिन कम्पनी का एक कर्मचारी अपनी बिना बीमा कराई कार से कम्पनी के किसी सेवा कार्य में जा रहा था। उसकी असावधानी से उसकी कार से एक बच्चे को चोट पहुँच गई।

उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चे की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे कम्पनी और उसके उक्त कर्मचारी के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर—समस्या —यह समस्या प्रिवी कौंसिल के एक प्रसिद्ध मामले पर आधारित है। इस मामले में यह तय हुआ है कि यदि सेवक सेवा के समय अपने क्षतिकृत्य से किसी को क्षति पहुँचाता है तो स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। [कनाडियन पसीफिक रेलवे कम्पनी प्रति ल्योनार्ड लॉर्ड क्राट, १९४२ ए० सी० २७७]। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि क्षतिकर्ता कर्मचारी कम्पनी के सेवा कार्य में जा रहा था और कम्पनी ने व्यक्तिगत कार को अपने सेवा कार्य में प्रयोग करने के लिए उसे अधिकृत भी किया था भले ही उसने बिना बीमा कराई कारों का प्रयोग करने की मनाही कर दी हो। अतएव कर्मचारी के द्वारा किया गया क्षतिकृत्य उसके सेवा के समय में ही अधिकृत रूप से किया गया समझा जायगा जिसके लिए रेलवे कम्पनी कानूनी रूप से बच्चे की क्षतिपूर्ति के प्रति जिम्मेदार है।

प्रश्न २८—प्रतिवादी एक अस्तबल के स्वामी से दो घोड़े और एक कोचवान किराये पर लेकर अपनी गाड़ी में सैर को जाया करता था। वह कोचवान और घोड़ों के किराये में प्रति सप्ताह निर्धारित रकम अदा करता था। एक दिन कोचवान की असावधानी से घोड़े भिड़क गये जिसके परिणामस्वरूप वादी को चोट पहुंची।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार है ?

उत्तर—समस्या —प्रस्तुत समस्या में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या कोचवान प्रतिवादी की नौकरी में था ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक प्रसिद्ध मामले में जिसकी घटनाएं प्रस्तुत मामले की घटनाओं से मिलती-जुलती हैं, यह निर्णय किया गया कि कोचवान प्रतिवादी की नौकरी में नहीं था, भले ही वह कोचवान को अपने इच्छित स्थानों की ओर घोड़ों को चलाने का निर्देश दे सकता था पर घोड़ों को चलाने की किसी विशेष रीति के सम्बन्ध में वह कोई निर्देश नहीं दे सकता था। [क्वरमैन प्रति बर्नेट, ६ एम० एण्ड डब्लू० ४९६] अतएव उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न २९ —'क' अपने मित्र 'ख' को जो उसके साथ कार में बैठा था, कार चलाने की अनुमति दे देता है। 'ख' जिस समय कार चला रहा होता है वह सिग्रेट जलाता है और जलती हुई तीली बाहर फेंक देता है जो करीब की एक झोपड़ी पर गिरती है और जिसके परिणामस्वरूप उस झोपड़ी में आग लग जाती है।

क्या 'क' झोपड़ी के मालिक की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है ?

उत्तर—समस्या —प्रस्तुत मामले में दो प्रश्न उठते हैं—क्या 'ख' 'क' के नौकर की हैसियत में कार चलाता है ? (२) क्या 'ख' ने क्षतिकृत्य सेवा के समय में किया है ? पहले प्रश्न के उत्तर के लिए यह बात विचारणीय है कि यदि 'क' 'ख' के कृत्य पर नियन्त्रण रखता है तो उनके बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। मान लीजिए कि 'क' का अपने मित्र 'ख' से उक्त स्थिति में स्वामी और सेवक का सम्बन्ध स्थापित भी हो जाय तो भी दूसरा प्रश्न कि 'ख' का क्षतिकृत्य उसके सेवा-कार्य व सेवा-काल के अन्तर्गत आता है या नहीं, विचारणीय रह जाता है। प्रस्तुत मामले में 'ख' का सिग्रेट जलाना और जलती हुई तीली फेंकना उसका

सेवा-कार्य कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कृत्य स्वयं 'ख' ने अपने स्वार्थ में किया है। अतएव 'क' मोटरों के मालिक की क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न ३० —(अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार (Owner and Independent Contractor) के आपसी सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है।

(ब) एक कम्पनी ने जिसे किसी सड़क पर खाइयाँ खुदवाने का अधिकार नहीं था, उस सड़क पर खाइयाँ खुदवाने के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया। ठेकेदार के नौकरों ने खाइयाँ खोद कर मलबा वहीं सड़क पर छोड़ दिया। एक व्यक्ति उस मलबे से टकरा कर गिर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उसको चोट पहुँची।

क्या कम्पनी क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर —(अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार — कानून का यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य द्वारा पहुँची क्षति का उत्तरदायी नहीं हो सकता जब तक कि वह कृत्य या तो उसकी पूर्वानुमति से न किया गया हो या बाद में उसने उस कृत्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुष्टीकरण अथवा समर्थन न किया हो। यह नियम सामान्यतः स्वामी और सेवक के मामलों में लागू होता है। लेकिन स्वतन्त्र ठेकेदार को सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। स्वतन्त्र ठेकेदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी काम को करने का ठेका दिया जाय और उसके काम पर मालिक का किसी प्रकार का भी नियन्त्रण न हो। आम तौर पर जब किसी स्वतन्त्र ठेकेदार को काम पर लगाया जाता है और वह या उसका कोई सेवक काम करने में कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह व्यक्ति जिसने कि स्वतन्त्र ठेकेदार को काम का ठेका दिया है क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी नहीं होता है, पर इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं जिनमें मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार या उसके सेवक के क्षतिकृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है —

(१) यदि किसी व्यक्ति ने किसी काम के करने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है किन्तु ठेकेदार के काम पर नियन्त्रण रखने के साथ-साथ वह उसको निर्देश भी देता है और व्यक्तिगत रूप से उसके काम में भाग लेता है।

(२) यदि ठेकेदार को जिस काम के करने का ठेका दिया गया है वह काम स्वयं ही क्षतिपूर्ण है।

(३) यदि किसी मालिक पर कोई कानूनी कर्त्तव्य पालन करने का दायित्व है तो ऐसे कर्त्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति पर डाल कर अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता।

(४) यदि किसी कार्य का स्वरूप या प्रकृति ही ऐसी है कि उसके करने में दूसरे को क्षति पहुँचने की सम्भावना है तो ऐसे कार्य के लिए यह आवश्यक है कि ठेकेदार को कार्य देते समय मालिक हर सम्भव सतर्कता बरते। ऐसा कार्य यद्यपि स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किया गया हो पर उत्तरदायित्व मालिक पर होगा।

(५) श्रमिक प्रतिकर अधिनियम (Workmen's Compensation Act) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था के अनुसार।

स्मरण रहे कि यदि ठेकेदार अपना कोई उप ठेकेदार (Sub Contractor) नियुक्त करता है तो प्रधान ठेकेदार (Principal Contractor) ही उप ठेकेदार के कृत्यों द्वारा की गई क्षति का उत्तरदायी माना जायगा।

(ग) समस्या :—प्रस्तुत समस्या की घटनाएं एलिस प्रति कोफोर्ड गैस कन्ज्यूमर्स कम्पनी (१३ एल० जे० क्यू० बी० ४२) की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले में यह तय हुआ है कि क्योंकि कम्पनी को उस सड़क पर खाइयाँ खुदवाने का अधिकार नहीं था इसलिए कम्पनी का उस सड़क पर खाइयाँ खुदवाने का ठेका देना ही एक अवैध कार्य था। अतएव कम्पनी क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्न ३१—(अ) सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त (The Doctrine of Common Employment) की व्याख्या कीजिए।

(ब) एक व्यक्ति ने जिसे एक कुत्ते की रखवाली के लिए नौकर रखा गया था, अपने स्वामी की एक अन्य सेविका के साथ परिहास करने के निमित्त उसके ऊपर कुत्ते को ढीला छोड़ दिया। कुत्ते ने उस सेविका को काट लिया। क्या ऐसी परिस्थिति में सेविका स्वामी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकती है ?

उत्तर—(अ) सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त (The Doctrine of Common Employment)—इंग्लैण्ड के सब साधारण कानून के अनुसार यदि किसी स्वामी के एक से अधिक सेवक होते हैं और कोई एक सेवक दूसरे सेवक को अपनी असावधानी द्वारा क्षति पहुँचाता है तो ऐसी क्षति के लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं माना जाता है। लेकिन यह नियम कानून सुधार (शारीरिक क्षति) अधिनियम, १९४८ [The Law Reforms (Personal Injuries) Act, १९४८]

द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस नियम को रद्द करने का कारण यह है कि सेवा-काल में सभी प्रकार की क्षति प्राप्त करने पर सेवक को स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे इस प्रकार की क्षति सह सेवक (Fellow servant) की असावधानी से हुई हो या क्षतिप्राप्त व्यक्ति की अपनी स्वयं की असावधानी के कारण हुई हो। सह सेवक द्वारा पहुँचाई क्षति के लिए स्वामी से क्षतिपूर्ति पाने का मुकदमा चलाने के लिए क्षतिप्राप्त सेवक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है —

(१) जिस सेवक को क्षति पहुँची हो और जिस सेवक द्वारा क्षति पहुँचाई गई हो, उन दोनों को सह सेवक होना अनिवार्य है, अर्थात् दोनों एक ही स्वामी के सेवक हों, तथा

(२) दुर्घटना के समय दोनों सामूहिक रूप से एक साथ कार्य कर रहे हों।

सह-सेवक के अन्तर्गत एक स्वामी के ऐसे दो सेवक भी आते हैं जिनमें एक प्रवर (Superior तथा दूसरा उसका अधीन (Subordinate) हो।

उपर्युक्त कानून सुधार (शारीरिक क्षति) अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत ऐसे संविदा (Contracts) भी निष्प्रभाव (Void) माने जाते हैं जिनमें कि स्वामी अपने सेवकों से इस प्रकार का समझौता करे कि वह सह-सेवक द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी नहीं होगा।

सामूहिक नौकरी का जो सिद्धान्त इंग्लैण्ड में प्रचलित है, उसे भारत में लागू करने में भारतीय न्यायालयों में मतभेद है। बम्बई और नागपुर उच्च न्यायालयों की राय में सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत में लागू नहीं होता है। लेकिन इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की राय में सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत में लागू होता है।

(घ) समस्या —प्रस्तुत समस्या की घटनाएँ बेकर प्रति स्नल [(१९०८) २ के० बी० ३५२] की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले का निर्णय इस सिद्धान्त के आधार पर हुआ है कि किसी खतरनाक जानवर का रखवाला जो उस जानवर को खतरनाक जानता है, अपनी जिम्मेदारी पर रख सकता है और यदि उससे किसी को कोई क्षति पहुँचती है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। इस मामले में सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त की दलील नहीं दी गई थी। सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त के अन्तर्गत स्वामी सेविका की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दुर्घटना सह-सेवक की असावधानी के कारण हुई।

प्रश्न ३२ —स्वामी का सेवक के प्रति क्या उत्तरदायित्व है ? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—स्वामी का उत्तरदायित्व सेवक के प्रति —श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२५ एवं १९४६ [The Workmen's Compensation Act, 1925 & 1946) के अन्तर्गत प्रत्येक स्वामी को अपने सेवक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है यदि सेवक काम करते समय किसी दुर्घटनावश काम करने के अयोग्य हो जाय। इस अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति की सेवा करते समय मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रितों (Dependents) को मृतक सेवक के स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगा।

स्मरण रहे कि एक आहत व्यक्ति को क्षतिपूर्ति उसी अवस्था में देय होगी जबकि वह यह सिद्ध कर दे कि—

(१) उसको दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति पहुँची है,

(२) दुर्घटना सेवा करते समय हुई है

(३) दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति के कारण वह तीन दिन से अधिक के लिए अपना जीविकोपार्जन करने के अयोग्य हो गया हो, तथा

(४) शारीरिक क्षति सेवा सम्बन्ध के कारण हुई है।

यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि यदि सेवक की शारीरिक क्षति सेवक के कर्तव्य से तनिक भी सम्बद्ध है तो वह शारीरिक क्षति सेवा के कारण हुई समझी जानी चाहिए। इस विषय में निम्नवत प्रतिस्टन एवं बर्न [(१९१०) २ के० बी० ६८६] का मुकदमा उल्लेखनीय है। एक बार एक खजांची जिसका काम यह था कि वह बहुत सा धन बैंक से लाने व मजदूरों का बाटने के लिए ले जाय, रास्ते में मार डाला गया। इस पर खजांची के परिवार के आश्रितों ने उसके मृतक के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि खजांची को शारीरिक क्षति सेवा करते समय पहुँची है।

अन्डरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि सेवक दुर्घटनावश काम करने के लिए अस्थायी अयोग्य हो गया है और यह सिद्ध हो जाय कि दुर्घटना का कारण *सेवक का जान बूझ कर दुराचार (Wilful misconduct) है* तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन यदि जान बूझ कर किये गये दुराचरण के कारण सेवक की सेवा करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाय तो स्वामी को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगा।

प्रश्न ३३ —संयुक्त क्षतिकर्ता की परिभाषा देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें संयुक्त दायित्व का उदय होता है।

उत्तर —संयुक्त क्षतिकर्ता (Joint Tort feasors) —जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई क्षतिकृत्य करते हैं तो वह संयुक्त क्षतिकर्ता (Joint Tortfeasors) कहलाते हैं। संयुक्त क्षतिकर्ता संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति देने के उत्तरदायी हैं। क्षतिप्राप्त व्यक्ति का अधिकार है कि वह सब क्षतिकर्ताओं पर मुकदमा चलाकर उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करे अथवा उनमें से किसी एक पर मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति की पूरी धनराशि वसूल करे। यदि क्षतिप्राप्त व्यक्ति ने संयुक्त क्षतिकर्ताओं पर एक साथ मुकदमा चलाया है और डिक्री प्राप्त कर ली है तो वह डिक्री का निष्पादन किसी एक क्षतिकर्ता के विरुद्ध जारी कराकर पूरी धनराशि उससे वसूल कर सकता है —

संयुक्त दायित्व उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ —वे परिस्थितियाँ जिनमें कि संयुक्त दायित्व का उदय होता है, निम्नलिखित हैं —

(१) एजेन्सी (Agency) —प्रधान और एजेन्ट दोनों ही एजेन्ट के क्षति-पूर्ण कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं।

(२) संयुक्त कृत्य (Joint actions) —जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी क्षतिपूर्ण कृत्य को करते हैं तो वे सभी क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी होते हैं।

(३) अन्य व्यक्तियों के कृत्य का उत्तरदायित्व (Vicarious liability) —जब कोई व्यक्ति ऐसा क्षतिपूर्ण कृत्य करता है जिसका उत्तर-दायित्व अन्य व्यक्ति पर होता है तब वह ऐसी परिस्थितियों में क्षतिपूर्ण कृत्य का करने वाला तथा अन्य व्यक्ति दोनों ही उत्तरदायी ठहराए जाते हैं और दोनों ही संयुक्त क्षतिकर्ता की कोटि में रखे जाते हैं।

प्रश्न ३४ —(अ) संयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली क्षति-पूर्ति का परस्पर विभाजन किस प्रकार किया जाता है? संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

(ब) 'क' और 'ख' के किसी क्षतिपूर्ण कृत्य से 'ग' के कारखाने को क्षति पहुँचती है और वह 'क' और 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला कर १००० रु० की डिक्री प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह डिक्री का रुपया केवल 'क' से वसूल करता है। क्या 'क' 'ख' से क्षतिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है?

उत्तर (अ) क्षतिपूर्ति की धनराशि का संयुक्त क्षतिकर्ताओं के बीच विभाजन —इंग्लैण्ड के सर्वसाधारण कानून (Common Law) का यह नियम था कि यदि संयुक्त क्षतिकर्ताओं में से किसी एक से क्षतिपूर्ति की पूरी धनराशि वसूल कर ली गई हो तो वह व्यक्ति अपने अन्य साथी क्षतिकर्ताओं से उस धनराशि का कोई भी भाग वसूल नहीं कर सकता था। लेकिन यह नियम अब कानून सुधार अधिनियम, १९३५ (Law Reforms Act, 1935) के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अब यह प्राविधान है कि यदि संयुक्त क्षतिकर्ताओं में से किसी एक को अकेले ही क्षतिपूर्ति की सारी धनराशि देनी पड़ी तो वह अन्य संयुक्त क्षतिकर्ताओं से इस धनराशि का उचित अनुपात वसूल कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक क्षतिपूर्ण कृत्य के करने वाले तीन संयुक्त क्षतिकर्ता हैं और न्यायालय ने उन पर ३०० रु० की डिक्री कर दी है तो जिस व्यक्ति ने डिक्री की सारी धनराशि दी है, उसको अधिकार है कि वह अन्य दो व्यक्तियों से धनराशि का उचित अनुपात, अर्थात् २०० रु० वसूल कर ले।

(ब) समस्या —संयुक्त क्षतिकर्ताओं में क्षतिपूर्ति की धनराशि के परस्पर विभाजन का नियम यह है कि यदि संयुक्त क्षतिकर्ताओं में से किसी एक को अकेले ही क्षतिपूर्ति की सारी धनराशि देनी पड़े तो वह अन्य संयुक्त क्षतिकर्ताओं से उस धनराशि का उचित अनुपात वसूल कर सकता है। प्रस्तुत मामले में क्षतिपूर्ति की सारी धनराशि अकेले 'क' से वसूल कर ली गई है। अतएव वह 'ग' से क्षतिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है।

प्रश्न २५ —(अ) संयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति (Nature) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(ब) क्षतिपूर्ति के एक मुकदमे में वादी ने संयुक्त क्षतिकर्ताओं में से कुछ को प्रतिवादी नहीं बनाया। क्या वादी उन संयुक्त क्षतिकर्ताओं से जिन्हें उसने प्रतिवादी बनाया है, क्षतिपूर्ति की सारी धनराशि वसूल करने का अधिकारी है? क्या यदि वादी किसी एक संयुक्त क्षतिकर्ता से समझौता कर ले तो वह अन्य संयुक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही चालू रखने का अधिकारी नहीं रहेगा?

उत्तर—(अ) संयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति —मायवाला के मतानुसार संयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति पर कानून सुधार (विवाहित स्त्री एवं क्षतिकर्ता) अधिनियम, १९३५ [The Law Reforms (Married Women and Tort feasors)

Act, 1935] का विशेष प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम ने अब यह निश्चित कर दिया है कि एक संयुक्त क्षतिकर्ता के विरुद्ध निर्णय प्राप्त करने के बाद दूसरे संयुक्त क्षतिकर्ताओं पर क्षतिपूर्ति वसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

(घ) समस्या —संयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किया गया दायित्व संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों है, अर्थात् संयुक्त क्षतिकर्ता संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति देने के उत्तरदायी हैं। अतएव वादी ने यदि क्षतिपूर्ति के मुकदमे में कुछ संयुक्त क्षतिकर्ताओं को प्रतिवादी नहीं बनाया है तो जिनको उसने प्रतिवादी बनाया है उनसे भी वह क्षतिपूर्ति की सारी धनराशि वसूल करने का अधिकारी है।

समझौते का प्रभाव उसकी शर्तों पर अवलम्बित है। संयुक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध दावे का कारण एक ही होता है। अतएव किसी एक संयुक्त क्षतिकर्ता से समझौता कर लेने का प्रभाव दूसरे क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध दावे के कारण पर पड़ता है। एक प्रमुख मामले में यह तय हुआ है कि यदि वादी किसी एक संयुक्त क्षतिकर्ता से समझौता कर ले और इस प्रकार उसे दायित्व से मुक्त कर दे किन्तु उसका इरादा दूसरे संयुक्त क्षतिकर्ताओं को उनके दायित्व से मुक्त करने का न रहा हो तो वह उसी अनुपात से दूसरे संयुक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही चालू रखने का अधिकारी रहेगा। [रामरतन कपाली प्रति अश्विनी कुमार दत्त, आई० एल० आर० ३७ कलकत्ता, ५५६]

क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण और उनके प्रति उपाय

CLASSIFICATION OF TORTS AND REMEDIES

प्रश्न ३६—क्या क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है ? क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण दीजिये।

उत्तर —क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण (Classification of Torts) इसमें सन्देह नहीं कि कुछ वर्ग के क्षतिकृत्यों को नाम दिया जाना सम्भव है, जैसे मान हानि, बाधा (Nuisance), अपमानकारी लेख इत्यादि। परन्तु विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के क्षतिकृत्यों का नाम दिया जाना सम्भव नहीं है। अतएव यह धारणा गलत नहीं है कि क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हो सकता। फिर भी सुविधा के लिए क्षतिकृत्यों की तालिका तैयार की जा सकती है जो निम्नलिखित है —

१ शरीर के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Person)
  (अ) मृत्यु (Death)
  (आ) मानसिक एवं स्नायुविक आघात (Mental and nervous shock),
  (इ) आक्रमण (Assault),
  (ई) अपहार (Battery),
  (उ) अंग भंग (Mayhem),
  (ऊ) मिथ्या कारावास (False Imprisonment)

२ प्रतिष्ठा के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Reputation)
  मानहानि (Defamation) जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिकृत्य हैं
  (क) अपमानकारी लेख (Libel)
  (ख) अपमानकारी वचन (Slander)

३ पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts relating to Domestic relations)

(अ) मातृ पितृ सम्बन्धी अधिकार के प्रति (Torts relating to parental rights),

(ब) दाम्पत्य अधिकार के प्रति (Torts relating to marital rights),

(स) स्वामी के अधिकार के प्रति (Torts relating to master's rights)।

४ सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to property)

(अ) अनधिकार प्रवेश (Trespass),

(ब) निष्कासन (Dispossession),

(स) परिवर्तन (Conversion)

५ शरीर एवं सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to person and property),

(अ) छल (deceit),

(ब) असावधानी (Negligence),

(स) बाधा (Nuisance),

(द) षड्यन्त्र (Conspiracy),

(य) द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution),

६ संविदा पर आधारित क्षतिकृत्य (Torts founded on contract),

७ व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य (Torts relating to business)

८ विविध (Miscellaneous)

प्रश्न ३८—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra Judicial) उपायों से आप क्या समझते हैं? क्षतिकृत्यों के प्रति विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra-Judicial) उपाय —क्षति कृत्यों के प्रति हमको दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। ये दो प्रकार के उपाय न्यायिक (Judical) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra judicial) उपाय कहे जाते हैं। न्यायिक उपाय वे हैं जो न्याय प्रणाली द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त न्यायिक उपाय वे हैं जिनमें कि क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिकृत्य से बचाव के लिए न्याय को अपने हाथ में ले लेता है। हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें व्यक्ति को तुरन्त न्यायिक उपाय उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यक्ति को अतिरिक्त न्यायिक उपायों द्वारा अपने कानूनी अधिकारों का बचाव करने की छूट देता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपको शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए आक्रमण करे तो आपको अपनी स्वरक्षा के लिए अधिकार है कि आप उसको तुरन्त ऐसी क्षति पहुँचायें कि वह आक्रमण करने में असमर्थ हो जाय।

क्षतिकृत्यों के प्रति विभिन्न प्रकार के उपाय निम्नलिखित हैं —

न्यायिक उपाय

(१) क्षति पूर्ति (Damages) —यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के क्षतिकृत्य द्वारा क्षति पहुँची है तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह क्षतिकर्ता पर क्षति पूर्ति का मुकदमा चलाकर उससे क्षति पूर्ति प्राप्त कर ले।

(२) न्यायादेश (Injunction) —आम तौर से न्यायादेश क्षति को रोकने के लिए जारी किए जाते हैं, किन्तु अन्य परिस्थितियों में भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। न्यायादेश द्वारा न्यायालय किसी क्षतिकृत्य की पुनरुक्ति (Repetition) या स्थिरता (Continuance) को भी रोक सकता है। कहा जा सकता है कि यदि क्षतिपूर्ति की गई क्षति अथवा हानि की पूर्ति के लिए उपलब्ध उपाय है तो न्यायादेश वर्तमान क्षतिपूर्ण कृत्य या भविष्य में होने वाले क्षति पूर्ण कृत्य के प्रति उपलब्ध उपाय है। स्मरण रहे कि न्यायादेश दो प्रकार के होते हैं एक तो निषेधात्मक (Prohibitory) तथा दूसरे आदेशात्मक (Mandatory)। निषेधात्मक न्यायादेश में किसी क्षतिपूर्ण कृत्य के किए जाने की मनाही होती है और आदेशात्मक न्यायादेश में प्रतिवादी को कोई विशेष कार्य करने का आदेश होता है। यह बात भी स्मरणीय है कि न्यायादेश चाहे निषेधात्मक हो अथवा आदेशात्मक, दोनों या तो अन्तरिम (Interlocutory) होते हैं या स्थायी (Permanent or Perpetual) होते हैं। अन्तरिम न्यायादेश का उद्देश्य यह है कि मुकदमे के अन्तिम निर्णय तक क्षतिकर्त्ता को क्षतिपूर्ण कृत्य करने से रोका जाए और यदि वह कृत्य एक बार किया जा चुका है तो उसकी पुनरुक्ति रोक दी जाए। इस प्रकार के न्यायादेश मुकदमे के अन्तिम निर्णय से पूर्व जारी किए जाते हैं। इसके विपरीत स्थायी न्यायादेश मुकदमे के निर्णय के उपरान्त ही जारी किए जाते हैं।

(३) सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति (Restitution of property) —यदि किसी व्यक्ति की चल अथवा अचल सम्पत्ति प्रतिवादी ने अनुचित ढंग से हथिया ली है तो वादी को अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति को वापस ले ले और जितने दिन उसकी सम्पत्ति प्रतिवादी के अनुचित कब्जे में रही है और उसे जो क्षति पहुँची है उसके लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाए। यह न्यायिक उपाय विशिष्ट सम्पत्ति (Specific property) की पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध होता है।

अतिरिक्त न्यायिक उपाय

(१) स्वरक्षा (Self-defence) —परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों के बचाव के लिए स्वरक्षा Self defence) का अधिकार प्राप्त है। स्वरक्षा में किया गया क्षतिपूर्ण कृत्य क्षतिकृत्य नहीं है।

(२) निष्कासन तथा पुनर्प्रवेश (Dispossession and re entry) जिस व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर तुरन्त आधिपत्य (Possession) प्राप्त करने का अधिकार है वह अनधिकृत प्रवेश कर्ता (Trespasser) को सम्पत्ति से निष्कासित (Dispossessed) करके उस पर पुनःप्रवेश (Re-entry) कर सकता है। लेकिन इस प्रकरण में यह स्मरण रहे कि इस प्रकार निष्कासित करने के लिए केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी कि नितान्त आवश्यक है।

(३) पुनर्ग्रहण (Recaption) —यदि कोई व्यक्ति जिसको अपनी सम्पत्ति पर तुरन्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार है ऐसी सम्पत्ति को अनधिकृत प्रवेशकर्ता के पास देखता है तो उसे अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति का उस अनधिकृत व्यक्ति से पुनर्ग्रहण करे। लेकिन इस काम में केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जितनी कि नितान्त आवश्यक है तथा जिसमें शान्ति भंग होने की तनिक भी सम्भावना नहीं है।

(४) बाधाओं का अपसरण (Abatement of nuisance) —इस अतिरिक्त न्यायिक उपाय के अन्तर्गत व्यक्ति को जिसकी भूमि पर बाधा उपस्थित की गई है इस बाधा को समाप्त करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की भूमि पर वृक्ष की शाखाएं लटक रही हों जिनसे उसकी भूमि को हानि पहुँच रही हो तो उसे अधिकार है कि वह पड़ोसी के वृक्ष की शाखाएं अपनी भूमि की बाधा दूर करने के लिए कटवा दे।

(५) अभिहरण (Distress damage feasant) —यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के ढोर (Cattle) अनधिकार प्रवेश कर जाएँ और भूमि पर उगी हुई घास की क्षति पहुँचायें तो भूमि के स्वामी को अधिकार है कि वह उन ढोरों का अभिहरण करले और उनको तब तक वापस न करे जब तक कि उन ढोरों का स्वामी ढोरों द्वारा की गई क्षति को पूरा न कर दे। यह नियम प्रत्येक चल सम्पत्ति के प्रति लागू होता है।

सामण्ड (Salmond) के मतानुसार अभिहरण भूमि पर आधिपत्य (Possession) रखने वाले का वह कानूनी अधिकार है जिसके द्वारा वह अपनी भूमि पर अनधिकार प्रविष्ट की गई चल सम्पत्ति का अभिहरण कर सकता है और उसे अपने अधिकार में तब तक रोक सकता है जब तक कि अनधिकार प्रविष्ट की गई सम्पत्ति का स्वामी क्षति पूर्ति न कर दे। ध्यान रहे कि भूमि के स्वामी को उक्त चल सम्पत्ति के केवल रोक रखने का अधिकार है और वह उसका विक्रय नहीं कर सकता।

प्रश्न ३८ —क्षतिपूर्ति (Damage) से क्या तात्पर्य है? इसकी विभिन्न कोटियों का वर्णन कीजिये।

उत्तर—क्षतिपूर्ति (Damage) — क्षति कृत्य द्वारा की गई क्षति को पूरा करने के लिये दी गई धनराशि को क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षतिपूर्ति क्षतिप्राप्त व्यक्ति को वास्तविक रूप में पहुँची क्षति तक ही सीमित रही है, बल्कि उसका उद्देश्य क्षतिकर्ता को दण्ड देना भी होता है। प्रतिवादी अपने क्षतिपूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी है, भले ही वह क्षति पहुँचाने का इरादा न रखता हो अथवा उसके कृत्य से क्षति पहुँचेगी, इसका पूर्वज्ञान उसे न हो।

क्षतिपूर्ति की कोटियाँ

क्षतिपूर्ति को साधारणतया चार कोटियों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं —

(१) साधारण क्षतिपूर्ति (Ordinary damage) — यह क्षतिपूर्ति तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को वास्तव में क्षति पहुँचती है। इसको वास्तविक क्षतिपूर्ति (Real damage) भी कहते हैं। सामण्ड (Salmond) ने इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधारण अथवा वास्तविक क्षतिपूर्ति का उद्देश्य क्षतिप्राप्त व्यक्ति को हर्जाना देकर उसे वास्तव में पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति करना है।

(२) उदाहरणीय क्षतिपूर्ति (Exemplary damage) — यह क्षतिपूर्ति प्रतिवादी के लिए एक प्रकार से अर्थ दण्ड के रूप में होती है और इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों के क्षतिपूर्ण कार्यों को करने की प्रवृत्ति पर पड़ता है। सामण्ड (Salmond) के मतानुसार इस प्रकार की क्षतिपूर्ति देने का उद्देश्य वास्तविक क्षति से अधिक की धनराशि को देना है जिससे कि यदि वादी को भौतिक (Material) हानि के अतिरिक्त किसी प्रकार की मानसिक ठेस आदि लगी हो तो उस क्षति की भी पूर्ति हो जाय और वह अर्थदण्ड के रूप में अन्य व्यक्तियों के लिए भी उदाहरण हो जाय। उदाहरणार्थ, प्रतिवादी ने वादी की अविवाहित कन्या को प्रलोभन देकर उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार वादी अपनी कन्या की सेवाओं से वंचित हो गया तथा प्रतिवादी के इस अनुचित कृत्य से अपमानित भी हुआ। ऐसी परिस्थिति में वादी को पहुँचे दोहरे आघात की क्षतिपूर्ति के लिये न्यायालय उदाहरणीय क्षतिपूर्ति (Exemplary damage) प्रदान कर सकता है।

(३) नाममात्र क्षतिपूर्ति (Nominal damage) — इस प्रकार की क्षतिपूर्ति तब प्रदान की जाती है जब कि क्षति का उद्देश्य क्षति प्राप्त व्यक्ति के

अधिकार को केवल मात्र मान्यता (Recognition) देना होता है। इसमें धनराशि केवल नाममात्र के लिये ही होती है।

(४) तिरस्कारयुक्त क्षतिपूर्ति (Contemptuous damage) — इस प्रकार की क्षतिपूर्ति ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जब न्यायालय की दृष्टि में वादी को पहुँची क्षति बहुत ही तुच्छ होती है और वादी को ऐसी तुच्छ क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था। ऐसी क्षतिपूर्ति साधारणतया मान हानि (Defamation) से सम्बन्धित मुकदमों में प्रदान की जाती है।

अन्य वर्गीकरण

क्षतिपूर्तियों का वर्गीकरण एक और प्रकार से भी किया जाता है जिसके अनुसार क्षतिपूर्तियों की निम्नलिखित कोटियाँ हैं —

(१) सामान्य क्षतिपूर्ति (General damage) — यह क्षतिपूर्ति ऐसी परिस्थिति में प्रदान की जाती है जिसमें कि कानून यह अनुमान कर लेता है कि वादी के कानूनी अधिकार का भंग करने के कारण उसको क्षति पहुँची है। ऐसे मामलों में यह बात निरर्थक है कि वास्तव में वादी को क्षति पहुँची है या नहीं। वादी को यह सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है कि उसे प्रतिवादी के कार्य से हानि हुई है।

(२) विशिष्ट क्षतिपूर्ति (Special damage) — यह क्षतिपूर्ति ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जिसमें वादी यह सिद्ध कर देता है कि वास्तव में उसे क्षति पहुँची है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये वास्तव में दलील का उल्लेख होना चाहिए।

प्रश्न १६ — क्षति की दूरस्थता (Remoteness of damage) से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर — क्षति की दूरस्थता (Remoteness of damage) — क्षति की दूरस्थता से हमारा तात्पर्य ऐसी क्षति से है जो क्षतिप्रद कार्य का अप्रत्यक्ष परिणाम हो। असल में कानून केवल उन क्षतियों की पूर्ति कराता है जो कि क्षतिप्रद कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुई हों। यदि किसी कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप तो वादी को कोई हानि न पहुँची हो किन्तु परोक्ष परिणाम स्वरूप उसे हानि पहुँच गई हो तो ऐसी परिस्थिति में कानून वादी को प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति नहीं दिलाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति की मोटर गाड़ी से दुर्घटना होने पर किसी व्यक्ति को चोट पहुँचे तो उसकी मृत्यु, या चोट लगने वाले व्यक्ति के आश्रितों

से मोटरगाड़ी चलाने का प्रत्यक्ष परिणाम है और वह क्षतिकर्ता व्यक्ति उस क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यदि उस कुचले हुए व्यक्ति का नौकर मोटरगाड़ी के स्वामी पर इस कारण मुकदमा चलाए कि उस व्यक्ति के मर जाने से उसकी नौकरी समाप्त हो गई तो यह कहा जायगा कि नौकर की क्षति दूरस्थ (Remote) है और इसलिए उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है।

यह बात निश्चित करना कि कब क्षति कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम है और कब परोक्ष, बहुत ही कठिन कार्य है और इसके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता। इस बात पर विचार करने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में यह प्रश्न ध्यान में रखना चाहिए कि वह क्षति प्रतिवादी द्वारा किए गए क्षतिपूर्ण कृत्य का परिणाम है या अथवा नहीं। रतनलाल धीरजलाल के मतानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में यह मान लेना चाहिए कि प्रतिवादी के कृत्य का परिणाम दूरस्थ है —

(१) जब कि प्रतिवादी के कृत्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वादी को क्षति न पहुँची हो।

(२) जब कि क्षति विशेषकर वादी के अपने कृत्य का परिणाम हो।

(३) जब कि क्षतिपूर्ण कृत्य किसी अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति (Independent third person) के कर्म का ऐसा परिणाम हो जिसका पूर्व प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी और जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता था कि उस अन्य व्यक्ति के कृत्य के परिणामस्वरूप वादी के आचरण से इस प्रकार की हानि होगी।

स्मरण रहे कि यदि प्रतिवादी एक बार अपने किसी अनुचित कृत्य के लिए उत्तरदायी मान लिया गया तो वह उस कृत्य द्वारा उत्पन्न सभी प्रत्यक्ष परिणामों का भी उत्तरदायी माना जायगा चाहे साधारण विवेक वाला व्यक्ति उस कृत्य द्वारा जनित परिणाम का पूर्व प्रत्याशा कर सकने की क्षमता रखता हो अथवा नहीं, [स्मिथ प्रति एल० एस० डबल्यू० रेल, (१८७०) एल० आर०६ सी० १४]।

क्षति की दूरस्थता के विषय में सिद्धान्तों का सारांश निम्नलिखित है —

(१) यदि किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर कोई कृत्य किया गया हो तो उस कृत्य द्वारा यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो गया है तब किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जायगा कि कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम दूरस्थ है।

(२) यदि कृत्य और उसके परिणाम के बीच किन्हीं अन्य तत्वों ने हस्तक्षेप किया है जिसके कारण ही वह कृत्य क्षतिपूर्ण हो गया है तो उस कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम उस कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम के अन्तर्गत नहीं माना जायगा।

(३) किसी कृत्य के संकल्प विहीन परिणाम अवसर दूरस्थ परिणाम कहे जाते हैं।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादी के कृत्य और उसके वादी के प्रति परिणाम के बीच वादी ने जो हस्तक्षेप किया उसमें असावधानी का तत्व वर्तमान था तो वादी ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी के ऐसे कृत्य द्वारा की गई क्षति जिसकी कोई साधारण विवेक वाला व्यक्ति पूर्व प्रत्याशा नहीं कर सकता साधारणतः दूरस्थ क्षति कही जाएगी।



(२) यह प्रहार या स्पर्श उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं आज्ञा के विरुद्ध होना तथा

(३) यह निरर्थक है कि शरीर का स्पर्श धीरे से किया गया अथवा इस प्रकार उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट हुआ या नहीं।

आक्रमण (Assault) और सम्प्रहार (Battery) का अन्तर—आक्रमण और सम्प्रहार दोनों विभिन्न प्रकार के क्षतिपूर्ण कृत्य हैं। आक्रमण में केवल प्रहार की धमकी मात्र दी जाती है, जबकि सम्प्रहार में शरीर पर प्रहार अथवा उसका स्पर्श भी किया जाता है। स्टैल्लान पोरच लान्त के मतानुसार आक्रमण में शरीर का वास्तव में स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु सम्प्रहार में ऐसा होना अनिवार्य है। यद्यपि दोनों क्षतिपूर्ण कृत्यों में गति (Motion) आवश्यक है परन्तु जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध बल का अनधिकृत प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग में उस दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो वह कृत्य जो बिना स्पर्श के आक्रमण होता, सम्प्रहार के अन्तर्गत आ जाता है।

प्रश्न ४२—आक्रमण और सम्प्रहार किन परिस्थितियों में अभियोज्य (Actionable) नहीं हैं? विवेचना कीजिये।

उत्तर—**आक्रमण और सम्प्रहार का औचित्य**—आक्रमण और सम्प्रहार के क्षतिपूर्ण कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोज्य नहीं हैं।

(१) **स्वरक्षा (Self defence)**—यदि किसी व्यक्ति ने आक्रमण या सम्प्रहार अपनी स्वरक्षा के लिए किया है तो वह उनके दायित्व से मुक्त समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा के अधिकार को सिद्ध करने की जिम्मेदारी हमेशा प्रतिवादी पर होती है।

(२) **सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property)**—सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सम्प्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा के लिए कृत्य करते समय केवल उतना ही बल प्रयुक्त होना चाहिये जितना कि उस परिस्थिति में नितान्त आवश्यक हो। [हैलिंग प्रति थार, (१८५३)४ ई० ५३१]

(३) **सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण (Retaking of Property)**—किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसके अधिकृत सेवक को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति से जिसने कि उसकी सम्पत्ति को गैरकानूनी ढंग से हथिया लिया हो वापस ले ले। इन मामलों में किया गया आक्रमण या सम्प्रहार क्षम्य है। [ब्लेड्स प्रति हिग्स, (१८६१) १० सी० बी० १०१]

(२) यदि कृत्य और उसके परिणाम के बीच किन्हीं अन्य तत्वों ने हस्तक्षेप किया है जिसके कारण ही वह कृत्य क्षतिपूर्ण हो गया है तो ऐसे कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम उस कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम के अन्तर्गत नहीं माना जायगा।

(३) किसी कृत्य के सङ्कल्प विहीन परिणाम अक्सर दूरस्थ परिणाम कहे जाते हैं।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादी के कृत्य और उसके वादी के प्रति परिणाम के बीच वादी ने जो हस्तक्षेप किया उसमें असावधानी का तत्व वर्तमान था तो वादी ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी के एक कृत्य द्वारा की गई क्षति जिसकी कोई साधारण विवेक वाला व्यक्ति पूर्व प्रत्याशा नहीं कर सकता साधारणतः दूरस्थ क्षति कही जाएगी।



३

शरीर के प्रति क्षतिकृत्य

(WRONGS TO PERSON)

प्रश्न ४० —(अ) आक्रमण (Assault) की परिभाषा दीजिए और उन तथ्यों का उल्लेख कीजिये जो इस क्षतिकृत्य को सिद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

(ब) 'क' ने 'ख' के ऊपर आक्रमण किया और उसके हाथ को साधारण चोट पहुँचाई। अचानक 'ख' की चोट का घाव सप्टिक (Sceptic) बन गया जिसके परिणाम स्वरूप 'ख' एक लम्बे समय तक बीमार रहा। 'ख' ने 'क' के विरुद्ध सारी क्षतिपूर्ति पाने के लिये मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में क्षतिपूर्ति का माप क्या होगा ?

उत्तर (अ) आक्रमण (Assault) —आक्रमण से तात्पर्य ऐसे कृत्य से है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करने की धमकी देते हुए प्रहार करने की स्थिति में हो। इस कृत्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आक्रमण करने वाला विपक्षी के शरीर पर प्रहार करे अथवा उसके शरीर का स्पर्श करे। लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि प्रत्येक धमकी को आक्रमण की कोटि में नहीं रखा जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में आक्रमण की धमकी दे जब कि वह उसकी पहुँच के बाहर हो तो यह आक्रमण नहीं माना जायगा। यदि कोई बन्दी बन्दीगृह के कटघरे के पीछे से बन्दीगृह के बाहर खड़े किसी व्यक्ति पर प्रहार करने के लिये मुट्ठी तान कर प्रहार करने की धमकी दे तो यह मुट्ठी तानना आक्रमण नहीं कहलायगा क्योंकि इस प्रकार कटघरे में बन्द बन्दी कटघरे से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को घूसा मारने में पूर्णतया असमर्थ है।

आक्रमण को क्षतिकृत्य के रूप में सिद्ध करने के लिये वादी को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है :—

(१) यह कि प्रतिवादी के व्यवहार व भाव भंगी आदि से ऐसा प्रतीत होता था कि वह वादी के विरुद्ध बल का प्रयोग करने वाला है।

(२) यह कि प्रतिवादी के व्यवहार व भाव भंगी आदि इस प्रकार के थे कि वादी को यह भय हो गया कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध अवश्य ही बल का प्रयोग करने वाला है, एवं

(३) यह कि प्रतिवादी वादी पर आक्रमण करने की स्थिति में था, अर्थात् वादी प्रतिवादी की पहुँच के भीतर था।

(ग) समस्या —क्षतिपूर्ति के लिये यह एक सामान्य नियम है कि प्रतिवादी अपने क्षतिपूर्ण कृत्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पहुँचाई गई सभी क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी है चाहे वह उस क्षति को पूर्व प्रत्याशा नहीं रखता हो। प्रस्तुत मामले में 'ख' की चोट 'क' के क्षतिपूर्ण कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम है और घाव के सेप्टिक (Sceptic) बन जाने पर उसका लम्बे समय तक बीमार रहना 'ग' के क्षतिपूर्ण कृत्य के परिणाम का ही अंग माना जायगा। अतएव 'क' 'ख' की सारी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी है।

प्रश्न ४८ —सम्प्रहार (Battery) की परिभाषा देते हुए आक्रमण (Assault) और सम्प्रहार (Battery) के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—सम्प्रहार (Battery) —सम्प्रहार एक क्षतिपूर्ण कृत्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर का अनधिकृत स्पर्श करता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३५० में सम्प्रहार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है —"कोई व्यक्ति सम्प्रहार का अपराधी तब होता है जब वह स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को डराने या परेशान करने या हानि पहुँचाने की नीयत से उसके शरीर पर वास्तव में प्रहार करे या उसे स्पर्श करे।" इस क्षतिकृत्य के लिये यह बात निरर्थक है कि इस प्रकार प्रहार द्वारा वादी के शरीर को किसी प्रकार की चोट लगी या नहीं। यह बात भी आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी अपने किसी अंग द्वारा ही वादी के शरीर का स्पर्श करे। यदि प्रतिवादी ने वादी के शरीर का स्पर्श किसी अन्य वस्तु के माध्यम से किया है तो भी वह कृत्य सम्प्रहार के अन्तर्गत आ जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रतिवादी एक छड़ी द्वारा वादी के शरीर का स्पर्श करता है तो उसका यह कृत्य सम्प्रहार ही कहा जायगा। किसी व्यक्ति के ऊपर थूक देना भी सम्प्रहार के अन्तर्गत आता है। [(१९२७) ४३ टी० एल० आर० ४६५]

सम्प्रहार की उपर्युक्त परिभाषा के प्रकाश में उसके निम्नलिखित तत्व (Elements) हैं —

(१) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार या उसका स्पर्श होना,

(२) यह प्रहार या स्पर्श उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं आज्ञा के विरुद्ध होना, तथा

(३) यह निरर्थक है कि शरीर का स्पर्श धीरे से किया गया अथवा इस प्रकार उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट हुआ या नहीं।

आक्रमण (Assault) और सप्रहार (Battery) का अन्तर —आक्रमण और सप्रहार दोनों विभिन्न प्रकार के क्षतिपूर्ण कृत्य हैं। आक्रमण में केवल प्रहार की धमकी मात्र दी जाती है, जब कि सप्रहार में शरीर पर प्रहार अथवा उसका स्पर्श भी किया जाता है। रत्नलाल धीरज लाल के मतानुसार आक्रमण में शरीर का वास्तव में स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु सप्रहार में ऐसा होना अनिवार्य है। यद्यपि दोनों क्षतिपूर्ण कृत्यों में गति (Motion) आवश्यक है परन्तु जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध बल का अनधिकृत प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग में उस दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो वह कृत्य जो बिना स्पर्श के आक्रमण होता, सप्रहार के अन्तर्गत आ जाता है।

प्रश्न ८२ —आक्रमण और सप्रहार किन परिस्थितियों में अभियोज्य (Actionable) नहीं हैं? विवेचना कीजिये।

उत्तर —आक्रमण और सप्रहार का औचित्य —आक्रमण और सप्रहार के क्षतिपूर्ण कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोज्य नहीं हैं।

(१) स्वरक्षा (Self defence) —यदि किसी व्यक्ति ने आक्रमण या सप्रहार अपनी स्वरक्षा के लिये किया है तो वह उसके दायित्व से मुक्त समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा के अधिकार को सिद्ध करने की जिम्मेवारी हमेशा प्रतिवादी पर होती है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property) —सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा के लिये कृत्य करते समय केवल उतना ही बल प्रयुक्त होना चाहिए जितना कि उस परिस्थिति में नितान्त आवश्यक हो। [हॉलिंग बनाम मोरे, (१९५३)४ इ० ५३१]

(३) सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण (Retaking of Property) —किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसके अधिकृत सेवक को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति से जिसने कि उसकी सम्पत्ति को गैरकानूनी ढंग से हथिया लिया हो वापस ले ले। ऐसे मामले में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य है। [ब्लेड्स बनाम हिग्स, (१८६१) १० सी० बी० ७०१]

(४) अवश्यम्भावी दुर्घटना (Inevitable Accident) —यदि किसी अवश्यम्भावी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का अनधिकृत स्पर्श उसकी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े तो कानून उसको ऐसे कृत्य के लिये क्षमा कर देगा।

(५) विधिपूर्ण सुधार (Lawful correction) —माता पिता तथा अभिभावक अपने बच्चों को सुधारने के लिये विधिपूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं और उनके ये कृत्य अभियोज्य नहीं होते।

(६) अनुमति (Leave) —अनुमति से किये गये कृत्य क्षतिकृत्य होते हुए भी अभियोज्य नहीं समझे जाते हैं।

(७) सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा (Preservation of public peace) —सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा में किए गए आक्रमण या संप्रहार कानूनी रूप से क्षम्य हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में केवल उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि उपस्थित परिस्थिति में नितांत आवश्यक हो।

(८) कानूनी व्यवहार में किए गए कृत्य (Acts done in legal process) —कानूनी व्यवहार के लिए कृत्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति को आक्रमण या संप्रहार का प्रयोग करना पड़े तो उसका वह कृत्य क्षम्य समझा जाता है और अभियोज्य नहीं होता है।

प्रश्न ४३—मानसिक एवं स्नायविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति के कानून की विवेचना कीजिए।

उत्तर- मानसिक एवं स्नायुविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा क्षति —अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देख या सुनकर अथवा अनुभव करके किसी व्यक्ति के मन में आकस्मिक ठेस लगती है और कभी-कभी उसके परिणामस्वरूप उसके स्नायु इतने अधिक उत्तेजित हो जाते हैं कि उनमें उसके स्नायुओं को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। लेकिन कभी-कभी केवल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है। अतएव कानून का नियम यह है कि जब किसी घटना को देखने, सुनने या अनुभव करने से व्यक्ति को केवल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है और कोई स्नायुविक क्षति नहीं पहुँचती तो कानून के अन्तर्गत वह क्षति नहीं मानी जाती और वह मुकदमे का कारण (Cause of action) नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि मानसिक कष्ट अथवा असुविधा को मापने के लिए कोई यन्त्र उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि किसी कृत्य से क्षतिप्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति या शरीर

को हानि पहुंचने के साथ-साथ उसे मानसिक कष्ट भी पहुँचा हो तो ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति की धनराशि नियत करते समय साम्पत्तिक या शारीरिक क्षति के साथ मानसिक कष्ट पर भी विचार किया जाता है।

एक प्रमुख मामले में प्रतिवादी ने एक स्त्री से झूठ मूठ कह दिया कि उसका पति एक दुर्घटना में घायल हो गया और उसके दोनों पैर टूट गए। यह झूठा समाचार पाकर उस स्त्री को बहुत दुःख हुआ और वह बहुत अधिक बीमार हो गई। उसके पति को उसके इलाज में बहुत सा धन खर्च करना पड़ा। इस मुकदमे में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवादी वादी की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। [विल्किन्सन प्रति डाउटन, (१८९७) २ क्यू० बा० ५७]

मानसिक एवं स्नायुविक आघात के मामलों में क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित करने में प्रतिवादी के आचरण का भी ध्यान रखा जाता है। यदि प्रतिवादी का आचरण अनुचित रहा है या उसका उद्देश्य अनुचित रहा है तो क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ा दी जाती है।

प्रश्न ५४ —अंग भंग (Mayhem) नामक क्षतिकृत्य की परिभाषा दीजिए।

उत्तर—अंग भंग (Mayhem) —शरीर के प्रति किए गए क्षतियों में शत्रु के अतिरिक्त अंगभंग (Mayhem) ही सबसे अधिक गम्भीर क्षतिकृत्य समझा जाता है। यह ऐसी शारीरिक क्षति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी ज्ञानेन्द्रिय अथवा कर्मेन्द्रिय से वंचित कर दिया जाता है जबकि किसी का इन्द्रिय स्थायी रूप से एवं सामान्य रूप से काम करने के लिए दुर्बल हो जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैर, उंगली या दांत तोड़ या काट दिए जाएं या उसकी आँख फोड़ दी जाए तो उसे कानून की तकनीकी भाषा में अंगभंग (Mayhem) कहेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नाक या कान कुतर दिए जाएं तो वह कानून की तकनीकी भाषा में अंगभंग नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर, उंगली या दाँत के न रहने से वह व्यक्ति सदैव के लिए दुर्बल हो जाता है कि नाक या कान काट लिये जाने पर ऐसा नहीं होता।

यह बात भी स्मरणीय है कि अंगभंग करना अपराध भी है और उसके लिए फौजदारी कानून के अन्तर्गत भी मुकदमा चलाया जा सकता है और अपराधी को क्षतिपूर्ति के साथ साथ दण्ड भी दिलाया जा सकता है।

प्रश्न ५५ —मिथ्या कारावास (False Imprisonment) की परिभाषा देते हुए इसके तत्वों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—मिथ्या कारावास (False Imprisonment) की परिभाषा —मिथ्या कारावास (False Imprisonment) का तात्पर्य किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बिना किसी औचित्य (Justification) के पूर्ण अवरोध लगाने का है। रतनलाल धीरजलाल ने मिथ्या कारावास की परिभाषा इस प्रकार की है—"मिथ्या कारावास ऐसा क्षतिपूर्ण कृत्य है जिसमें कि किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर पूर्ण रूप से रुकावट डाली जाए तथा इस रुकावट डालने के लिए कोई कानूनी औचित्य न हो।"

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक आम रास्ते पर एक विशेष दिशा में उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने को मजबूर करे तो उसका यह कृत्य मिथ्या कारावास के अन्तर्गत आएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को केवल एक ओर जाने से ही उसकी इच्छा के विरुद्ध रोके तब वह केवल आंशिक कारावास (Partial Impr. sonment) कहा जाएगा और यह आंशिक कारावास मिथ्या कारावास के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि मिथ्या कारावास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो।

मिथ्या कारावास के तत्त्व —मिथ्या कारावास सिद्ध करने के लिए वादी को उसके निम्नलिखित तत्त्वों को सिद्ध करना चाहिए —

(१) यह कि उसकी स्वतन्त्रता (Liberty) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया, तथा

(२) यह कि वह प्रतिबन्ध बिना किसी कानूनी औचित्य के था।

वादी को यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि उसकी स्वतन्त्रता पर अवरोध काफी समय तक रहा अथवा उसे किसी कारागार या इस प्रकार के किसी अन्य स्थान में वास्तविक रूप में बन्द कर दिया गया। [बर्ड प्रति जोन्स, (१८४५) ७ क्यू० बी० ७४२] लेकिन यह बात सिद्ध करना आवश्यक है कि उसकी स्वतन्त्रता पर अवरोध गैरकानूनी था और वह अवरोध पूर्ण रूप से था।

प्रश्न ४६ —पुलिस तथा जन साधारण द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी स्वतन्त्रता पर अवरोध लगाने के प्रचलित भारतीय कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—गिरफ्तार करने का भारतीय कानून —भारत में गिरफ्तार (Arrest) करने का कानून दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के अन्तर्गत व्यवस्थित है। आम तौर पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी के वारण्ट (Warrant of arrest) की आवश्यकता होती है

और सामान्यत बिना उसके किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नही है। लेकिन इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और कुछ परिस्थितियों म पुलिस को बिना वारन्ट के भी गिरफ्तार करन का अधिकार रहता है।

भारत को दण्ड प्रक्रिया संहिता म अपराधों को दो वर्गों म बाँटा गया है। एक तो अनुमन्धेय (Cognizable) अपराध हैं जिनके किए जान पर संदिग्ध (Suspected) व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना किसी वारन्ट क गिरफ्तार कर सकता है। दूसरे वग के अपराध निरनुसन्धेय (Non cognizable) हैं जिनक किए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार नही किया जा सकता।

जन साधारण (Private persons) भी निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी स्वत त्रता पर अवरोध लगाने का अधिकार रखते हैं —

(१) जब किसी व्यक्ति पर इस बात का संदेह किया जा रहा हो कि उसने हत्या आदि जैसा गम्भीर अपराध किया है अथवा जब किसी व्यक्ति न वास्तव मे ऐसा अपराध किया हो,

(२) जब किसी व्यक्ति को सावजनिक शान्ति (Public peace) भग करते अथवा करन की कोशिश करत देखा गया हो,

(३) यदि किसी व्यक्ति की जमानत किसी व्यक्ति न की हो तो जिस व्यक्ति की जमानत की गई हो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में लान का अधिकार जमानत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त रहता है एव

(४) फरार और अपराध करने के आदी अपराधियों को बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकता है।

यदि कोई पुलिस अधिकारी भ्रमवश किसी एक व्यक्ति के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करले तो ऐसा करन पर वह पुलिस अधिकारी उस दशा म उत्तरदायी नही होगा जब यह सिद्ध हो जाए कि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को पूर्णतया भ्रमवश गिरफ्तार किया था।

यह बात भी स्मरणीय है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय स किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारन्ट प्राप्त करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करले तो गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार करन वाले व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या कारावास की कायवाही नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे मामले म गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित तथ्य सिद्ध करने होंगे —

(१) यह कि वारंट किसी अधिकृत न्यायिक संस्था (Competent judicial tribunal) द्वारा जारी किया गया था,

(२) यह कि उसने कानूनी रूप से जारी किए गए वारंट द्वारा अधिकृत होकर गिरफ्तार किया, एवं

(३) यह कि उसने जिस परिस्थिति में गिरफ्तार किया उस परिस्थिति में कानून द्वारा उसको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था।

मान हानि

(*DEFAMATION*)

प्रश्न ४७ —मानहानि (Defamation) की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न रूपों की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए।

उत्तर—मानहानि (Defamation) की परिभाषा —किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना उस व्यक्ति की मानहानि कहलाती है। अण्डरहिल (Underhill) के मतानुसार मानहानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला ऐसा झूठा कथन है जिसका कि प्रकाशन (Publication) किया गया हो। इस कथन के लिए आवश्यक है कि उससे वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची हो और उस कथन को प्रकाशित करने का कोई कानूनी औचित्य न हो। दूसरे शब्दों में मानहानिकारी कथन उस कथन को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के आचरण के विरुद्ध ऐसी बातें कही गई हों जिसके कारण उस व्यक्ति का समाज में निरादर हो या उसे दण्ड मिले या वह समाज में घृणित समझा जाए या जिसके कारण उस पर, उसके व्यवसाय अथवा पद के सम्बन्ध में बुरा प्रभाव पड़े।

मानहानि के रूप —मानहानिकारी कथनों के दो रूप हो सकते हैं—एक लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित मानहानिकारी कथन को अपमानकारी लेख (Libel) कहते हैं और मौखिक मानहानिकारी कथन को अपमानकारी वचन (Slander) कहते हैं।

अपमानकारी लेख (Libel) —अपमानकारी लेख का तात्पर्य केवल संकुचित अर्थों में न होकर बहुत ही वृहत् अर्थों में लिया जाता है। इसका तात्पर्य ऐसे उन सभी विचारों से है जिनको किसी भी स्थाई रूप में परिणत कर दिया गया हो। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति का व्यङ्ग चित्र (Cartoon) बनाना और उस चित्र के द्वारा उसको अपमानित करना अपमानकारी लेख के ही अन्तर्गत आएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का पुतला बनाकर उसकी मानहानि करना अपमानकारी लेख (Libel) के ही अन्तर्गत आएगा।

किसी व्यक्ति के विषय में संकेत करके यदि कोई ऐसा लेख लिखा गया है जिससे कि सांकेतिक व्यक्ति की मानहानि हो तो वह अपमान कारी लेख ही समझा

जाएगा। एक मामले में प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र में एक विद्यालय की अध्यापिका के विषय में यह प्रकाशित किया कि यदि वह उस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को पढ़ाती रहेगी तो वह वहाँ की सभी लड़कियों का भविष्य बिगाड़ देगी। वह अध्यापिका वास्तव में उस विद्यालय में लड़कियों का अध्यापन कार्य करती थी। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी का लेख अपमानकारी लेख था। [मिठन प्रति नुसरवां जी, ४३ बम्बई लॉ रिपोर्ट, ६३१]

अपमानकारी लेख के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) व्यक्त किया हुआ वचन मिथ्या होना चाहिये,

(२) जिस माध्यम के द्वारा वह व्यक्त किया गया हो उसको स्थायी होना चाहिये, एवं

(३) उस वचन को ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा वादी की मानहानि हो।

इस प्रकरण में यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि अपमानकारी लेख के द्वारा किया क्षतिकृत्य स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) है और उसमें वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मानहानि के कारण उसको वास्तव में कुछ हानि पहुँची।

अपमानकारी वचन (Slander) —अपमानकारी वचन (Slander) से तात्पर्य मौखिक रूप से कहे हुए ऐसे वचन से है जिससे वादी की मानहानि होती है। अण्डरहिल (Underhill) के मतानुसार ये मौखिक रूप से कहे हुए ऐसे वचन हैं जिनका कि अस्थायी (Transient) होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, मुह से फुसफुसाना, संकेत, मुह, मुद्रा या भावभंगी द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि करना अपमानकारी वचन के अन्तर्गत आते हैं।

इस प्रकरण में यह बात स्मरणीय है कि अपमानकारी वचन आम तौर पर स्वतः अभियोज्य नहीं होते हैं। लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में ये भी स्वतः अभियोज्य मान लिए जाते हैं और वादी को मानहानि करने वाले अपमानकारी वचनों द्वारा वास्तविक क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है —

(१) जब प्रतिवादी ने वादी पर कोई ऐसा अपराध करने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसका दण्ड शारीरिक दण्ड होना हो।

(२) जब प्रतिवादी ने वादी को किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसके कारण वादी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाय और लोग उसके साथ उठना-बैठना पसंद न करें।

(३) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह अमुक पद या व्यवसाय के अयोग्य है।

(४) जब प्रतिवादी ने किसी स्त्री-वादी पर दुश्चरित्रता (Unchastity) का मिथ्या आरोप लगाया हो।

(५) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह जिस पद पर काम कर रहा है उस पद से दुराचरण (Misconduct) के कारण पदच्युत किए जाने योग्य है।

(६) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह सार्वजनिक विश्वास (Public trust) के अयोग्य है।

यह बात भी स्मरणीय है कि अपमानकारी वचन अभियोज्य (Actionable) तभी हो सकते हैं जब यह सिद्ध हो जाए कि वे मिथ्या हैं और उनका प्रकाशन किया गया है तथ प्रकाशन के परिणाम स्वरूप वादी को विशेष क्षति (Special damage) पहुँची है।

प्रश्न ४८ —अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) में अन्तर —अपमानकारी लेख और अपमानकारी वचन में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(१) अपमानकारी लेख लिखित या मुद्रित अपमानकारी कथन है जब कि अपमानकारी वचन बोला हुआ या दर्शाया हुआ अपमानकारी कथन है।

(२) अपमानकारी लेख अपराध और क्षति कृत्य दोनों हैं, जब कि अपमानकारी वचन आम तौर पर दीवानी कानून के अन्तर्गत केवल क्षतिपूर्ण कृत्य है।

(३) अपमानकारी लेख स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) क्षति कृत्य है, किन्तु अपमानकारी वचन सामान्यतः विशेष क्षति (Special damage) के सिद्ध होने पर ही अभियोज्य है।

(४) अपमानकारी लेख का वास्तविक प्रकाशक निर्दोष हो सकता है, किन्तु अपमानकारी वचन का प्रकाशक, यदि वह जान बूझ कर स्वेच्छा से प्रकाशन करता है तो क्षति पूर्ति का उत्तरदायी होगा।

प्रश्न ४९ —मानहानि के विषय में भारतीय कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—मानहानि के विषय में भारतीय कानून —मानहानि के विषय में भारतीय कानून अङ्गरेजी कानून से कहीं कहीं भिन्न है। भारतीय कानून के अंतर्गत अपमानकारी वचन बिना विशेष क्षति (Special damage) सिद्ध किए हुए भी अभियोज्य हैं। [काशी राम प्रति माटू (१८७०) ७ बी० एच० सी० (ए० सी० जे) १७] लेकिन साधारण अपशब्द यद्यपि गाली हो सकते हैं पर बिना विशेष क्षति सिद्ध किए अभियोज्य नहीं होते।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख की पुनरावृत्ति (Repetition) एक नया प्रकाशन माना जाता है। यदि कोई अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख इस प्रकार के हैं कि व स्वयं मूलतः अपमानकारी नहीं थे किन्तु उनकी पुनरावृत्ति क्षति पूर्ण है तो ऐसी परिस्थिति मे उनका मूल वक्ता या लेखक क्षति पूर्ति देने का उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि उनकी पुनरावृत्ति करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा। इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

(१) जब कि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कहे या लिखे हों कि वे अन्य व्यक्तियों द्वारा दोहराए जाएंगे।

(२) जब कि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कहे हों या लिखे हों कि उनकी पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी हो।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख यदि वास्तव में सत्य हैं तब ऐसे शब्दों को कह कर या लिख कर प्रकाशित करने वाले व्यक्ति पर क्षति पूर्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। चोर को चोर, व्यभिचारी को व्यभिचारी व भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना या लिखना क्षति पूर्ण कृत्य नहीं है। अतएव मानहानि के मुकदमे में अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख की सत्यता सिद्ध करना पूर्ण बचाव (Complete defence) है। यदि शब्द सत्य है तो जिस उद्देश्य से वे कहे या लिखे गये हैं वह महत्वहीन है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह यह सिद्ध करे कि अपमानकारी विषय वस्तु (Slanderous or libelous matter) का प्रत्येक शब्द सही है। यदि वह केवल इतना ही सिद्ध कर दे कि अपमानकारी विषय वस्तु का साराश सही है तो भी वह उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा।

सार्वजनिक हित (Public interest) में की गई समालोचनाएं अपमानकारी (Dafamatory) नहीं समझी जातीं। राज्य सम्बन्धी मामले, न्याय प्रशासन (Administration of justice), सार्वजनिक संस्थाएं (Public Institutions) तथा स्वायत्त शासन (Local self Government) सम्बन्धी

वान एवं धार्मिक मामलों में की गई समालोचनाएं सार्वजनिक हित की बातें मानी जाती हैं। कला सम्बन्धी कृत्य जैसे साहित्य, संगीत, चित्रकारी, नाटक एवं चित्रपट तथा अन्य सार्वजनिक मनोरंजन भी सार्वजनिक हित के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकरण में यह बात स्मरणीय है कि उचित आलोचना की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र का प्राण होती है। श्री पातञ्जलि शास्त्री के मतानुसार वाक् स्वातन्त्र्य (Freedom of Speech) तथा प्रेस की स्वतन्त्रता सभी प्रकार के संस्थाओं का आधार है, क्योंकि स्वतन्त्र राजनीतिक वाद विवाद के बिना जनता की शिक्षा, जो कि प्रजातन्त्र चलाने के लिये बहुत आवश्यक है सम्भव नहीं है।

यदि कोई लेखक किसी सार्वजनिक पत्रिका या समाचारपत्र में किसी व्यक्ति के विषय में अपना मत प्रकट करता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है किन्तु यदि वह उसको दुराचारी या भ्रष्टाचारी कहता है तो उसको अपने कथन का औचित्य सिद्ध करना होगा।

भारतीय कानून के अनुसार अपमानकारी वचन व अपमानकारी लेख दोनों क्षतिकृत्य भी हैं और अपराध (Crime) भी हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए अपमानकारी लेखों के लिए समाचार पत्र के स्वामी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से व व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी हैं। जिस समाचार पत्र में कोई अपमानकारी लेख प्रकाशित होता है उसके प्रति की बिक्री एक अलग प्रकाशन माना जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी निम्नलिखित बातें सिद्ध करदे तो वह क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है।

(१) यह कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि समाचार पत्र में अपमानकारी लेख है एवं

(२) यह कि उसकी यह अनभिज्ञता उसकी असावधानी का परिणाम नहीं था।

लेकिन अपमानकारी वचनों का प्रकाशक सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में सदैव ही दोषी माना जाता है।

इंगलैण्ड में अपमानकारी वचन और अपमानकारी लेख के विषय में मुकदमा चलाने के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित है। अपमानकारी लेख के लिए उसके प्रकाशन के ६ महीने के भीतर वाद उपस्थित कर देना चाहिए और अपमानकारी वचन के लिए अवधि दो वर्ष है। लेकिन भारत में नवीनतम कानून जैसा कि अवधि अधिनियम १९६३ में प्रतिपादित किया गया है अपमानकारी लेख तथा अपमानकारी वचन दोनों के लिए ही वाद उपस्थित करने की अवधि एक वर्ष है।

प्रश्न ५० —मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं ? उनकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर—मानहानि के आवश्यक तत्व —मानहानि करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जो बातें सिद्ध करना आवश्यक हैं वे मानहानि के आवश्यक तत्व कहे जाते हैं। इन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित है —

(१) अपमानकारी लेख तथा अपमानकारी वचन के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा वादी की मानहानि हुई हो।

(२) यदि वचन या लेख अपमानकारी (Defamatory) है तो मकसद (Intention) या मंतव्य (Motive) जिसमें कि वे कहे या लिखे गए हैं तथ्यहीन (Immaterial) है।

(३) मानहानि करने वाले वचन या लेख वादी के प्रति कहे गए या लिखे गए होने चाहिए। इस सदर्भ में ई० हल्टन कम्पनी प्रति जोन्स (१६१० ए० सी० २०) का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाएं इस प्रकार हैं कि एक समाचारपत्र में 'आर्टिमस जोन्स, पादरी के अन्तर्गत एक कहानी प्रकाशित हुई जिसमें कि यह कहा गया कि आर्टिमस जोन्स नाम का व्यक्ति जो कि एक गिरजाघर का संरक्षक था फ्रांस में एक स्त्री के साथ अवैध रूप में रहता था। संयोगवश आर्टिमस जोन्स नाम का वास्तव में एक व्यक्ति बैरिस्टर तथा पत्रकार था। यद्यपि वह गिरजाघर का संरक्षक नहीं था, किन्तु जिन व्यक्तियों ने यह समाचार पत्र पढ़ा उन्होंने यही समझा कि उस समाचार पत्र में छपी हुई कहानी उसी व्यक्ति के प्रति लिखी गई है। इस पर आर्टिमस जोन्स ने समाचार पत्र पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी वादी की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है भले ही उसका इरादा वादी की मानहानि करने का नहीं रहा हो। इस निर्णय में प्रतिपादित नियम को मानहानि अधिनियम, १६५२ (The Defamation Act, 1952) द्वारा संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपमानकारी लेख आदि प्रकाशित करता है और बाद में यह कहता है कि यह लेखादि उसने अनजान में प्रकाशित कर दिए हैं तो उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह अपनी भूल सुधार ले और जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उससे क्षमा मांग ले। इस अधिनियम के अन्तर्गत वादी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमा याचना को स्वीकार करले अथवा अस्वीकार कर दे। क्षमा याचना किन परिस्थितियों में स्वीकार की जाए और किन में नहीं, इस सम्बन्ध में विशेष प्रविधान इस अधिनियम में गए हैं।

(४) मानहानि करने वाले शब्दों का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। बिना प्रकाशन के मानहानि असम्भव है।

(५) मानहानि करने वाले वचन या लेख मिथ्या होने चाहिए। प्रतिवादी पर इस बात को साबित करने का भार है कि जो कुछ उसने कहा है अथवा लिखा है वह सत्य है।

प्रश्न ४१ — अ, विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged communication) से क्या तात्पर्य है? मानहानि के सदर्भ में सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege) और परिमित विशेषाधिकार (Qualified Privilege) की व्याख्या कीजिए।

(ब) 'क' 'ख' की फर्म में नौकरी के लिए उम्मीदवार था। 'ख' ने 'ग' से 'क' के सम्बन्ध में मालूमात की। 'ग' ने 'ख' को इस सम्बन्ध में जो पत्र लिखा उसमें 'क' के चरित्र के विषय में कुछ मिथ्या अपमानकारी कथन भी था जिसे 'ग' सत्य समझता था। 'ग' की भूल से यह पत्र एक दूसरे लिफाफे में रखा गया जो 'घ' को मिला। 'घ' ने 'क' को इस विषय में सूचित किया।

क्या 'क' 'ग' के विरुद्ध मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है?

उत्तर —(अ) विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged Communication) —विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged Communication) वह कथन है जो किसी विशेषाधिकृत अवसर पर कहा जाए। समाज के कुछ व्यक्तियों के कर्त्तव्य इस प्रकार के होते हैं कि जिनको समाज के हित में ही इस बात की छूट देनी पड़ती है कि वे अपने कर्त्तव्य पालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऐसे शब्दों या कथनों को भी कह सकें जो कि अन्यथा मानहानि करने वाले माने जाते हों। यह विशेषाधिकृत सन्देश केवल विशेषाधिकृत अवसरों पर ही कहे जा सकते हैं।

विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं—(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार, और (२) परिमित विशेषाधिकार। इन दोनों प्रकार के विशेषाधिकारों की व्याख्या निम्न लिखित है —

(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege) —सम्पूर्ण विशेषाधिकार वह है जिसमें अवसर विशेष पर व्यक्ति को पूर्ण वाक्स्वातन्त्र्य (Complete freedom of speech) होता है और इस अवसर पर कहे गए वचनों या लिखे गए लेखों के आधार पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

लिखित चार प्रकार की कार्यवाहियों के अवसर पर कुछ व्यक्ति विशेषों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं —

(क) संसदीय कार्यवाही (Parliamentary proceedings) — संसद के सभी सदस्यों को संसदीय कार्यवाही के दौरान में कहे गए कथनों के लिए इस बात की पूरी छूट रहती है कि उन कथनों के अपमानकारी होने पर भी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा। लेकिन यह बात स्मरणीय है कि संसद सदस्यों का यह विशेषाधिकार संसद की कार्यवाही के समय ही प्रयुक्त हो सकता है। यदि संसद का कोई सदस्य अपमानकारी शब्दों का प्रयोग संसद की परिधि से बाहर करता है तो वह उसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा।

(ख) न्यायिक कार्यवाही (Judicial proceedings) —न्यायिक कार्यवाही में कहे गए कथनों और उनको कहने वालों को कानूनी उन्मुक्ति (Legal Immunity) प्राप्त है। यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि वह कथन जज, वकील, गवाह या पक्षकार किसने कहा। इस उन्मुक्ति का आधार सार्वजनिक नीति (Public policy) है।

(ग) सेना तथा नौसेना सम्बन्धी कार्यवाही (Military and Naval proceedings) —सेना तथा नौसेना सम्बन्धी अधिकारी तथा कर्त्तव्यों के पालन में कहे गए कथनों को भी सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

(घ) राज्य की कार्यवाही (State proceedings) —राज्य के मामलों के सम्बन्ध में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को भेजे हुए समस्त सन्देशों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यदि इस प्रकार के सन्देश राज्य द्वारा दिए गए कर्त्तव्यों के पालन में भेजे गए हैं।

(२) परिमित विशेषाधिकार (Qualified privilege) —परिमित विशेषाधिकार वह है जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कहे गए अपशब्दों के लिए उन अपशब्दों का कहने वाला तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि वादी यह सिद्ध न कर दे कि वे अपशब्द प्रत्यक्ष द्वेष (Malice) से प्रेरित होकर कहे गए हैं। इस प्रकार के विशेषाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं।

(क) कर्त्तव्य पालन में भेजे गए सन्देश (Communication made in performance of duty) —यदि कोई सन्देश किसी अन्य व्यक्ति के पास कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करने के सिलसिले में भेजा जाए और वह सन्देश किसी व्यक्ति के लिए अपमानकारी सिद्ध हो तो ऐसा सन्देश कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्त समझा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा सन्देश जिस व्यक्ति के पास भेजा गया

है उसको भी उस सन्देश को प्राप्त करने का कानूनी कर्त्तव्य हो। उदाहरणार्थ, आप को अपने व्यापार के लिए किसी व्यक्ति को नौकर रखना है। वह व्यक्ति पहले किसी अन्य व्यापारिक संस्था में काम कर चुका है। आप उस संस्था के मैनेजर से उस व्यक्ति के चाल चलन के विषय में पूछताछ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस संस्था का मैनेजर आप के पास उस व्यक्ति के विषय में जो कुछ भी लिखकर भेजेगा उसको परिमित विशेषाधिकार प्राप्त होगा। यदि उस संस्था का मैनेजर उस व्यक्ति के विषय में कोई ऐसी बात लिख भेजता है जिससे कि यह ज्ञात हो कि उसने द्वेषपूर्ण नीयत से प्रेरित होकर ऐसा किया है तो वह व्यक्ति यह सिद्ध कर देने पर उस संस्था के मैनेजर से मान हानि के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा।

(ख) किसी हित की रक्षा के लिए कहे गए कथन (Statements in protection of an interest) —यदि किसी हित की रक्षा के लिए किसी ने कोई इस प्रकार के कथन कहे हैं जिससे किसी की मानहानि होती है तो वे कथन भी परिमित रूप से उन्मुक्त समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी ने अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कहा और कथन उसकी मानहानि करने का कारण बन गया तो उस कथन के कहने वाले को परिमित उन्मुक्ति प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह तब तक क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक वह यह न सिद्ध कर दे कि इस प्रकार का कथन द्वेषपूर्ण नीयत से किया गया है।

(ग) निष्पक्ष तथा सही रिपोर्ट (Fair and accurate report) —इस प्रकार की रिपोर्टों के लिए यह जरूरी है कि वे कार्यवाही का सच्चा वर्णन करती हों। इन रिपोर्टों के अन्तर्गत संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट तथा न्यायिक व अर्ध न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टें आ जाती हैं।

(घ) समस्या —प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत किसी नौकर के चरित्र के विषय में किसी व्यक्ति से की गई पूछ ताछ परिमित विशेषाधिकृत सन्देश मानी जाती है। [गार्डनर बनाम स्लाड १८ एल० जे० क्यू० बी० ३ ४] अतएव 'ग' का सन्देश यद्यपि प्रसंग में अपमानकारी है, किन्तु 'क' ने उसे नेकनीयती से प्रेषित किया है। भले ही 'ग' की असावधानी से उस सन्देश का प्रकाशन 'घ' को हो गया पर 'ग' ने उस सन्देश को 'ख' को जिसने पूछ ताछ की थी, प्रेषित किया था। ऐसी परिस्थिति में 'क' 'ग' के विरुद्ध मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकता।

प्रश्न ४९ —'क' ने अपनी नाटक कम्पनी में एक गाने वाली स्त्री को नौकर रखा। 'ख' ने उस स्त्री के विरुद्ध एक अपमानकारी लेख प्रकाशित किया। उस स्त्री ने भयभीत होकर 'क' की नौकरी छोड़ दी।

क्या 'ख' 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

समस्या —कानून का यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कृत्य द्वारा घटित साधारण व स्वाभाविक परिणाम का ज्ञान होता है एवं उसका ऐसा इरादा होना है, यह समझा जाना चाहिए। लेकिन यह नियम प्रस्तुत समस्या की घटनाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि 'ख' के द्वारा अपमानकारी लेख प्रकाशित होने का यह साधारण व स्वाभाविक परिणाम नहीं है कि गाने वाली स्त्री ने 'क' की नौकरी छोड़ दी। आम तौर पर ऐसे कृत्य से ऐसे परिणाम की आशा नहीं हो सकती। अतएव 'क' को क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न ५३ —मानहानि की कार्यवाही में बचाव की सम्भव दलीलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—बचाव की सम्भव दलीलें (Possible defences) —मानहानि की कार्यवाई में बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) सत्य द्वारा औचित्य (Justification by truth)—अपमानकारी शब्दों की सत्यता मानहानि की कार्यवाही में प्रतिवादी की ओर से बचाव की पूर्ण दलील है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलने का अधिकार है। लेकिन यह औचित्य सिद्ध करना प्रतिवादी का कर्त्तव्य है।

(२) निष्पक्ष तथा न्यायोचित समालोचना (Fair and bonafide comment) —सार्वजनिक वाद विवाद के योग्य किसी भी विषय पर निष्पक्ष एवं न्यायोचित समालोचना मानहानि नहीं मानी जाती। लेकिन यह समालोचना किसी द्वेष की भावना से प्रेरित होकर न की गई हो।

(३) विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged communications) —कृपया प्रश्न ५१ (अ) के अन्तर्गत उत्तर देखिए।

प्रश्न ५४ —'प्रकाशन (Publication)' से क्या तात्पर्य है ? क्या निम्नलिखित परिस्थितियों में कहे गए अपशब्द प्रकाशित हुए समझे जाएंगे—

(अ) 'क' ने 'ख' से कहा कि वह (ख) जारज सन्तान है।

(ब) 'क' ने अपनी पत्नी से कहा कि 'ख' जारज सन्तान है।

(स) 'क' ने 'ख' की पत्नी से कहा कि 'ख' जारज सन्तान है।

उत्तर—प्रकाशन (Publication) —प्रकाशन से तात्पर्य किसी कथन को जानकारी वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को देना है। ये व्यक्ति जिनको जानकारी दी गई उस कथन को समझने में समर्थ होने चाहिए।

(अ) व (ब)—कानून का नियम है कि जब अपमानकारी सन्देश अपमानित व्यक्ति को या अपमानकर्त्ता की पत्नी को दिया जाए तो प्रकाशन नहीं कहलाता। अपमानकर्त्ता और उसकी पत्नी दोनों कानून के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति हैं। अतएव 'ब' ने 'स' से जो कहा अथवा अपनी पत्नी से जो कहा उसे प्रकाशित होना नहीं समझा जाना चाहिए।

(स) यह प्रकाशन कहा जाएगा।

प्रश्न ५५ —मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि निर्धारित करने की व्यवस्था किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर —मानहानि द्वारा की गई क्षति की क्षतिपूर्ति —मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है उसकी व्यवस्था अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनमे मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) अपमानकारी लेख या वचन की प्रकृति

(२) वादी और प्रतिवादी की हैसियत,

(३) अपमानकारी लेख या वचन का प्रचार, तथा

(४) क्या मानहानि जान बूझ कर की गई है या अकस्मात् एवं किसी अन्य कृत्य के अप्रत्याशित परिणाम स्वरूप हो गई है।

क्षतिपूर्ति की धनराशि निम्नलिखित परिस्थितियाँ सिद्ध करने पर कम की जा सकती है —

(१) द्वेष की भावना की अनुपस्थिति (Absence of the attitude of malice)।

(२) अपना दोष मानकर क्षमा याचना की जाए।

(३) वादी की निम्न कीर्ति (Bad reputation)।

(४) वादी द्वारा उत्तेजना (provocation) दिलाया जाना।

प्रश्न ५६ —क्या पति पत्नी के बीच मानहानि की कार्यवाही हो सकती है? इस विषय के कानून पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—पति पत्नी के बीच मानहानि की कार्यवाही —भारत में पति और पत्नी एक आत्मा व दो तन माने जाते हैं। कानून भी इस विचार धारा का समर्थन करता है और कानून की दृष्टि में भी पति और पत्नी एक इकाई (One Unit) मान जाते हैं। इस कारण किसी व्यक्ति से सम्बन्धित अपमानकारी कथन का

एक प्रतिवादी की पत्नी को ज्ञात होना प्रकाशन नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, यदि किसी की मानहानि करने वाली बातें उसका एक लिफाफे में बन्द करके भेजी गई हैं और उन बातों की जानकारी भेजने वाले व्यक्ति का पत्नी को है तो प्रकाशन नहीं कहा जाएगा। इसी आधार पर सामान्य नियम यह है कि पति और पत्नी के बीच मानहानि की कार्यवाही नहीं हो सकती।

प्रश्न ५७ —टिप्पणी लिखिये—

(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि।

(स) किसी वर्ग विशेष की मानहानि।

उत्तर—(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति —यदि कोई अपमानकारी लेख या वचन इस प्रकार का है कि वह स्वयं मूलतः अपमानकारी नहीं था किन्तु उसकी पुनरुक्ति (Repetition) क्षतिपूर्ण है तब ऐसी अवस्था में उस अपमानकारी लेख या वचन का मूल लेखक या वक्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि वह व्यक्ति जो उनकी पुनरुक्ति करने वाला है क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

(१) जबकि अपमानकारी शब्दों के मूल वक्ता ने अपमानकारी शब्द इस उद्देश्य से कहे हों कि वे अन्य व्यक्तियों द्वारा दोहराए जाए।

(२) जबकि मूल वक्ता द्वारा कहे गए अपमानकारी शब्द इस ढंग से कहे गए हों कि उनकी पुनरुक्ति अवश्यम्भावी हो।

कानून के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरुक्ति को एक नया प्रकाशन माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मानहानि करने के लिए कोई कथन मात्र छपा और कल फिर छपा तो प्रत्येक बार का छपना एक नया प्रकाशन माना जाएगा। लेकिन स्मरण रहे कि समाचार पत्र का बेचने वाला समाचार पत्र में छपे अपमानकारी लेख के लिए उत्तरदायी नहीं है पर यदि वह उस अपमानकारी लेख को चिल्ला चिल्ला कर दोहराता है तो वह भी उत्तरदायी समझा जाएगा।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि —निगम एक काल्पनिक व्यक्ति (Fictitious person) है। इस कारण उसके प्रति घृणादि की भावना जागृत होना सम्भव नहीं है। अतः उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यदि निगम के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अपमानकारी कथन पर कोई आपत्ति है तो वे इसके प्रति वाद उपस्थित कर सकते हैं। किसी अपमानकारी लेख के प्रति निगम द्वारा मुकदमा चलाने के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि उससे निगम की सम्पत्ति को क्षति पहुँची है या उसके व्यवसाय को हानि पहुँची है।

(स) किसी वर्ग विशेष की मानहानि —यदि कोई अपमानकारी लेख किसी वर्ग विशेष के विषय में प्रकाशित किया गया है तो उस वर्ग का कोई एक सदस्य ऐसे अपमानकारी लेख के विरुद्ध साधारणतया मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि मुकदमा दायर करने वाला यह न सिद्ध कर सके कि उस लेख से विशेष कर उसके ऊपर एक आक्षेप है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने लिखा कि सभी डाक्टर क्रूर और अविश्वसनीय होते हैं तो कोई डाक्टर विशेष इस लेख के लिए मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर सके कि जिस संदर्भ में वह लेख प्रकाशित किया गया है उससे उनके ऊपर आक्षेप हुआ है। लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा जब कि किसी वर्ग विशेष में केवल दो चार व्यक्ति ही हों।

प्रश्न ५८ —'क' एक अपमानकारी पत्र 'ख' के नाम लिखता है जिसमें वह 'ख' पर कुछ मिथ्या आरोप लगाता है और 'ख' के पते पर भेज देता है। वह पत्र 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी (personal assistant) को मिलता है जो उसे पढ़कर 'ख' के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए पेश कर देता है। 'ख' 'क' के विरुद्ध मानहानि का दावा करता है।

क्या 'क' 'ख' की मानहानि के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर समस्या —प्रस्तुत समस्या में 'ख' की मानहानि के लिए 'क' उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि 'क' के द्वारा भेजे गए अपमानकारी पत्र का कानूनी अर्थों में प्रकाशन नहीं हुआ। 'क' ने 'ख' के पते पर सीधा पत्र भेजा था जो 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी को नहीं पढ़ना चाहिए था।

प्रश्न ५६ —गवाह का बयान कराते हुए कम्पनी के वकील ने उससे पूछा "क्या यह सच है कि वह कम्पनी शहर की सबसे बड़ी कम्पनी है ?" गवाह ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तभी प्रतिपक्षी के वकील ने रिमार्क किया, "और वह शहर की सबसे बेईमान संस्था है।" कम्पनी ने प्रतिपक्षी के वकील पर मानहानि का दावा किया। क्या प्रतिपक्षी का वकील उत्तरदायी है ?

उत्तर—समस्या —न्यायिक कार्यवाही —(Judicial proceedings) के दौरान में कहे गए अपमानकारी कथन और उनके कहने वाले को कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। वे सम्पूर्ण विशेषाधिकृत संदेश (Absolute privileged communication) कहलाते हैं। अतएव ऐसे अपमानकारी कथन के लिए जज, वकील, गवाह एवं पक्षकारों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रमुख मामले में यह निर्णय दिया है कि गवाह का बयान होते समय प्रतिपक्षी के वकील का

अपमानकारी रिमार्क उसके मवक्किल के हित में नहीं कहा जा सकता और न उसके कानूनी कर्त्तव्यों के पालन में ही किया गया समझा जा सकता है। अतएव वह ऐसे अपमानकारी रिमार्क के लिए मानहानि का उत्तरदायी है। [वच्चा प्रति वच्चा लाल, ५१ इलाहाबाद ५०६]

प्रश्न ६० —'क' अपने एक सार्वजनिक भाषण में यह कहता है कि सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। 'ख' जो एक वकील है और 'क' के भाषण के समय बैठक में उपस्थित रहता है, 'क' के विरुद्ध मानहानि का दावा करता है। क्या 'ख' का दावा चलने योग्य है ?

उत्तर—समस्या —कानून का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई अपमानकारी वचन किसी वर्ग विशेष के विषय में कहा गया है तो उस वर्ग का कोई एक सदस्य ऐसे वचन के विरुद्ध साधारणतया मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर सके कि वह अपमानकारी वचन विशेष कर उसके ऊपर एक आक्षेप है। 'ख' भाषण के समय बैठक में उपस्थित था। अतएव इस सम्भावना के लिए स्थान है कि 'ख' पर आक्षेप करने के लिए 'क' ने अपने भाषण में वकील वर्ग के विरुद्ध अपमानकारी वचन बोला हो। 'क' की आलोचना न तो सार्वजनिक हित में कही जा सकती है और न बिना द्वेषपूर्ण मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में 'ख' का दावा 'क' के विरुद्ध चलने योग्य है।

५

पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य

(*TORTS TO DOMESTIC RELATIONS*)

प्रश्न ६१ —पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर —पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण—ऐसे क्षतिपूर्ण कृत्य जो पारिवारिक सम्बन्धों को क्षति पहुँचाते हैं पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य कहे जाते हैं। इन क्षतिकृत्यों को निम्नलिखित कोटियों में रख सकते हैं —

(१) दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to marital rights),

(अ) परपत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife),

(ब) परपत्नी का गमन (Adultery), एवं

(स) पर पत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाना (Causing bodily injury to anothers wife)।

(२) मातृ पितृ अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to parental rights)

(३) स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to Master's rights)।

प्रश्न ६२ -दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्यों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिये

उत्तर —दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य —पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे की सेवाओं का उपभोग करने का जन्मजात अधिकार है। जो व्यक्ति पति या पत्नी के इस अधिकार को भंग करता है वह कानून की दृष्टि में एक क्षतिपूर्ण कृत्य करता है और क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने के साथ साथ कभी कभी दण्ड का भी भागी होता है। दाम्पत्य अधिकारों को सामान्यतः तीन प्रकार से भंग किया जा सकता है जिनका विवरण निम्नलिखित है —

(१) पर पत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife) — यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को बहका फुसला कर धोखे से या बलपूर्वक भगा ले जाय और इस प्रकार पति को पत्नी की सेवाओं से वंचित कर दे तो पति भगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के पति को कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ से वंचित कर दे तो पत्नी को भी अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि उसके पति को उससे वंचित किया है क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलावे। इसके साथ साथ यह बात भी स्मरणीय है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति की पत्नी को उससे अलग रहने को प्रेरित करता है तो भी वह पति के विरुद्ध अनुचित कृत्य करता है और इस कृत्य के लिये क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। लेकिन उस व्यक्ति का पत्नी को एसे प्रेरित करने के परिणाम स्वरूप पत्नी पति के सहवास (Cohabitation) से दूर हो जाना चाहिये [वैस्ट प्रति समुअल फावस एण्ड कम्पनी, (१६५२) ए० सी० ७१६]

भारतीय कानून के अनुसार यह तथ्यहीन है कि जिस समय पत्नी को उसके पति के घर से भगाया गया उस समय उसका पति उसी नगर में जिसमें कि पत्नी थी, था या नहीं। [सीताराम प्रति टीकाराम (१६१६) ४४ इलाहाबाद, ६०३]

(२) पर पत्नी गमन (Adultery) —भारत में पर पत्नी गमन (Adultery) भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा ४६७ के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। इस अपराध में यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं किन्तु कुछ कारणवश केवल पुरुष ही अपराधी माना जाता है। इंग्लैंड में यदि कोई पुरुष दूसरे की पत्नी के साथ पति की अनुमति के बिना समागम (Sexual intercourse) करता है तो वह दंड का भागी न होकर उस स्त्री के पति को क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होता है। भारत में यह दण्डनीय अपराध है। विवाहित स्त्री केवल अपनी इच्छा से अपने पति की अनुमति के बिना पर पुरुष से समागम करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है। यह बात भी स्मरणीय है कि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री पर इस बात के लिये क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकती कि उसने उसके पति के साथ समागम किया है।

कानूनी तौर पर प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के साथ समागम करने का एकाधिकार है चाहे आपस में प्रेम भावना हो या न हो, और जो व्यक्ति पति की अनुमति के बिना उसकी पत्नी के साथ समागम करता है वह पति के उक्त कानूनी

अधिकार को भग करता है और पति को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी है। [बारलों प्रति बारनेस (१६१६) १७२ कलकत्ता ६८]

(3) पर पत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाना (Causing bodily injury to another's wife —इगल ड के सवसाधारण कानून (Common Law) के अन्तगत प्रत्यक पति का अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी का शारीरिक क्षति पहुँचाय तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चला कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पत्नी को भी इसक समरूप अधिकार प्राप्त है। घातक दुघटना अधिनियम (Fatal Accidents Act) म अन्तगत यह प्राविधान है कि यदि शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप पत्नी या पति की मृत्यु हो जाय तो मृतक की पत्नी या पति, जैसा भी हो, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

प्रश्न ६३ —मातृ पितृ अधिकारों (Parental rights) के प्रति क्षति कृत्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर —मातृ पितृ अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य —माता पिता को अधिकार है कि उन्हें अपने बच्चो की सेवा सदा उपलब्ध रहे। कानून की दृष्टि से माता पिता का यह अधिकार ठीक उसी प्रकार का है जैसा स्वामी का अधिकार सेवक के प्रति होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की लड़की या लड़के को बहका कर माता पिता को उनकी सेवाओं स वचित कर दे तो वह माता पिता को क्षतिपूर्ति देने के लिय उत्तरदायी होगा। कानून के अन्तगत प्रत्यक वह लड़की जो अपने माता पिता क साथ रहती हो माता पिता की सेवा म मानी जाती है। इक्कीस वष से कम की अविवाहित लड़की यदि किसी अन्य सेवा म नहीं है तो वह अपने माता पिता की सेवा म मानी जाती है। इस सदर्भ मे एक प्रमुख मामला उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनायें इस प्रकार हैं कि एक लड़का नौकरी स हटाए जाने क बाद अपने पिता क घर वापस आ रहा था। रास्ते म उसको बहकाया गया (Seduced)। लड़की क पिता ने बहकाने वाले के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे म यह निर्णय दिया गया कि पिता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। [टरो प्रति हटचिनसन, १८६८ एन० आर० ३ क्यू० बी० ५६६

माता पिता को उनके बच्चों की सेवा से किसी प्रकार वंचित कर देना क्षतिकृत्य कानून के अन्तगत अभियोज्य है। ऐसे मामलो में यह सिद्ध करना जरूरी है कि बच्चा मात पिता की सेवा में था और प्रतिवादी ने उसको सेवा से माता पिता को वंचित कर दिया। [बैंचम प्रति जेम्स (१६३७)२ के० बी० ५२७]

प्रश्न ६४—स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्यों का विवरण दीजिये।

उत्तर—स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य—प्रत्येक स्वामी को अपने सेवकों व सेविकाओं की सेवाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है और जो व्यक्ति किसी स्वामी को उसके सेवकों व सेविकाओं की सेवाओं से वंचित करता है वह स्वामी के उक्त अधिकार का भंग करता है और इसलिए क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी माना जाता है। स्वामी को अपने सेवकों व सेविकाओं की सेवाओं से निम्नलिखित तीन प्रकार से वंचित किया जा सकता है—

(१) सेवक या सेविका को कारावासित करके या उसको चोट पहुँचा कर आहत करके जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जाए।

(२) सेवक या सेविका को प्रलोभन देकर स्वामी की नौकरी से हटा देना।

(३) ऐसे सेवक या सेविका को जिसने कि अपने स्वामी की नौकरी अनुचित ढंग से छोड़ दी है, शरण देना।

यदि किसी व्यक्ति ने किसी स्वामी की सेविका को बहकाकर उस स्वामी को उस सेविका की सेवाओं से वंचित किया है तो क्षतिप्राप्त स्वामी को क्षतिकर्ता के विरुद्ध मुकदमे में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि (क) जिस समय स्वामी को अपनी सेविका की सेवाओं से वंचित किया गया उस समय सेविका स्वामी के पास किसी संविदा की शर्तों के अन्तर्गत कार्य कर रही थी, तथा (ख) बहकाव (Seduction) के परिणाम स्वरूप सेविका स्वामी की सेवा करने में असमर्थ हो गई। इस बात को भी सिद्ध करना चाहिए कि बहकाने के परिणाम स्वरूप वादी को विशिष्ट क्षति (Special damage) पहुँचा।

बहकाव का अर्थ केवल सेविका के नौकरी छोड़कर अन्यत्र चले जाने मात्र का नहीं है, बल्कि सेविका को व्यभिचार आदि के लिए प्रेरणा करना भी होता है।

प्रश्न ६५—बहकावे के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारण (Assess-ment of damage) किस आधार पर होता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर—बहकावे के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारण—बहकावे के मामले में न्यायालय सामान्यतः उदाहरणीय क्षतिपूर्ति (Exemplary dama-ge) प्रदान करता है। बहकावे के कृत्य में केवल बहकाना मात्र ही सम्मिलित नहीं है बल्कि बहकाई हुई लड़की को दुराचार और व्यभिचार करने के लिए प्रेरित

करना भी है। अतएव क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय इस पर भी विचार किया जाता है कि लड़की के प्रति किये गये दुर्व्यवहार से लड़की के पिता को मानसिक कष्ट तथा अपमान भी हुआ है। बहकाने वाले व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने से लड़की गर्भवती भी हो सकती है। अतएव क्षतिपूर्ति देते समय उसकी होने वाली जारज सन्तान के पालन पोषण के व्यय का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मामले की अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है।

६

स्वतन्त्रता व परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य

WRONGS AFFECTING FREEDOM AND STATUS

(अ) द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution)

प्र० ६६—द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution) की परिभाषा देते हुए उन तत्त्वों की व्याख्या कीजिए जिन्हें क्षतिपूर्ति के मुकदमे में सिद्ध करना वादी के लिए नितान्त आवश्यक है।

उत्तर—द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution)—द्वेषपूर्ण अभियोग से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर फौजदारी या दिवालिया सम्बन्धी निराधार व मिथ्या आरोप लगाकर निष्फल कारवाही करने से है।

द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को जिन तत्त्वों को सिद्ध करना नितान्त आवश्यक है उनकी व्याख्या नीचे की जा रही है—

(१) प्रतिवादी द्वारा अभियोग चलाना (Prosecution by the defendant)—द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए सर्व प्रथम वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध अभियोग चलाया, अर्थात् प्रतिवादी के विरुद्ध चलाए गए अभियोग में अभियोक्ता (Prosecutor) था। अभियोक्ता कानून की दृष्टि में वह व्यक्ति है जो अभियोग का क्रियात्मक रूप में प्रणेता हो। उदाहरणार्थ, यदि मैं किसी व्यक्ति से यह कहूँ कि मेरी घड़ी चोरी चली गई है और मैंने कुछ देर पहले उस घड़ी को अमुक व्यक्ति के पास देखा है। यदि यह सूचना पास में खड़ा कोई अधिकारी सुन ले और उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चला दे तो ऐसी परिस्थिति में मैं अभियोक्ता नहीं कहा जाऊँगा। लेकिन यदि मैं जान बूझ कर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूँ और उस पर उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाया जाए तो मैं अवश्य अभियोक्ता कहलाऊँगा। यदि प्रतिवादी ने स्वयं या अपने अधिकृत एजेण्ट अथवा वकील द्वारा आरोप लगाया है तो वह स्वयं उसके परिणाम के लिए उत्तरदायी है। [पचेल प्रति वाटसन (१८४१) ८ एम० एण्ड डब्लू० ६९१)। अभियोक्ता के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रतिवादी का अभियोग से पहले और अभियोग के बाद में किया गया व्यवहार

विशेष रूप से विचारणीय होता है। [गया प्रसाद प्रति भगत सिंह, आई० एल० आर० ३० इलाहाबाद, ५२५]

फौजदारी के मामला म केवल आरोप पत्र का मजिस्ट्रेट के समक्ष पश करना अभियोग का चलना नही कहा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र को प्रारम्भिक गवाहो के आधार पर बिना प्रतिपक्षी को तलबी किए खारिज करदे तो प्रतिवादी द्वारा अभियाग चलाया जाना नही समझा जा सकता। लेकिन यदि उसके कारण प्रतिपक्षी की तलबी हुए बिना भी उस किसी प्रकार की क्षति पहुँची है तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाला उसका क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। पटना उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया है कि जब कि प्रतिवादी के आरोप पत्र प्रस्तुत करने से वादी की तलबी तो नही हुई और आरोप पत्र खारिज कर दिया गया किन्तु उसके मकान की तलाशी हुई इसलिए वह वादी को क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। [जय पाण्डे प्रति जलधारी रावत, ४ पी० एल० डब्लू० ६८]

दण्ड प्रक्रिया सहिता (Criminal Procedure Code) की धारा ४७६ के अन्तगत की गई कार्यवाही अभियोग समझी जाती है और अभियोक्ता उसके लिये उत्तरदायी है।

(२) अभियोग में वादी की जीत होना (Fovourable termination of prosecution) — वादी का द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे म यह सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि प्रतिवादी द्वारा चलाए गए अभियोग का निर्णय उसके (वादी के) पक्ष में हुआ। लेकिन जब कि अभियोग का निर्णय वादी के पक्ष म तो हुआ हो किन्तु निर्णय एकतरफा (Expatee) हो तो यह आवश्यक नही है कि वादी ऐसे अभियोग के निर्णय के आधार पर भी द्वेषपूर्ण अभियोग का मुकदमा चला सके।

द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में दावे का कारण उस द्वेषपूर्ण मुकदमे के चलने की प्रारम्भिक तारीख से पैदा नही होता बल्कि वादी के पक्ष में उसके निर्णय की तारीख से पैदा होता है।

(३) अभियोग में निराधार व मिथ्या आरोप लगाना (Prosecution on the basis of false accusation or without reasonable or probable cause) —वादी को यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध जो अभियोग चलाया उसम जो आरोप वादी पर लगाए गये थे वे सर्वथा निराधार व मिथ्या थे। वादी का यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी को उन आरोपों के निराधार व मिथ्या होने का पूर्वज्ञान था और उसने

बावजूद इसके वादी पर अभियोग चलाया। यदि प्रतिवादी आरोपों के सत्य व साधार होने की दलील देता है तो उसे सिद्ध करने का भार उसके ऊपर होता है, अन्यथा वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व असत्य थे।

(४) द्वेष (Malice) —जिस अभियोग को वादी द्वेषपूर्ण बताता है उसे द्वेषपूर्ण सिद्ध करना वादी की जिम्मेदारी है। द्वेषपूर्ण कृत्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को क्षति पहुँचाना रहता है। ऐसा होना भी सम्भव है कि कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ से ही द्वेषपूर्ण न हो किन्तु वह कार्यवाही कुछ आगे चल कर द्वेषपूर्ण हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि अभियोक्ता को यह ज्ञान हो जाये कि वह कार्यवाही द्वेषपूर्ण है किन्तु फिर भी वह उस कार्यवाही को अग्रसर करने में क्रियाशील रहे तो कहा जायगा कि वह अभियोग प्रारम्भ में द्वेषपूर्ण नहीं था पर आगे चल कर द्वेषपूर्ण हो गया। ऐसी कार्यवाही के लिए भी द्वेषपूर्ण अभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है।

(५) क्षति (Damage) —द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि वादी यह सिद्ध करे कि प्रतिवादी ने उस पर जो द्वेषपूर्ण अभियोग चलाया उसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुँची है। वह क्षति शरीर, सम्पत्ति या कीर्ति आदि किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की पहुँची हो।

प्रश्न ६७ —द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर —द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर —द्वेषपूर्ण अभियोग और मिथ्या कारावास में अन्तर जानने के लिए निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

(१) द्वेषपूर्ण अभियोग से तात्पर्य जान बूझ कर मिथ्या आरोप लगा कर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का होता है, किन्तु मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाने को कहते हैं।

(२) द्वेषपूर्ण अभियोग में वादी को यह सिद्ध करना होता है कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति जिसमें उस पर अभियोग चलाया गया मौजूद नहीं थी, किन्तु मिथ्या कारावास में यह सिद्ध करने का भार (burden of proof) प्रतिवादी पर रहता है कि वह वास्तव में किसी व्यक्ति को कारावासित करते समय अपने को ऐसा करने

के लिए कानूनी रूप से समर्थ समझता था, अर्थात् उस अपने कृत्य का औचित्य स्वयं सिद्ध करना चाहिए।

(३) द्वेषपूर्ण अभियोग में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने द्वेष की भावना से प्रेरित होकर उसके ऊपर अभियोग चलाया, किन्तु द्वेष (Malice) मिथ्या कारावास की कार्यवाही का आवश्यक तत्व नहीं है।

(४) क्षति (Damage) द्वेषपूर्ण अभियोग की कार्यवाही का आधार है पर मिथ्या कारावास की कार्यवाही का नहीं है।

प्रश्न ६८ —'क' ने 'ख' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर एक निराधार व मिथ्या आरोपपत्र भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा ५०० के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने 'क' का शपथपूर्वक बयान लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा २०२ का सबूत 'ख' की उपस्थिति में देने का आदेश दिया। इस आदेश के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के आधार पर 'ख' उक्त सबूत की तारीख पर अपने वकील के साथ उपस्थित हुआ और उसे वकील के शुल्कादि में व्यय करना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने उक्त सबूत के आधार पर यह निर्णय दिया कि 'ख' के विरुद्ध किसी अपराध का किया जाना साबित नहीं होता और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २०३ के अन्तर्गत 'क' का आरोप पत्र रद्द कर दिया गया। 'ख' ने 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। 'क' ने दलील दी कि कानून के अन्तर्गत अभियोग का चलना नहीं माना जा सकता।

क्या 'क' की दलील न्यायसंगत है ?

उत्तर समस्या — द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग चलाया। फौजदारी की कानूनी कार्यवाही किसी चरण विशेष पर पहुँच कर ही अभियोग मानी जाती है, यह आवश्यक नहीं है, बल्कि यदि उससे प्रतिपक्षी को किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, किसी भी चरण पर क्षति पहुँची है तो वह द्वेषपूर्ण अभियोग के अन्तर्गत आएगी [मोहम्मद अमीन प्रति योगेन्द्र कुमार बनर्जी] प्रस्तुत मामले में 'क' की कार्यवाही से 'ख' को क्षति पहुँची। अतएव कानून की दृष्टि में 'क' के द्वारा अभियोग चलाया जाना माना जाएगा और उसको

यह दलील कि कानून के अन्तर्गत मामले की परिस्थितियों में अभियोग का चलना नहीं माना जाना चाहिये, न्यायसंगत नहीं है।

प्रश्न ६९—'क' के आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट ने 'ख' के विरुद्ध समन और तलाशी का वारन्ट (Search warrant) जारी करने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि समन व तलाशी का वारन्ट जारी किया जा सके 'ख' न्यायालय में उपस्थित हो गया और उसकी सुनवाई पर मजिस्ट्रेट ने अपना पूर्वादेश रद्द कर दिया।

क्या 'ख' 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है?

उत्तर समस्या—कानून के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले में अभियोग का चलना उसी समय से माना जायगा जिस समय मजिस्ट्रेट ने 'ख' का समन व तलाशी का वारन्ट जारी करने का आदेश दिया। यह बात तथ्य हीन (Immaterial) है कि 'ख' पहले ही न्यायालय में उपस्थित हो गया और उसका समन व तलाशी का वारन्ट जारी न हो सका। यदि 'ख' द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के आवश्यक तत्व—द्वेष, आरोपों का निराधार व मिथ्या होना, क्षति, इत्यादि सिद्ध करने में समर्थ है तो वह 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

(न) द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाही (Malicious Civil Proceedings)

प्रश्न ७०—क्या द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाहियों (Malicious Civil proceedings) के लिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हो सकती है? विवेचना कीजिये।

उत्तर—द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाही (Malicious Civil Proceedings)—यदि कोई दीवानी का वाद (Suit) द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर किया गया है तो उसके लिए अलग से क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ३५ (अ) में वैसे ही यह व्यवस्था है कि न्यायालय ऐसे वादों में जीतने वाले को विशेष क्षतिपूर्ति भी साथ-साथ प्रदान कर सकता है। लेकिन यह स्मरण रहे कि यदि ऐसे वाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की ख्याति (Reputation) को हानि पहुंचा है अथवा उसकी द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्की (Attachment) आदि हुई है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए अलग से कार्यवाही करने का भी अधिकारी है। [भूपेन्द्रनाथ चटर्जी प्रति त्रिनयनी दासी, (१९४४) २ कलकत्ता ३५८]। द्वेषपूर्ण

अस्थायी न्यायादेश प्राप्त करने पर भी क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

(स) कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes)

प्रश्न ७८ —कानूनी आदेशकों के दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) से क्या तात्पर्य है ? निर्णयों से अधिकृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर —कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) —कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर निराधार कारणों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानून को गति देता है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि यदि कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए उचित आधारों का अभाव है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी कार्यवाही करने वाले ने द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर वह कार्यवाही की है। [ब्राउन प्रति हाउक्स, (१८९१) के० एण्ड बी० ७१८]। कानूनी आदेशकों के दुरुपयोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी की कार्यवाही का निर्णय वादी के पक्ष में हुआ। [निकोलस प्रति शिवरामा अय्यर, (१९२२) ४५ मद्रास ५२७]।

भारत में डिक्री के निष्पादन में की गई क्षतिपूर्ण कुर्की की जिम्मेवारी डिक्रीदार के ऊपर होती है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ९५ में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति की अनुचित गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की पूर्व निर्णय कुर्की (Attachment b fore judgment) से क्षति पहुँची हो तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही (Summary proceeding) में प्रतिकर (Compensation) पा सकता है। यदि वह उक्त धारा के अन्तर्गत प्रतिकर न पा सके तो वह क्षतिपूर्ति के लिए अलग से भी वाद (Suit) प्रस्तुत कर सकता है। (गोवरधन मैथो प्रति बेनी चन्द्रदास (१८७४) २१ डब्लू० आर० १७५] लेकिन ऐसा वाद उस स्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जब कि वादी की सम्पत्ति की कुर्की उसके जमानत न दाखिल करने के कारण की गई हो। [रामास्वामी अय्यर प्रति गोविन्द पिल्ल (१९१५) ३० एम० एल० जे० १८०]

क्षतिपूर्ण कुर्की के लिए क्षतिपूर्ति की धन राशि कुर्क की गई सम्पत्ति की कुर्की के समय की कीमत के बराबर होती है। यदि प्रतिवादी का कृत्य द्वेषपूर्ण और निराधार है तो क्षतिपूर्ति दण्ड Penalty) और प्रतिकर (Compensation) दोनों रूपों में दी जानी चाहिए।

प्रश्न ७९ —द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी (Malicious arrest) की भारतीय कानून के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

उत्तर—द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी (Malicious arrest)—द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी से तात्पर्य निराधार दीवानी आदेशों (Civil processes without reasonable cause) द्वारा कानून को गति में ला कर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराना है। भारतीय कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार उस समय समझा जाता है जब कि उसे गिरफ्तार करने वाले ने वास्तविक रूप से छुआ या रोका हो। प्रतिवादी के द्वारा कराई गई द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी क्षतिपूर्ति के मुकदमे का कारण होती है। [ग्राहम प्रति हेनरी गुडरे (१९३३) ६० कलकत्ता, ६५५] द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिये कारवाई तब नहीं होगी जबकि प्रतिवादी ने सभी तथ्य गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी के समक्ष उसके स्वविवेकपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत कर दिए हों। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति के मामलों में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि—

(अ) द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी की कार्यवाही का अन्तिम निर्णय उसके पक्ष में हुआ,

(ब) गिरफ्तारी प्रतिवादी ने निराधार कारणों से कराई, और

(स) पहुँचाई गई क्षति उस क्षति के अतिरिक्त है जिसके लिए प्रतिकर वाद की डिक्री में दिया जा चुका है या दिया जा सकता था।

(द) प्रास्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य
(Torts affecting Status)

प्रश्न ७३—प्रास्थिति (status) पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—प्रास्थिति (Status) पर प्रभाव डालने वाले क्षति कृत्य—कानून ऐसे कृत्यों को जिनसे किसी व्यक्ति की प्रास्थिति (Status) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े क्षतिपूर्ण मानता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ण कृत्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं—

(१) जाति से बहिष्कार (Exclusion from caste)—प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि जिस जाति में उसका जन्म हुआ है उसका सदस्य बना रहे। यदि कोई व्यक्ति उसको इस अधिकार से वंचित करता है तो उसका कृत्य क्षतिपूर्ण माना जायगा और वह क्षति पूर्ति देने का उत्तरदायी होगा। भावनाओं के मतानुसार जाति से बहिष्कार व्यक्ति की प्रास्थिति (Status) पर प्रभाव डालने वाला क्षतिपूर्ण कृत्य है और इसीलिए अभियोज्य (Actionable) है।

(२) क्लब या अन्य संस्था की सदस्यता से बहिष्कार (Exclusion from membership of club or association)—अक्सर क्लब या अन्य

संस्थाएं सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर देती हैं और प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक संस्था की कुछ न कुछ अपनी सम्पत्ति होती है। यह सम्पत्ति साधारणतया सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति मानी जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था की सदस्यता की निर्धारित शर्तें पूरी करता है उसको अधिकार रहता है कि वह उस संस्था का सदस्य बना रहे। यदि उसको बिना किसी न्यायोचित कारण के संस्था की सदस्यता से निकाल दिया जाए तो उसे अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के ऊपर जिसने कि उसे संस्था की सदस्यता से वंचित कराया है क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाए। फ्रावलाल के मतानुसार यह अधिकार इस कारण होता है कि संस्था की सदस्यता से वंचित किए जाने के कारण वह व्यक्ति क्लब या संस्था की सम्पत्ति पर उसका जो अधिकार है उससे भी स्वतः वंचित हो जाता है। यदि संस्था के पास कोई सम्पत्ति न हो तो इस प्रकार का अधिकार भी उत्पन्न नहीं होगा।

(३) पूजा पाठ आदि के अधिकार से वंचित करना (Exclusion from worship) —प्रत्येक धर्मावलम्बियों के लिए सार्वजनिक पूजा-पाठ आदि के वास्ते मंदिर, मस्जिद, गुरद्वारे या गिरजा घर आदि स्थान निर्धारित रहते हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वह सम्बन्धित धर्म का अनुयायी है तो सार्वजनिक पूजा पाठ या ईश्वरोपासना आदि कर सके। कानून व्यक्तियों के इस अधिकार को मान्यता देता है और यदि व्यक्ति के इस अधिकार को भंग किया जाता है तो उसके लिए क्षतिकर्ता क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

———

७

सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य

(*TORTS TO PROPERTY*)

(अ) अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य

(Torts to Immovable Property)

प्रश्न ७४ —अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर-अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण —अचल सम्पत्ति के प्रति किए गए क्षतिकृत्यो का निम्नलिखित वर्गों मे रखा जा सकता है —

(१) अनधिकार प्रवेश (Trespass) ,

(२) बेदखल या निष्कासन (Dispossession) ,

(३) भावी उत्तराधिकारी के अधिकारो को क्षति (Injury to reversionary rights) ,

(४) प्राकृतिक अधिकारो तथा सुखाधिकारों को क्षति (Injury to Natural rights and Easements) ,

(५) नष्टीकरण (Waste) , एव

(६) बाधा (Nuisance),

प्रश्न ७५ —अनधिकार प्रवेश (Trespass) की परिभाषा देते हुए इस क्षतिकृत्य पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर —अनधिकार प्रवेश (Trespass) —किसी व्यक्ति की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने को या उसकी भूमि के आधिपत्य (Possession) म किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने को अनधिकार प्रवेश कहते हैं। रतनलाल धीरजलाल ने अनधिकार प्रवेश की परिभाषा देते हुए कहा है कि—अनधिकार प्रवेश किसी व्यक्ति की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने या उसके आधिपत्य म किसी प्रकार हस्तक्षेप करने को कहते हैं।" डाक्टर अडरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार अनधिकार प्रवेश में यह आवश्यक नहीं है कि प्रवेशकर्ता शक्ति का प्रयोग करे

और न ही क्षतिपूर्ण इरादा (Wrongful intention) या वास्तविक क्षति (Actual damage) का होना अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रति किया गया छोटा से छोटा अनुचित कार्य अनधिकार प्रवेश के अन्तर्गत आ जाता है यदि उसने सम्पत्ति के स्वामी के आधिपत्य में हस्तक्षेप होता हो। [एन्टिक प्रति कैरिंगटन, १७६५, १८ एस० टी० १०२६]

अनधिकार प्रवेश के सन्दर्भ में यह बात स्मरणीय है कि जो व्यक्ति भूमि के पटल (Surface of the land) का स्वामी है वह भू पटल के नीचे की भूमि (Underlying strata) का भी स्वामी है। यदि कोई व्यक्ति भू-पटल के कितने भी नीचे के भाग में अनधिकार हस्तक्षेप करता है तो वह अनधिकार प्रवेश का कर्ता माना जाएगा। यह भी स्मरणीय है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर किसी निश्चित समय तक ठहरने की अनुमति प्राप्त हुई है और वह व्यक्ति, जितने समय की अनुमति मिली है, उसके बाद भी भूमि पर ठहरा रहता है तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनधिकृत प्रवेशकर्ता ही माना जायगा।

अनधिकार प्रवेश के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनधिकार प्रवेश जब तक कायम रहेगा क्षतिप्राप्त व्यक्ति तब तक प्रत्येक दिन के लिये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि अनधिकार प्रवेश एक बार किए जाने पर जब तक जारी रहे तब तक प्रत्येक दिन वह एक नया अनधिकार प्रवेश माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कूड़ा फेंक दे तो जब तक वह कूड़ा वहाँ पर रहेगा तब तक जिस व्यक्ति की भूमि पर कूड़ा फेंका गया है, प्रत्येक दिन की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा और कूड़े का वहाँ पर रहना प्रत्येक दिन एक नया अनधिकार प्रवेश माना जाएगा।

प्रश्न ५६—यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की भूमि के वायुमंडल में अनधिकार प्रवेश करे तो क्या उसके इस कृत्य को अनधिकार प्रवेश नामक क्षतिकृत्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है?

उत्तर—वायुमण्डल में अनधिकार प्रवेश (Aerial trespass)—डा० अण्डरहिल (Dr Underhill) का कथन है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि के ऊपर समस्त वायुमण्डल पर पूर्णाधिकार है, किन्तु यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमि के ऊपर के वायुमंडल में अनधिकार प्रवेश करता है तो यह कृत्य अनधिकार प्रवेश की कोटि में रखा जाए या नहीं, यह निश्चित नहीं किया जा सका है। इस प्रकरण में जहाँ तक किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर के वायुमण्डल में वायुयान (Aircraft) के उड़ने की बात है इस विषय में वायु नौवरण

अधिनियम, १९२० (Air Navigation Act, 1920) ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई वायुयान किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर वायुमण्डल में होकर उड़ता है तो उस भूमि का स्वामी वायुयान के स्वामी के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकता, किन्तु शर्त यह है कि वायुयान भूमि से पर्याप्त ऊँचाई पर उड़े। यदि वायुयान के उड़ान लेते समय या उतरते समय भू-स्वामी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगी तो भू-स्वामी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा।

भारत में भी इंगलैण्ड के वायु नौचरण अधिनियम (Air Navigation Act) के समान ही भारतीय वायुयान अधिनियम (Indian Aircraft Act) लागू है जिसके प्रावधान सामान्यतः इंगलैण्ड के अधिनियम के प्रावधानों के समान हैं। इस भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रावधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर किसी व्यक्ति को या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के इरादे से उसकी भूमि के ऊपर वायुयान से उड़ता है तो वह एक अपराधी कृत्य (Criminal offence) करता है तथा ६ महीने के कारावास या एक हजार रुपया अर्थ दण्ड या दोनों के लिये जिम्मेदार है।

प्रश्न ७७ — (अ) अनधिकार प्रवेश के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को किन शर्तों को सिद्ध करना आवश्यक है ?

(ब) संयुक्त स्वामी (Joint owners) क्या एक दूसरे के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चला सकते हैं ?

उत्तर — (अ) अनधिकार प्रवेश का सबूत — अनधिकार प्रवेश के आधार पर उपस्थित किए गए वाद में वादी को निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिये —

(१) यह कि जिस समय अनधिकार प्रवेश किया गया उसका भूमि पर वास्तविक आधिपत्य था, तथा

(२) यह कि उसके आधिपत्य में प्रत्यक्ष एवं अनधिकार प्रवेश किया गया।

वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उसको वास्तविक हानि पहुँची, क्योंकि अनधिकार प्रवेश स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) क्षतिकृत्य है।

(ब) संयुक्त स्वामी का दायित्व — संयुक्त स्वामी (Joint owners) भी एक दूसरे पर अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चला सकते हैं यदि उनमें से किसी ने संयुक्त स्वामित्व (Joint ownership) की शर्तों का उल्लंघन किया है।

प्रश्न ७८—अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध वादी को क्या उपाय (Remedies) उपलब्ध हो सकते हैं?

उत्तर—उपाय (Remedies)—अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध वादी को निम्नलिखित तीन उपाय (Remedies) उपलब्ध हो सकते हैं —

(१) वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, या

(२) वह बलपूर्वक अपने आधिपत्य (Possession) की रक्षा कर सकता है और अनाधिकृत प्रवेशकर्ता को अपनी भूमि से बलपूर्वक हटा सकता है, या

(३) वह प्रतिवादी के विरुद्ध व्यादेश (Injunction) जारी कराकर सम्भावित अनधिकार प्रवेश को रुकवा सकता है तथा पहले किए गए प्रवेशकर्ता के कृत्य की समाप्ति रुकवा सकता है।

प्रश्न ७६—अनधिकार प्रवेश के मुकदमे में प्रतिवादी को अपने बचाव (Defence) की क्या दलील उपलब्ध हो सकती हैं?

उत्तर—बचाव (Defence) की दलील—अनधिकार प्रवेश के आधार पर चलाए गए मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित दलीलें दे सकता है —

(१) चिरभोगाधिकार (Prescription)—प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दे सकता है कि जिस भूमि पर प्रवेश करने के आरोप से उस पर अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चलाया गया है उस भूमि पर उसको चिरभोग के कारण प्रवेश करने का अधिकार था।

(२) अनुमति एवं अनुज्ञा (Leave and Licence)—वादी की अनुमति अथवा अनुज्ञा के अन्तर्गत प्रतिवादी ने उसकी भूमि पर प्रवेश किया, प्रतिवादी के बचाव की एक अच्छी दलील है। यह अनुमति अथवा अनुज्ञा प्रत्यक्ष या लिखित रूप में भी (Express) हो सकती है अथवा उपलक्षित (Implied) भी हो सकती है।

(३) कानूनगत अधिकार (Authority under law)—इसमें कानूनी प्रक्रिया (Legal processes) के द्वारा किया गया प्रवेश तथा सार्वजनिक आवश्यकता के कार्यों (Acts of Public necessity) में किया गया प्रवेश आता है जो कानून की दृष्टि में अनधिकार प्रवेश नहीं माना जाता, किन्तु वह कानूनन न्यायोचित वैध होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिवादी के लिए यह एक अच्छी बचाव की दलील है कि उसने वादी की भूमि पर सार्वजनिक आवश्यकता के कारण प्रवेश किया। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के मकान में आग लग गई हो और

माप भाग बुझाने के लिए उसकी भूमि पर उसकी अनुमति के बिना प्रविष्ट हो जाएँ तो ऐसा प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(४) भूमि पर पुन प्रवेश (Re entry on land) —जो व्यक्ति अपनी भूमि स बिना किसी औचित्य के बेदखल या निष्कासित कर दिया गया हो और वह अपनी भूमि पर पुन प्रवेश कर ले तो उसका वह पुन प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(५) चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति (Retaking of goods) —यदि कोई व्यक्ति किसी की चल सम्पत्ति अपनी भूमि पर ले गया है तो जिस व्यक्ति की वह सम्पत्ति है उस अधिकार है कि उस सम्पत्ति को वापस लने के लिए सम्पत्ति ले जाने वाले व्यक्ति की भूमि पर प्रवेश करे। ऐसा प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(६) बाधा को समाप्त करने के लिए प्रवेश (Abatement of Nuisance) —किसी की भूमि पर बाधा (Nuisance) को हटान या बन्द करन के लिए जाने वाले व्यक्ति का प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(७) सुखाधिकार (Easement) —जिस व्यक्ति की भूमि पर अन्य व्यक्ति को सुखाधिकार (Easement) प्राप्त है उस व्यक्ति की भूमि पर वह अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किन्तु यह अधिकार कवल आवश्यकता पड़न पर, अर्थात् जिस आवश्यकता के लिए वह सुखाधिकार प्राप्त है, प्रयुक्त किया जा सकता है।

प्रश्न ८०—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) (Trespass ab initio) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से)—जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिकृत रूप से प्रवेश करता है किन्तु भूमि पर प्रवेश करने के बाद वहाँ पर कोई ऐसा काय करता है जिसको करने का उसे अधिकार नहीं दिया गया था तो उस व्यक्ति का प्रवेश आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेश (Trespass ab-initio) माना जाता है। लेकिन यदि प्रवेशकर्ता ने भूमि के स्वामी या कब्जेदार की अनुमति से भूमि पर प्रवेश किया था न कि कानून द्वारा अनुमति पाकर, तो प्रवेशकर्ता का प्रवेश आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना जरूरी है —

(१) यह कि प्रवेश कानूनगत अधिकार से किया गया, व्यक्ति की अनुमति से नहीं, तथा

(२) प्रवेश करने के बाद का कृत्य गैरकानूनी ढग से किया गया ।

दूसरी शर्त के विषय में यह जान लेना जरूरी है कि किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना (Malfeasance) एक बात है और किसी कृत्य का गैरकानूनी ढग से किया जाना (Misfeasance) एक दूसरी बात है तथा किसी कृत्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्त्तव्य की अवहेलना करना (Non feasance) एक अन्य बात है। अनधिकार प्रवेश (प्रारम्भ से) के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि प्रवेशकर्ता ने प्रवेश करने के बाद का कार्य कानूनी ढग से नहीं किया। इस सम्बन्ध में ६ बढ़इयों का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएं इस प्रकार हैं कि एक बार ६ बढ़ई एक सराय में आए। वहाँ पर कुछ शराब उनको दी गई। उस शराब के पीने के बाद उन्होंने कुछ और शराब के लिए कहा। इस शराब को पीने के बाद उन्होंने उसका मूल्य देने से इन्कार कर दिया। इस पर सराय वाले ने उनके विरुद्ध उन्हें अनधिकार प्रवेशकर्ता घोषित कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि शराब का मूल्य न देना केवल किसी कृत्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्त्तव्य की अवहेलना मात्र (Non feasance) है और वह किसी कृत्य का गैरकानूनी ढग से किया जाना (Misfeasance) नहीं माना जा सकता। अतएव बढ़इयों को अनधिकृत प्रवेशकर्ता घोषित नहीं किया गया। [सिक्स कारपेन्टर्स, (१६१०) एस० एल० सी० १४५]

प्रश्न ८१—बेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की परिभाषा देते हुए उसके आधार पर की गई कार्यवाही में प्रतिवादी के बचाव की सम्भव दलीलों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—बेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession)—जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर उसे बेदखल करके बिना किसी अधिकार के अपना आधिपत्य जमा लेता है तो उसके इस क्षतिपूर्ण कृत्य को बेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की संज्ञा दी जाती है। जिस व्यक्ति की भूमि पर इस प्रकार अनधिकार आधिपत्य जमाया गया हो उसे अधिकार होता है कि वह आधिपत्य करने वाले व्यक्ति पर इस कृत्य के प्रति वाद प्रस्तुत करे और उसे बेदखल करा दे।

बचाव की दलीलें—उपर्युक्त प्रकार के मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) यह कि प्रतिवादी को भूमि पर वादी से अच्छा स्वत्व (Better title) प्राप्त है, या

(२) यह कि चिरभोगाधिकार (Prescription) के कारण प्रतिवादी का अधिकार वादी की भूमि पर हो गया है और वादी का साम्पत्तिक अधिकार समाप्त हो गया है।

प्रश्न ८२ —सुखाधिकारों (Easements) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर —सुखाधिकारों के अन्तर्गत अधिकार —सुखाधिकारों (Easements) के अन्तर्गत आने वाले वैसे तो अनेक अधिकार होते हैं किन्तु इनमें से मुख्य अधिकारों की विवेचना नीचे की जा रही है —

(१) जल प्राप्त करने का अधिकार (Right to water) —प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी नदी अथवा जलाशय से जल से लाभ उठाता रहा है उसको अधिकार है कि वह उसी प्रकार लाभ उठाता रहे। जल प्राप्त करने के इस अधिकार के साथ तीन प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है —

(अ) पानी की धारा को रोककर, या

(ब) पानी को गन्दा करके, या

(स) पानी के स्रोत को रोककर।

इस प्रकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने वाले के विरुद्ध परिस्थिति के अनुसार कानूनी उपाय प्राप्त किये जा सकते हैं।

(२) प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार (Right to light) —प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार किसी इमारत के सदंभ में ही प्राप्त किया जा सकता है। खुले हुए मैदान या उद्यान के प्रति चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। स्मरण रहे कि जब सुखाधिकार (Easement) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार अर्जित कर लिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना एक अभियोज्य क्षतिपूर्ण कृत्य माना जाता है।

(३) वायु प्राप्त करने का अधिकार (Right to air) —वायु प्राप्त करने का अधिकार भी सामान्यतः चिरभोग द्वारा अर्जित किया जाता है। इस अधिकार में हस्तक्षेप किए जाने पर वादी तभी वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह सिद्ध करने का दावा कर सके कि वायु के प्रतिवादी द्वारा रोके जाने से उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की सम्भावना है। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा २७८ के अन्तर्गत वायु को दूषित करना एक दण्डनीय अपराध भी है।

(४) पथ का अधिकार (Right to way)—दूसरे व्यक्ति की भूमि पर होकर रास्ता चलने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार स्वीकृति (Grant), प्राचीन रिवाज (Immemorial custom), आवश्यकता (Necessity) अथवा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह बात भी स्मरणीय है कि यह अधिकार या तो सार्वजनिक अधिकार हो सकता है अथवा वैयक्तिक।

(५) गोपनीयता का अधिकार (Right to privacy)—प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरेलू काम धन्धों से सम्बन्धित बातों को गोपनीय रखने का अधिकार है। भारत में इस प्रकार का अधिकार स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर रक्षित किया जाता है। लेकिन इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत के उच्च न्यायालय इस विषय में एकमत नहीं हैं। भारतीय संविधान भी स्त्रियों को पर्दे में रखने के पक्ष में नहीं जान पड़ता। पर्दे की प्रथा का बहिष्कार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्माननीय जज श्री धवन ने एक मुकदमे का निर्णय देते हुए कहा है कि पर्दे की प्रथा दिनों दिन समाप्त होती जा रही है और यहाँ तक कि बहुत से प्रगतिशील मुसलमानी देशों में भी इसका बहिष्कार किया जा रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिकों को अपने मकानों की बनावट में केवल इस कारण परिवर्तन करने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा किसी के घर की स्त्रियों की बेपर्दगी होती है।

बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार गुजरात में प्रचलित प्रथा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के घर की गोपनीयता के अधिकार को भंग करना एक अभियोज्य कृत्य है। अतः किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मकान में इस प्रकार के दरवाजे या खिड़कियाँ लगाए जिसके द्वारा उसके पड़ोसियों के मकान के भीतर का भाग दिखाई दे और इस प्रकार उनके गोपनीयता के अधिकार की अवहेलना हो। कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों ने यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया। पटना उच्च न्यायालय के अनुसार भी गोपनीयता का अधिकार अचल सम्पत्ति का जन्मजात अधिकार नहीं है।

प्रश्न ८३—किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण (Waste) किस प्रकार का क्षतिकृत्य है ?

उत्तर—नष्टीकरण (Waste) —किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण भी उस सम्पत्ति के प्रति किए गए क्षतिकृत्यों के अन्तर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को कानूनी रूप से प्रयोग करने के बजाय उसको बर्बाद करे

अथवा उसमें तोड़ फोड़ करे तो ऐसे कृत्य को नष्टीकरण (Waste) के अन्तर्गत रखा जाएगा। यह नष्टीकरण दो प्रकार का हो सकता है—एक तो किसी वस्तु के न करने के कारण और दूसरे क्षतिपूर्ण कृत्य को करके उदित किया हुआ नष्टीकरण।

(ग) चल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to Movable Property)

प्रश्न ८४—चल सम्पत्ति के प्रति किये जाने वाले क्षतिकृत्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

उत्तर चल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य—चल सम्पत्ति के प्रति मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षतिकृत्य किए जा सकते हैं—

(१) चल सम्पत्ति को अनधिकृत हस्तगत करना (Trespass to goods)—किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत करने, उस पर आधिपत्य जमाने या उसके प्रति किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने को चल सम्पत्ति के प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप करना (Tresspass to goods) कहते हैं। इस प्रकार के क्षतिपूर्ण कृत्य के प्रति चलाए गए मुकदमे में वादी को निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिए—

(अ) यह कि कथित चल सम्पत्ति उसके आधिपत्य में थी, और

(ब) यह कि उसके आधिपत्य में प्रतिवादी द्वारा अनधिकार हस्तक्षेप किया गया।

(२) अनधिकृत हस्तगत करना (आरम्भ से) [Trespass ab-initio]—जब कोई व्यक्ति कानूनी ढंग से कोई चल सम्पत्ति प्राप्त करता है किन्तु प्राप्त करने के बाद उसको बर्बाद करने लगता है या जिस काम के लिए उसको लिया था उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाता है और वह प्रयोग कानूनी शर्तों के विरुद्ध होता है तो कहा जाता है कि उस चल सम्पत्ति का हस्तगत करना आरम्भ से ही अनधिकृत (Trespass ab initio) था।

(३) अवरोध (Detention)—अवरोध (Detention) से तात्पर्य किसी दूसरे की चल सम्पत्ति (Chattel) को बिना किसी कानूनी औचित्य (Legal justification) के अपने पास रोक लेना है। इस कृत्य के आधार पर चलने वाले मुकदमों में वादी को सिद्ध करना चाहिये कि वह आधिपत्य का अधिकारी है और प्रतिवादी ने वादी द्वारा माँगे जाने पर सम्पत्ति को वापस देने से इन्कार कर दिया है।

(४) परिवर्तन (Conversion)—जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से लेकर उसको प्रयोग में लाता है अथवा उसे बर्बाद करता है या उसके आधिपत्य में किसी अन्य प्रकार का हस्तक्षेप करता है

को उसे परिवर्तन करना (Conversion) कहते हैं। परिवर्तन में पूर्व सम्पत्ति का हस्तगत किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति लेकर उसका अनधिकृत विक्रय करले तो उसका कृत्य परिवर्तन के अन्तर्गत ही आएगा। इस प्रकार के क्षतिपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध वादी को तीन प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं —

(अ) वह उस चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति (Recaption) कर सकता है, या

(ब) वह न्यायालय से उस सम्पत्ति की वापसी के लिए आज्ञापत्र जारी करा सकता है, या

(स) वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न ८५ —चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण दीजिए।

उत्तर —चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यवाही —चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं —

(१) रेप्लेविन (Replevin) —यह एक पुरानी कार्यवाही का रूप है जिसके अनुसार वादी प्रतिवादी से अपनी चल सम्पत्ति पुनः प्राप्त करता था। कार्यवाही का यह रूप अब बहुत कम प्रयुक्त होता है।

(२) ट्रोवर (Trover) —इस कार्यवाही के अनुसार वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति के रूप में, मौलिक चल सम्पत्ति के स्थान पर, धनराशि लेता था, यदि प्रतिवादी चल सम्पत्ति वापस करने को मना कर देता था। इस कार्यवाही के द्वारा वादी चल सम्पत्ति का मूल्य भर ही वसूल कर सकता था न कि वास्तविक सम्पत्ति।

(३) डेटिन्यू (Detinue) —इस कार्यवाही के अनुसार वादी प्रतिवादी से अपनी वास्तविक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और साथ ही सम्पत्ति के प्रतिवादी के पास अनुचित रूप से रहने के लिए क्षतिपूर्ति भी वसूल करता था।

प्रश्न ८६ —चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत कर लेने के मुकदमे में प्रतिवादी को अपने बचाव में क्या सम्भव दलीलें उपलब्ध हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर —बचाव की दलीलें —चल सम्पत्ति के अनधिकृत रूप से हस्तगत कर लेने के मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित दलीलें दे सकता है —

(१) स्वरक्षा अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा (Self defence or defence of Property) —जिस व्यक्ति के पास चल सम्पत्ति [illegible] आधिपत्य

है उससे यदि कोई अन्य व्यक्ति अनुचित ढंग से सम्पत्ति छीनना चाहता है तो सम्पत्ति पर आधिपत्य रखने वाले को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति के प्रति बल का प्रयोग करे और अपने आधिपत्य की रक्षा करे।

(२) पूर्णाधिकारों तथा परिमित अधिकारों का उपभोग —इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का किराया दूसरे व्यक्ति के जिम्मे बाकी है उसे अधिकार है कि अपने किराये को वसूल करने के लिए वह उसकी सम्पत्ति ले ले।

(३) कानूनी अधिकार —कानून द्वारा अधिकृत होने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चल सम्पत्ति पर अधिकार जमा सकता है।

(४) वादी के स्वयं क्षतिपूर्ण एवं असावधानीपूर्ण कृत्य —यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की राह रोके, उदाहरणार्थ, उसके मार्ग घोड़ा या गाड़ी आदि खड़ी करके मार्ग बन्द करने का प्रयत्न करे तो उसे अधिकार होगा कि वह बल का प्रयोग करके अपना रास्ता साफ कर ले।

(५) पुनर्प्राप्ति (Recaption) —जो व्यक्ति अनुचित ढङ्ग से अपनी चल सम्पत्ति के आधिपत्य से वंचित कर दिया गया है उसे अधिकार है कि वह उस चल सम्पत्ति को जहाँ कहीं देखे या पाये वहीं से वापस ले ले, किन्तु ऐसा करने में उसे न तो सार्वजनिक शान्ति (Public peace) भंग करने का अधिकार है और न हिंसात्मक ढंग अपनाने का।

(६) जस टर्टाई Jus Tertii) —इस पद (Term) का शाब्दिक अर्थ है "अन्य व्यक्ति का अधिकार"। प्रतिवादी यह दलील नहीं दे सकता कि वादी जिस वस्तु के लिए मुकदमा चला रहा है उस पर वास्तविक स्वामित्व का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का है न कि वादी का। ऐसी दलील प्रतिवादी तभी दे सकता है जब कि वह वास्तविक स्वामी द्वारा अधिकृत होकर काम कर रहा हो। यह बात भी स्मरणीय है कि प्रतिवादी उक्त दलील केवल ऐसे वादी के विरुद्ध दे सकता है जिसके पास न तो कथित वस्तु का वास्तविक आधिपत्य (Actual possession) है और न रचनात्मक आधिपत्य (Constructive possession) है।

———

८

बाधा

(*NUISANCE*)

प्रश्न ८७—बाधा (Nuisance) की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का विवरण दीजिए।

उत्तर —बाधा (Nuisance)—अंग्रेजी भाषा का श ब्द न्यूसं स' जिसका हिन्दी पर्यायवाची शब्द 'बाधा' प्रयुक्त हुआ है, फ्रांसीसी भाषा के नुई (Nuire) शब्द से पैदा हुआ है। नुई (Nuire) शब्द का अर्थ हानि पहुँचाना या परेशान करना है। रतनलाल धीरजलाल ने बाधा (Nuisance) की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन या दायदाय सम्पत्ति को हानि पहुँचाना या उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप करना कि कृत्य अनधिकार प्रवेश (Trespass) के अन्तर्गत न रखा जा सके 'बाधा' कहलाता है। ब्लैकस्टोन (Blackstone) के मतानुसार बाधा एक ऐसा कृत्य है जिसमें कि किसी को हानि पहुँचती हो या असुविधा अथवा क्षति पहुँचती हो। विनफील्ड (Winfield) का कथन है कि यद्यपि बाधा की यथेष्ट परिभाषा देना सम्भव नहीं है, लेकिन क्षतिकृत्य कानून के उद्देश्यों के लिए यह एक ऐसा अनुचित कृत्य कहा जा सकता है जिससे किसी की भूमि आदि में अनधिकार हस्तक्षेप का भान हो।

इस प्रकार बाधा किसी व्यक्ति की भूमि के प्रति किया गया अनुचित कृत्य है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को असुविधा हो सकती है। यह बाधा भूमि का वास्तविक क्षति पहुँचा कर भी हो सकती है अथवा सुखाधिकार या भूमि द्वारा होने वाले लाभों को क्षति पहुँचाकर भी हो सकती है।

बाधा असावधानी (Negligence) के कानून का भागीकरण नहीं है। अतएव बाधा सम्बन्धी वाद में प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि उसने उचित सावधानी से कृत्य किया।

बाधा के दो प्रकार होते हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है —

(१) सार्वजनिक बाधा (Public Nuisance)—सार्वजनिक बाधा किसी सार्वजनिक अधिकार के भंग करने के कारण या उसमें किसी प्रकार गैरकानूनी

हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसी बाधा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भूमि विशेष के प्रति ही हो, बल्कि इसके अन्तर्गत वे सभी परिणाम आ जाते हैं जिनके कारण सर्वसाधारण को असुविधा, परेशानी या क्षति आदि पहुँचे या जिनसे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो। उदाहरणार्थ किसी सार्वजनिक मार्ग को रोकना, कानों को बुरी लगने वाली आवाज (Noise) उत्पन्न करना, वायुमंडल को विषैली गैस आदि से दूषित करना तथा और किसी प्रकार का धुआँधार आदि करना सार्वजनिक बाधा कहलाते हैं।

सामण्ड (Salmand) के मतानुसार सार्वजनिक बाधा एक ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसके करने या न करने के कारण किसी को असुविधा होती है या किसी की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि सार्वजनिक बाधा के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह निश्चित सार्वजनिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए जाने से ही उत्पन्न हो, प्रत्युत वे सभी कृत्य जो जन साधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, सार्वजनिक बाधा के अन्तर्गत माने जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर जन साधारण के प्रति होना चाहिए।

यह बात भी स्मरणीय है कि किसी सार्वजनिक बाधा के विरुद्ध किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उस व्यक्ति को सर्वसाधारण की तुलना में कुछ अधिक क्षति न पहुँची हो।

सार्वजनिक बाधा के विषय में यह भी याद रखना चाहिए कि यदि कोई कृत्य कानून द्वारा स्वीकृति के पश्चात् किया गया है तो वह सार्वजनिक बाधा के अन्तर्गत नहीं आएगा। यह बात भी याद रखना चाहिए कि अन्य अधिकार तो चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं पर सार्वजनिक बाधा का अधिकार इस आधार पर अर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए सार्वजनिक बाधा के आधार पर चलाए गए मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि उसे सार्वजनिक बाधा उत्पन्न करने का अधिकार चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त हो गया था।

(२) व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)—जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उपभोग इस प्रकार करता है कि उससे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को गैर-कानूनी रूप से क्षति पहुँचती है तो ऐसी क्षति को व्यक्तिगत बाधा कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का इस प्रकार उपभोग करता है कि उससे दूसरे की सम्पत्ति में गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप होता है तो वह भी व्यक्तिगत बाधा

के अन्तर्गत आता है। स्मरण रहे कि सम्पत्ति में हस्तक्षेप अनधिकार प्रवेश (Trespass) द्वारा होने पर बाधा नहीं कहा जायगा।

प्रश्न ८८—सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का अन्तर—सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा में निम्नलिखित अन्तर हैं—

सार्वजनिक बाधा (Public Nuisance)	व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)
१ यह ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसे करने या न करने के कारण आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में बाधा पड़े।	१ यह सम्पत्ति का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को गैरकानूनी रूप से क्षति पहुँचे या उसमें गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप हो।
२ यह सार्वजनिक अधिकार भंग करता है।	२ यह व्यक्तिगत अधिकार में हस्तक्षेप करता है।
३ क्षति सर्वसाधारण या उसके बड़े हिस्से को पहुँचनी चाहिए।	३ क्षति व्यक्ति विशेष को पहुँचनी चाहिए।
४ चिरभोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त नहीं होता।	४ चिरभोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त हो सकता है।
५ जब कि व्यक्ति को विशेष क्षति न पहुँची हो वह वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता।	५ व्यक्ति कानूनी कार्यवाही कर सकता है।
६ बाधा उपस्थित करने वाले के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे रोकने के लिए न्यायादेश (Injunction) भी जारी कराया जा सकता है।	६ क्षति प्राप्त व्यक्ति बाधा की समाप्ति के लिए तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

प्रश्न ८९—सार्वजनिक बाधा के आधार पर वाद प्रस्तुत करने का क्या नियम है ?

उत्तर—सार्वजनिक बाधा के प्रति वाद—सार्वजनिक बाधा के विरुद्ध सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन

इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। किसी सार्वजनिक बाधा के विरुद्ध कोई व्यक्ति तब वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह सिद्ध कर दे कि—

(१) सर्वसाधारण की अपेक्षा उसको विशिष्ट क्षति (Special damage) पहुँची है,

(२) यह क्षति कथित बाधा का प्रत्यक्ष परिणाम है, तथा

(३) जो क्षति पहुँची है वह तुच्छ (Petty) न होकर पर्याप्त (Substantial) क्षति है।

प्रश्न ६० —सार्वजनिक बाधा के प्रति उपायों (Remedies) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर —सार्वजनिक बाधा के प्रति उपाय —सार्वजनिक बाधा के प्रति दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। एक तो दीवानी न्यायालय से व्यादेश द्वारा बाधा को रोका जा सकता है और विशिष्ट क्षति की दशा में क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरे फौजदारी न्यायालय में भी सार्वजनिक बाधा के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इंगलैंड में दीवानी कार्यवाही अटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा की जा सकती है। भारत में भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ९१ तथा ९३ में सम्बन्धित कानूनों का प्राविधान है। इन प्राविधानों के अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एडवोकेट जनरल (Advocate General) तथा अन्य नगरों में कलेक्टरों (Collectors) को सार्वजनिक बाधा के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। फौजदारी न्यायालयों में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) में यथासंगत प्राविधान किये गए हैं।

प्रश्न ६१ —अनधिकार प्रवेश (Trespass) और बाधा (Nuisance) में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —अनधिकार प्रवेश (Trespass) और बाधा (Nuisance) में अन्तर — इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(१) अनधिकार प्रवेश स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) है पर बाधा सामान्यतः नहीं।

(२) अनधिकार प्रवेश आधिपत्य (Possession) के विरुद्ध अनुचित कृत्य है किन्तु बाधा आधिपत्य से सम्बन्धित अधिकारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ण कृत्य है।

प्रश्न ६२—व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance) के विरुद्ध कानूनी उपायों का विवरण दीजिए।

उत्तर —व्यक्तिगत बाधा के प्रति उपाय —व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance) के विरुद्ध निम्नलिखित उपाय उपलब्ध होते हैं —

(१) समाप्ति (Abatement) —यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत बाधा द्वारा असुविधा हो रही हो तो वह स्वतः सहायता (Self help) का सहारा लेकर उस बाधा को समाप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा करने में उसे शान्तिपूर्ण ढंग अपनाना आवश्यक है।

(२) न्यायादेश (Injunction) —यह उपाय तब उपलब्ध हो सकता है जब वादी को व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वाली क्षति इतनी स्थायी तथा अधिक हो कि उसकी पूर्ति धन द्वारा क्षतिपूर्ति देकर न की जा सकती हो।

(३) क्षतिपूर्ति (Damages) —व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वाली क्षति को पूरा करने का अन्तिम उपाय क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है।

प्रश्न ६३ —बाधा के लिए किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ?

उत्तर —बाधा का दायित्व —निम्नलिखित व्यक्तियों को बाधा के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है —

(१) जो व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है वह उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है। लेकिन भूमि जिस व्यक्ति के आधिपत्य में हो उसका कर्त्तव्य है कि वह बाधा को कायम न रहने दे, अन्यथा दायित्व उस पर आ जाता है।

(२) आमतौर पर जिस व्यक्ति के आधिपत्य की भूमि पर बाधा का उदय होता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(३) आमतौर पर भूमि पर बसने वाले किरायेदार के विरुद्ध ही उस भूमि पर उदित होने वाली बाधाओं के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है। लेकिन भूमि का मालिक भी निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है —

(अ) जब कि भूमि के मालिक ने भूमि को किराये पर उठाने से पहले ही बाधा उत्पन्न कर दी हो, या

(ब) जब कि बाधा भूमि के मालिक के कर्त्तव्यों को न निभाने के कारण पैदा हुई हो या

(स) जब कि भूमि के मालिक ने किरायेदार को बाधा बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनुमति दे दी हो।

प्रश्न ६४—बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलों का विवरण दीजिए।

उत्तर —बचाव की सम्भव दलीलें—बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमो में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) स्वीकृति (Grant)—बचाव की यह एक अच्छी दलील मानी जाती है कि प्रतिवादी यह सिद्ध करे कि वादी द्वारा कथित बाधा किसी स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

(२) प्रतिवादी अपने बचाव मे यह दलील दे सकता है कि कथित बाधा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा अर्जित अधिकार का परिणाम है।

(३) प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दे सकता है कि कानून ने प्रतिवादी को कथित बाधा के लिए अधिकृत कर दिया है।

लेकिन बाधा सम्बन्धी मुकदमों में निम्नलिखित दलीलें बचाव मे नही दी जा सकती —

(१) यह कि वादी स्वयं बाधा के पास आया और इस कारण उसको क्षति पहुँची।

(२) यह कि अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

(३) यह कि प्रतिवादी अपनी भूमि का तथा उससे सम्बन्धित अधिकारों का उपभोग कर रहा है और यदि उससे कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(४) यह कि वह बाधा रोकने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर चुका है।

प्रश्न ६५—'क' एक मकान बनाता है। 'ख' उसके मकान के आगे गन्दा पानी इस प्रकार से इकट्ठा कर देता है जिससे बाधा उत्पन्न होती है। 'क' जानता है कि 'ख' को चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 'क' 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूर्ति तथा न्यायादेश (Injunction) के लिए दावा करता है। 'ख' अपने बचाव में यह दलील देता है कि 'क' यह सब जानते हुए भी उस मकान में रहता रहा है।

क्या 'ख' की उपर्युक्त दलील बचाव प्रस्तुत कर सकती है?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में 'ख' की दलील बचाव प्रस्तुत करने

में असमर्थ है। बाधा की कार्यवाही में प्रतिवादी की यह दलील निरर्थक है कि वादी को बाधा का ज्ञान था और वह यह जानते हुए भी उसमें रहता रहा।

प्रश्न ९६—प्रतिवादी की भूमि में खड़े एक वृक्ष की एक शाखा सार्वजनिक मार्ग के ऊपर करीब तीस फीट की ऊँचाई पर झुकी हुई थी। जाड़ों की ऋतु में अकस्मात् वह शाखा वादी की गाड़ी पर जो उस मार्ग से जा रही थी गिर पड़ी जिसके परिणामस्वरूप वादी की गाड़ी को क्षति पहुँची। यह सिद्ध हुआ कि शाखा भीतर से खोखली हो गई थी किन्तु उसका खोखलापन उचित निरीक्षण द्वारा लक्षित नहीं हो सकता था।

क्या वादी प्रतिवादी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि शाखा काफी ऊंचाई पर झुकी हुई थी और किसी प्रकार भी सार्वजनिक मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं करती थी। यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि वह शाखा भीतर से खोखली हो गई थी पर उसका खोखलापन प्रत्यक्ष लक्षित नहीं हो सकता था। शाखा के अकस्मात् गिरने का कारण उसका अप्रत्यक्ष खोखलापन था जिसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रश्न ९७—प्रतिवादी एक स्थान पर अपनी मशीन को बीस वर्ष से अधिक समय से चला रहे थे। उस स्थान के करीब वादी, जो एक डाक्टर था, का बगीचा था। वादी ने उस बगीचे के एक कोने पर अपने अध्ययन के लिए एक कमरा बनवाया। मशीन के शोर से उसको बड़ी असुविधा हुई।

क्या वादी बाधा के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर सकता है ?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर सकता है यदि वह यह सिद्ध कर दे कि प्रतिवादी की मशीन से उसे बहुत असुविधा होती है। प्रतिवादी चिरभोगाधिकार (Prescription) की दलील अपने बचाव में नहीं दे सकते, क्योंकि वादी के अध्ययन का कमरा बनने से पहले मशीन का शोर बगीचे के लिए हानिकारक नहीं था, किन्तु अध्ययन का कमरा बन जाने के कारण वह हानिकारक हो गया और इसीलिए वह अभियोज्य (Actionable) बन गया।

प्रश्न ९८—'क' ने 'ख' को अपनी भूमि कैमिकल पत्थरों को एसिड बनाने के लिए एकत्रित करने को किराये पर दी। 'ख' के पत्थर एकत्रित

करने की प्रक्रिया से निकलने वाली गेस वायुमंडल को विषैला करती है जिससे पास पडोस के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें असुविधा होती है।

उपर्युक्त मामले में बाधा के लिए क्या 'क' उत्तरदायी है?

उत्तर —समस्या —कानून के अन्तर्गत भूमि का स्वामी किरायेदार द्वारा पैदा की गई बाधा के लिए तब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि बाधा उपस्थित करने की उसने अनुमति दी हो। प्रस्तुत मामले में 'क' ने कैमिकल पत्थरों को एकत्रित करने के लिए अपनी भूमि को किराये पर दिया है। वह जानता है कि ऐसा करने से विषैली गैस वायुमण्डल में फैलेगी। अतएव बाधा उपस्थित करने के लिए उसका यह कृत्य उसकी अप्रत्यक्ष अनुमति सिद्ध करता है, इसलिए वह उपर्युक्त बाधा के लिए उत्तरदायी है।

असावधानी

(NEGLIGENCE)

प्रश्न ६६ — (अ) असावधानी (Negligence) और आंशिक असावधानी (Contributory Negligence) की परिभाषाएँ दीजिए।

(ब) वादी ने एक चलती हुई ट्राम गाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न किया किन्तु अपने प्रयत्न में असफल रहा और इस प्रयत्न में ट्राम गाड़ी के पहिये से उसके पैर का अँगूठा कट गया। वादी ने ट्राम के कम्पनी पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया। क्या वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है?

उत्तर —असावधानी (Negligence) —चम्बर्स के शब्द कोष में असावधानी (Negligence) का अर्थ उचित सावधानी का अभाव (Want of proper care) दिया गया है। सामण्ड (Salmond) ने असावधानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि "असावधानी दण्डनीय लापरवाही है (Negligence is culpable carelessness)'। विलस (Willes) के अनुसार असावधानी से ऐसी सावधानी की कमी का बोध होता है जिसका बरतना प्रतिवादी का कर्त्तव्य हो। कहा जा सकता है कि असावधानी एक ऐसा कृत्य है जिसमें कि कर्ता अपने कृत्य के परिणाम की ओर से उदासीन हो। विनफील्ड (Winfield) ने कहा है कि असावधानी एक क्षतिकृत्य की हैसियत में उचित सावधानी बरतने के कानूनी कर्त्तव्य की अवहेलना करना है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुँच जाए। दूसरे शब्दों में अपेक्षित सावधानी न बरतने के कारण कर्त्तव्य से विमुख होने को असावधानी कहते हैं।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर असावधानी के तीन आवश्यक तत्त्व (Elements) । पहला तो कानूनी कर्त्तव्य, दूसरा उस कर्त्तव्य से विमुख होना और तीसरा उस कानूनी कर्त्तव्य से विमुख होने के परिणाम स्वरूप क्षति का होना। इस प्रकरण में यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि सावधानी बरतने का कर्त्तव्य कानूनी कर्त्तव्य होना चाहिये। नैतिक या धार्मिक कर्त्तव्य से विमुख होने वाले के विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत असावधानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

किस परिस्थिति में सावधानी बरतने का कर्तव्य विद्यमान है इस विषय पर डोनोघ्यू प्रति स्टीवेन्सन का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएं इस प्रकार हैं। एक जिंजर बियर (एक प्रकार का पेय) के निर्माता ने एक अपारदर्शक शीशे की बोतल में बियर भर कर एक दुकानदार को बेच दी। दुकानदार ने उस बियर की बोतल को ज्यों की त्यों एक दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति ने वह बियर एक स्त्री को पीने के लिए दी। उस स्त्री ने थोड़ी सी बियर पीने के बाद देखा कि उसमें सड़ा हुआ घोंघा मिला था जो कि कारखाने में बन्द करते समय बियर में मिल गया था। वह स्त्री बियर पीकर बीमार हो गई। उसने बियर के निर्माता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के निर्णय में कहा गया कि यद्यपि बियर निर्माता एवं बियर प्रयोग करने वाली स्त्री के बीच कोई संविदात्मक कर्त्तव्य (Contractual duty) न था तो भी बियर निर्माता असावधानी के लिए उत्तरदायी है।

सावधानी बरतने के प्रसंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को किस परिस्थिति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनवेत्ताओं ने सावधानी का जो मापदण्ड (Standard) निर्धारित किया है, उसके अनुसार मनुष्य तीन प्रकार की सावधानी बरत सकता है। एक तो प्रत्येक परिस्थिति में अत्यधिक सतर्कता एवं सावधानी बरती जाए, दूसरे उतनी सावधानी जितनी कि साधारण व्यक्ति अपने कार्यों को करने में बरतता है और तीसरी वह, जो कि इस साधारण सावधानी से कम हो। इन तीनों कोटि की सावधानी में से दूसरे कोटि की सावधानी की प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है। लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि व्यक्ति की साधारण सावधानी भी परिस्थिति के अनुसार बदलती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में बल्लम लेकर भीड़ में जा रहा है तो उसको उस व्यक्ति की तुलना में जो उस भीड़ में छाता लेकर जा रहा है, बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखिए कि सावधानी की कोटि इस बात पर निर्भर रहती है कि जिस कृत्य को किया जा रहा है और जिस परिस्थिति में किया जा रहा है, उसमें कितनी सावधानी की आवश्यकता है।

आंशिक असावधानी (Contributory negligence) —आंशिक असावधानी की परिभाषा देते हुए रतनलाल धीरजलाल ने कहा है कि आंशिक असावधानी से उस असावधानी का बोध होता है जिसमें कि वादी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होने वाले परिणामों को घटित होने से न रोके जब कि उसे ऐसा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। डाक्टर अण्डरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार वादी को

आंशिक असावधानी का दोषी [redacted] बताया जाता है जब कि उसने अपनी लापरवाही द्वारा अपने को इस प्रकार क्षति पहुँचाई हो कि यदि वह सावधानी से काम करता तो उसको प्रतिवादी द्वारा की गई असावधानी के परिणामस्वरूप क्षति न पहुँचती।

आंशिक असावधानी के विषय में विलेस (Willes) ने कहा है कि यदि वादी और प्रतिवादी दोनों बराबर-बराबर दोषी हैं और दोनों की संयुक्त असावधानी के कारण दुर्घटना घटी है तो वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। यदि वादी की असावधानी ही क्षति का कारण है तो भी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है चाहे ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की कितनी भी असावधानी रही हो।

आंशिक असावधानी के सिद्धान्त को समझने के लिये डेवीस प्रति मान [(१८४२) १० एम० डब्लू० ५४६] के मामले का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मामले की घटनाएं इस प्रकार हैं—एक बार एक व्यक्ति ने सार्वजनिक मार्ग पर एक गधे का उसके पैर बाँध कर घास चरने के लिए छोड़ दिया। एक मोटर ड्राइवर द्वारा सड़क पर चलते समय उस गधे को चोट पहुँच गई। गधे के स्वामी ने मोटर के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में कहा गया कि मोटर ड्राइवर को दुर्घटना बचाने का अवसर था, और इस अवसर के होते हुए भी उसने गधे को चोट पहुँचाई। अतएव मोटर का स्वामी गधे के स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

आंशिक असावधानी सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो यह कहता है कि उसके विपक्षी ने असावधानी से काम किया। सामान्यतः प्रतिवादी ही अपने बचाव में वादी की आंशिक असावधानी की दलील देता है। यदि प्रतिवादी ऐसा सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या सबूत के आधार पर वादी की आंशिक असावधानी सिद्ध नहीं होती तो वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वह आंशिक असावधानी का दोषी नहीं है। यदि न्यायालय इस निश्चय पर पहुँचने से असमर्थ रहे कि वादी और प्रतिवादी में कौन असावधानी का दोषी है तो ऐसी परिस्थिति में न्याय प्रतिवादी के पक्ष में होगा।

(ब) समस्या —प्रस्तुत मामले की घटनाएं एक प्रमुख मुकदमे तेमुल जी जमशेद जी प्रति बम्बई ट्रामवे कम्पनी (१९११) बम्बई लॉ रिपोर्टर, ३४५) की घटनाएं हैं। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया है कि प्रतिवादी (ट्रामवे कम्पनी) वादी को क्षति पूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वादी ने स्वयं ही असावधानी से काम किया है।

प्रश्न १०० —आंशिक असावधानी के सिद्धान्त पर नवीन विधानों ने क्या प्रभाव डाला है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर आंशिक असावधानी पर नवीन विधानों का प्रभाव :—इंगलैण्ड के सब साधारण कानून (Common Law) के आंशिक असावधानी के सिद्धान्त को सुधारने के लिये कानून सुधार (आंशिक असावधानी) अधिनियम, १९४५ [The Law Reforms (Contributory Negligence) Act] पास किया गया है। इस अधिनियम ने आंशिक असावधानी के सिद्धान्त में बहुत संशोधन कर दिया है। अब संशोधित कानून के अनुसार यह नियम बन गया है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी तथा अन्य किसी व्यक्ति की असावधानी के परिणामस्वरूप कोई क्षति पहुँचे तो ऐसी परिस्थिति में उस क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से पूर्णतया वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में न्यायालयों को अधिकार होगा कि वे परिस्थितियों को देख कर न्यायानुकूल ढंग से क्षतिपूर्ति की धनराशि कम कर दें। लेकिन क्षतिपूर्ति की धनराशि को कम करने से पहले न्यायालय को यह निश्चय करना अनिवार्य है कि यदि वादी ने असावधानी से काम न किया होता तो उसको कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता।

प्रश्न १०१ —असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमे में वादी को क्या सिद्ध करना चाहिए ?

उत्तर असावधानी का सबूत —असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमे में वादी को निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिये —

(१) यह कि प्रतिवादी का कानूनी कर्तव्य था कि वह उचित मात्रा में सावधानी बरतता,

(२) यह कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य वादी के प्रति था,

(३) यह कि प्रतिवादी ने अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं किया,

(४) यह कि वादी को जो हानि पहुँची, वह प्रतिवादी की असावधानी का प्रत्यक्ष परिणाम (Direct consequence) था

(५) यह कि वादी को प्रतिवादी की कथित असावधानी के परिणामस्वरूप क्षति उठानी पड़ी।

स्मरण रहे कि असावधानी सम्बन्धी मुकदमों में भी कानून [redacted] यह सामान्य नियम लागू होता है कि जो व्यक्ति कोई बात कहता है, उसको सिद्ध करना उसी का

उत्तरदायित्व है। अतएव वादी को यह सिद्ध करना जरूरी है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काम किया और उसकी असावधानी के कारण वादी को क्षति पहुँची है।

प्रश्न १०२ —'परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं' (Res ipsa loquitur) के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

उत्तर —परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं (Res ipsa loquitur) असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में वादी पर यह सिद्ध करने का भार (Onus of proof) होता है कि प्रतिवादी के असावधानी से काम करने के परिणामस्वरूप ही उसको (वादी को) क्षति पहुँची है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जब वादी इतना तो सिद्ध कर सकता है कि उसको दुर्घटनावश क्षति पहुँची है किन्तु वह यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं होता कि उसे प्रतिवादी की असावधानी के कारण क्षति पहुँची है, क्योंकि घटना की परिस्थितियाँ पूर्णतया प्रतिवादी को ही ज्ञात होती हैं और उनकी जानकारी वादी की पहुँच से परे होती है। ऐसी परिस्थिति में कानून का यह सिद्धान्त कि परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं (Res ipsa loquitur) लागू होता है और वादी को प्रतिवादी की असावधानी सिद्ध करने के भार से मुक्त कर दिया जाता है।

उपर्युक्त सिद्धान्त को सरलता से समझने के लिए बर्न प्रति बोडिल [(१८६३) २ एच० एण्ड० सी० ७२२] के मुकदमे का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मुकदमे की घटनाएं इस प्रकार हैं कि एक बार वादी एक सड़क पर जा रहा था। सड़क के किनारे एक मकान में प्रतिवादी का आटे का भण्डार था। इस भण्डार की एक खिड़की सड़क पर खुलती थी। जब वादी उस खिड़की के ठीक नीचे से होकर सड़क से गुजर रहा था तो आटे का एक बोरा खिड़की से निकल कर गिरा जिससे वादी को चोट पहुँची। इस मुकदमे में निर्णय दिया गया कि घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काम किया और इसी कारण यह दुर्घटना हुई, क्योंकि साधारणतया खिड़की से निकल कर आटे का बोरा सड़क पर तब तक नहीं गिर सकता जब तक अत्यन्त असावधानी से काम न किया गया हो। दुर्घटना स्वयं ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि असावधानी से काम किया गया है।

डा० अण्डरहिल (Dr Underhill) ने उपर्युक्त सिद्धान्त की विवेचना करते हुए कहा है कि जब कभी किसी काम की व्यवस्था प्रतिवादी या उसके सेवकों की पूर्ण देख रेख में होती है और दुर्घटना की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि यदि उचित सावधानी से काम किया जाए तो इस प्रकार की दुर्घटना साधारणतया

घटित नहीं हो सकती तो ऐसी परिस्थिति में कानून यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रतिवादी की असावधानी के कारण ही दुर्घटना हुई है और वादी को क्षति पहुँची है।

इस सिद्धान्त की उत्पत्ति-भूमि यह है कि यदि कथित परिस्थितियों में असावधानी सिद्ध करने का भार वादी पर डाला जाए तो वह वादी के लिये केवल दुरूह या कठिन ही न होगा, वरन् प्रायः असम्भव होगा क्योंकि जिन कार्यों की व्यवस्था पूर्णरूपेण प्रतिवादी की देख रेख में हुई है, व पूर्णतया उसके अधीन होती हैं और वहाँ तक प्रायः वादी की पहुँच नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कानून प्रतिवादी की असावधानी का अनुमान कर लेता है।

लेकिन यदि दुर्घटना इस प्रकार है जैसा कि साधारणतया हो जाती है तो उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा। उदाहरणार्थ, यदि आप अपने कार में बैठे हों और आपके पैर से जूता निकल कर सड़क पर गिर जाए और किसी राह चलने वाले को चोट पहुँचे तो यह नहीं कहा जायगा कि यह एक अस्वाभाविक घटना है, क्योंकि पैर से जूता निकल कर गिर जाना कोई अस्वाभाविक या असाधारण बात नहीं है। इस सम्बन्ध में विष्णु प्रति बड़ौदा सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनी (२५ बम्बई लॉ रिपोर्टर, ८८१) का मामला उल्लेखनीय है। एक बार एक व्यक्ति (वादी) एक रेल में यात्रा कर रहा था। इस यात्रा करते समय रेल की बर्थ (Berth) पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी (Ladder) लगी होती है, वह वादी पर गिर पड़ी। वादी ने प्रतिवादी (रेलवे कम्पनी) पर उक्त सिद्धान्त के आधार पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में निर्णय दिया गया कि इस मामले में उक्त सिद्धान्त (Res ipsa loquitur) लागू नहीं किया जा सकता।

प्रश्न १०३ —'ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)' से आप क्या समझते हैं? असावधानी सम्बन्धी मुकदमों में क्या यह बचाव की एक अच्छी दलील है?

उत्तर —ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)—कानून की तकनीकी भाषा में ईश्वरीय कृत्य का यह तात्पर्य नहीं है कि संसार के सभी काम व्यापार ईश्वरीय कृत्य हैं। कानून की भाषा में जब हम 'ईश्वरीय कृत्य' या 'ईश्वरीय प्रकोप' शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनसे आंधी, तूफान, भूकम्प, बिजली गिरना आदि ऐसी घटनाओं का तात्पर्य समझा जाता है जिनसे बचना या जिनको रोकना और जिन पर नियन्त्रण रखना मानव-शक्ति से परे है। ये सभी घटनाएँ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनमें होने वाली क्षति के लिए कोई व्यक्ति या संस्था उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती।

डा० अन्डरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God) वे घटनाएं अथवा कृत्य हैं जिनके परिणामों से मानवीय दूरदर्शिता द्वारा नहीं बचा जा सकता। ये ऐसी घटनाएँ अथवा कृत्य हैं जिनकी सम्भावना को मानवीय बुद्धि कभी भी मान्यता नहीं प्रदान कर सकती। इस कारण ईश्वरीय घटनाएं जब घटित होती हैं तो हम उनको आकस्मिक सकट कहते हैं और उनके द्वारा होने वाले परिणामों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

रतनलाल धीरजलाल का कथन है कि वे कृत्य जो कि प्राकृतिक शक्तियों के परिणामस्वरूप घटित होते हैं और जो मानवीय एव अन्य शक्तियों से पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं, ईश्वरीय कृत्य की कोटि में रखे जाते हैं, जैसे—आँधी, तूफान, असाधारण वर्षा, असाधारण ज्वार अथवा असाधारण पाला आदि।

क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में प्रतिवादी का अपने बचाव में यह कहना कि क्षति एक ईश्वरीय कृत्य द्वारा हुई है, एक अच्छी दलील मानी जाती है यदि प्रतिवादी अपने कथन को सिद्ध कर सके।

विनफील्ड (Winfield) ने इस सदर्भ में निकोलस प्रति मार्सलैंड का एक प्रसिद्ध मामला अपनी तत्सम्बन्धी पुस्तक में उद्धृत किया है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी की कुछ पानी की झीलें थीं। उनके बनाने में किसी प्रकार की असावधानी नहीं बरती गई थी और न उनकी देख रेख में किसी प्रकार की असावधानी बरती गई। लेकिन एक बार असाधारण वर्षा होने के कारण उन झीलों के चारों ओर के बाँध टूट गए और झीलों का पानी दूर तक फैल गया। इस प्रकार की असाधारण वर्षा पहले कभी नहीं हुई थी और न ही प्रत्याशित की जा सकती थी। झीलों का पानी फैलने से चार बड़ी नावें (Barges) बह गईं। नावों के स्वामी ने झीलों के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि पानी का इस प्रकार बढ़ कर बहना एक ईश्वरीय कृत्य था। अतएव झीलों का स्वामी नावों के स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रश्न १०४ —असावधानी के संदर्भ में अवश्यम्भावी दुर्घटनाओं (Inevitable Accidents) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—अवश्यम्भावी दुर्घटनाएँ (Inevitable Accidents) — असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में प्रतिवादी अपने बचाव में अवश्यम्भावी दुर्घटना की दलील दे सकता है। अवश्यम्भावी दुर्घटनाओं से तात्पर्य उन

दुर्घटनाओं से है जिनको कि साधारण सावधानी तथा विवेक द्वारा होने से बचाया न जा सके। उदाहरणार्थ, आप मोटर से जा रहे हैं और एकाएक जोर का तूफान आ जाने के कारण एक वृक्ष टूट कर आपकी मोटर पर गिर पड़ता है और आपकी मोटर टूट जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप वृक्ष के स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वृक्ष का गिरना एक अवश्यम्भावी दुर्घटना है। इस सम्बन्ध में रतनलाल धीरजलाल ने अवश्यम्भावी दुर्घटना की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवश्यम्भावी दुर्घटना से उस दुर्घटना का तात्पर्य है जिसको साधारण सावधानी, सतर्कता या दक्षता द्वारा घटित होने से न बचाया जा सके। डा० अन्डरहिल (Dr Underhill) ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अवश्यम्भावी दुर्घटना द्वारा होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

प्रश्न १०५ —'क' जिस गैलरी में बैठा फुटबाल का मैच देख रहा था, उस गैलरी का एक भाग गिर जाने से घायल हो जाता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए 'क' के अधिकार क्या हैं, यदि उसने—

(अ) भाड़ा देकर टिकट लिया हो,
(ब) केवल पास लिया हो तथा
(स) अनाधिकार प्रवेश किया हो?

उत्तर समस्याएँ —(अ) ऐसी परिस्थिति में 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि उसकी हैसियत निमन्त्रित (Invitee) व्यक्ति की है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भाड़ा लेकर निमन्त्रित करे तो वह स्थान के सुरक्षित होने का आश्वासन भी देगा और यदि निमन्त्रित व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

(ब) ऐसी परिस्थिति में 'क' की हैसियत केवल अनुज्ञा प्राप्त (Licensee) व्यक्ति की है। अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति स्थान को जैसी भी दशा में है वैसी ही दशा में उपभोग कर सकता है। यदि उसमें कोई जोखिम प्रत्यक्ष है तो उसे स्वयं देखना चाहिए और यदि अप्रत्याशित है तो उसे स्वयं सतर्कता बरतनी चाहिए। अतएव 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(स) कानून का यह सामान्य नियम है कि अनाधिकार प्रवेशकर्ता (Trespasser) के प्रति स्थान के स्वामी का कोई कर्तव्य नहीं है। अनाधिकार प्रवेशकर्ता जोखिम का स्वयं जिम्मेदार है। अतएव 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १०६—वादी एक चलती हुई ट्राम में चढने के प्रयत्न में गिर कर घायल हो गया। ट्राम का पायदान (Foot board) जिस पर होकर चढते हैं ढीला था और इसी कारण वादी का पैर फिसल गया था। क्या वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उत्तर समस्या —प्रस्तुत मामले की घटनाएं एक प्रमुख मामले हरराज प्रति बम्बई ट्रामवे कम्पनी (३८ बम्बई, ४७८) की घटनाएं हैं। इस मामले में यह निर्णय हुआ है कि वादी का यह तर्क कि ट्राम का पायदान ढीला होने के कारण ही वह गिरा और घायल हुआ नहीं माना जा सकता। यदि खड़ी ट्राम में सवार होते समय वादी गिर कर घायल हो गया होता तो ट्रामवे कम्पनी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होती। लेकिन चलती हुई गाड़ी में सवार होते समय वादी स्वयं आंशिक असावधानी (Contributory Negligence) का जिम्मेदार है। इसलिये वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १०७ —बच्चों की आंशिक असावधानी (Contributory negligence of Children) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर बच्चों की आंशिक असावधानी (Contributory negligence of childeren) —चूंकि बच्चे परिपक्व अवस्था के व्यक्तियों की तरह सोच नहीं सकते कि उनको विवादास्पद परिस्थिति में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए आंशिक असावधानी (Contributory Negligence) का सिद्धान्त उन पर लागू नहीं होता। लेकिन ऐसे मामलों में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि बच्चा परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था। सामण्ड (Salmond) का कथन है कि जब वादी एक बच्चा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसी की भांति अक्षमता (Incapacity) रखने वाला हो तो केवल इतना सिद्ध कर देना पर्याप्त है कि उसने उतनी सतर्कता बरती जितना कि उस अवस्था का व्यक्ति बरत सकता है।

उपयुक्त प्रकरण में लिंच प्रति नरडिन [(१८४१) १ क्यू० बी० ३०] का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएं इस प्रकार हैं कि एक बार प्रतिवादी ने अपना घोड़ा और गाड़ी को सड़क पर अकेले छोड़ दिया। उस समय उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक सात वर्षीय बालक उसमें चढ़ गया और एक दूसरे बालक ने घोड़े को चला दिया। परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति (वादी) उस घोड़ागाड़ी से जख्मी हो गया। मुकदमे में कहा गया कि प्रतिवादी (घोड़ागाड़ी का स्वामी) क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी है क्योंकि बच्चा आंशिक असावधानी का दोषी नहीं माना जा सकता।

प्रश्न १०८ —'क' शराब पिए हुए एक जनमार्ग के सिरे पर पड़ा था। 'ख' उस जनमार्ग पर मोटर चलाता हुआ आया और 'क' को कुचलता हुआ गुजर गया। जिस जगह 'क' पड़ा था, वह जगह सावधानी से देखने पर देखी जा सकती थी।

क्या 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में 'क' आंशिक असावधानी का जिम्मेदार है, इसलिए वह 'ख' से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन कानून सुधार (आंशिक असावधानी) अधिनियम, १९४५ [Law Reforms (Contributory Negligence) Act, 1945] के अन्तर्गत 'क' 'ख' से उतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जितनी असावधानी के लिए 'ख' उत्तरदायी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 'क' पूर्णतया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न १०९ —खतरनाक जानवरों को रखने के दायित्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर। खतरनाक जानवरों के रखने का दायित्व —यदि मानवीय अनुभव के कारण जानवरों का कोई वर्ग खतरनाक समझा जाता है, चाहे उस वर्ग का कोई जानवर विशेष पालतू हो, तो वह व्यक्ति जो उसे पालता व रखता है, उसके द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी माना जाता है। [फिल्सन प्रति च्यूफिल्स पैलस (१८९०) २५ एल० बी० डी० २५८] उदाहरणार्थ—शेर, चीता, भेड़िया, बन्दर और हाथी आदि जानवर जंगली और खतरनाक समझे जाते हैं। जो व्यक्ति इन जंगली जानवरों को पालता व रखता है, वह ऐसा अपनी जिम्मेदारी पर कर सकता है और यदि उनसे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में यह बात निरर्थक है कि ऐसे जानवरों का स्वामी उन्हें खतरनाक होना जानता है अथवा नहीं। जो जानवर आदमियों पर आक्रमण करने और उन्हें काटने के आदी होते हैं उनके मालिक इस ज्ञान के साथ ही उन्हें रख सकते हैं और वे उनके द्वारा हुई क्षति के उत्तरदायी माने जाते हैं।

उपयुक्त प्रकरण में प्रभातकुमार मुखर्जी प्रति हेरे, [(१९०९) ३६ कलकत्ता, १०२१] का मामला उद्धृत करना हितकर होगा। इस मामले की घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी के कुत्ते जो उसके नौकर की देख रेख में पलते थे, नौकर के कथन से आदमियों पर आक्रमण करने और उन्हें काटने के आदी थे। एक दिन वह नौकर उन कुत्तों को एक मनोरंजन की जगह पर ले गया। वादी का सातवर्षीय बालक कुत्तों को देख कर डर गया और डर के कारण चिल्ला पड़ा। परिणामस्वरूप कुत्ता

ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे बुरी तरह काट लिया। न्यायालय ने कुत्तों के स्वामी को वादी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया और ४०० रु० कष्ट का प्रतिकर और ६०० रु० इलाज के व्यय की धनराशि क्षतिपूर्ति में वादी को प्रदान की गई।

स्मरण रहे कि खतरनाक जानवरों को पालने का दायित्व सम्पूर्ण दायित्व (Absolute liability) नहीं है प्रत्युत वह असावधानी पर निर्भर करता है।

प्रश्न ११० —पुलिस के एक सिपाही ने देखा कि शाम के बाद भी प्रतिवादी के गोदाम के द्वार खुले हैं। अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उसने सोचा कि गोदाम के भीतर देख लें कि सब कुछ ठीक है। इस आशय से वह भीतर गया और गोदाम के एक गढे में गिर कर जख्मी हो गया। क्या वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ?

उत्तर समस्या —प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि सिपाही अपनी इच्छा से गोदाम में गया और उसे गोदाम में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास वहाँ जाने के लिए कोई अनुज्ञा-पत्र (Licence) नहीं था। यदि यह मान भी लिया जाए कि उसको भीतर जाने का अधिकार था तो भी प्रतिवादी पर गोदाम के भीतर का भाग सुरक्षित रखने का कोई कर्त्तव्य नहीं था। अतएव सिपाही क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १११ —विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्तियों (Persons professing to have greater skill) के लिए सावधानी का क्या मापदण्ड है ? व्याख्या कीजिये।

उत्तर विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्ति —यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जिसमें उनकी दक्षता एवं विशेष योग्यता ही व्यवसाय का आधार है तो ऐसे व्यक्तियों का अपने कार्यों में पूर्ण दक्षता एवं विशेष योग्यता का परिचय देना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है —

(१) कम्पनी के निदेशक (Directors of Companies) —कम्पनी के निदेशकों पर अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति का भारी विश्वास रखा जाता है। उनकी तनिक भी अयोग्यता इस सम्पत्ति को क्षणों में डुबा सकती है। अतएव कम्पनी के निदेशकों को अत्यधिक सावधानी से कार्य करके अपनी दक्षता एवं योग्यता का परिचय देना अनिवार्य है।

(२) वाहक (Carriers) —वाहक दो प्रकार के होते हैं—एक वे जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और दूसरे वे जो यात्रियों को

तथा उनके सामान दोनों को ले जाते हैं। जो व्यक्ति या संस्था वाहक का कार्य करती है, उसपर सामान तथा यात्रियों को उनके इच्छित स्थान तक सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व माना जाता है। इस प्रकार के सार्वजनिक वाहक (Public carriers) सामान तथा यात्रियों को क्षति पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी होते हैं किन्तु केवल उन परिस्थितियों में जबकि क्षति ईश्वरीय कृत्य द्वारा या राज्य के शत्रु द्वारा या वस्तु के स्वयं के दोष के कारण न हुई हो। विशिष्ट संविदा (Special Contract) के द्वारा वाहक का दायित्व कम भी किया जा सकता है।

(३) चिकित्सक (Doctors or Physicians) ऐसे विशेष योग्यता के व्यवसाय में काम करने वालों से उच्चतम दक्षता की आशा की जाती है।

(४) बैंकर्स (Bankers) —बैंक्स विश्वास योग्य व्यक्ति होने का दावा करते हैं और इस प्रकार जनता उनपर विश्वास एवं भरोसा करती है। अपने ग्राहकों की चेक का भुगतान करना तथा उनका हिसाब आदि रखना उनका कर्तव्य है। नकली चेक का भुगतान कर देने पर बैंक ही उत्तरदायी माना जाता है।

(५) सालिसिटर्स (Solicitors) —डाक्टरों की भांति ही सालिसिटर्स भी कठिन कर्तव्य का भार अपने ऊपर लेते हैं। वे अपनी असावधानी द्वारा किए गए उन सभी परिणामों के प्रति उत्तरदायी हैं जिनसे कि उनके मुवक्किलों (Clients) को क्षति पहुँचना है।

(६) सराय रक्षक (Inn keepers) सराय के अन्दर ठहरने वाले यात्रियों व उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना सराय रक्षकों का कानूनी कर्तव्य है। सराय के अन्दर यात्रियों व उनके सामान को यदि क्षति पहुँचती है तो आमतौर पर सराय-रक्षक ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।

इसके अतिरिक्त वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करनेवालों पर भी एक भारी उत्तरदायित्व रहता है। आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करने वाले तब ही उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं जब उन वस्तुओं का निर्माण करने में उन्होंने अत्यधिक असावधानी से काम किया हो। इस सम्बन्ध में ग्रांट प्रति आस्ट्रेलियन नाईटिंग मिल्स (१९३६ ए० सी० ८५) का मुकदमा उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि वादी ने बाजार से कुछ गर्म कपड़ा खरीदा। उसको पहनने से उसको चर्म रोग (Dermatitis) हो गया। उसने उस कपड़े को एक फुटकर व्यापारी से खरीदा था। कपड़े में सल्फाइट (Sulphites) की अधिकता के कारण ही वादी को चर्म रोग हुआ था। कपड़े के इस दोष को फुटकर विक्रेता नहीं

देख सकता था, क्योंकि वह एक गुप्त दोष था। कपड़ा उत्पादक (Manufacturer) ने उसको ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के पहने जाने के लिए बनाया था। इस मुकदमे में निर्णय वादी के पक्ष में दिया गया और प्रतिवादी को वादी की क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी माना गया।

प्रश्न ११२ —एक होटल के स्वामी ने अपने एक ग्राहक की रुपयों की थैली बिना किसी स्वार्थ के अमानत में रख ली। जब कि थैली होटल के स्वामी की सुपुर्दगी में थी उसकी असावधानी से गुम हो गई ग्राहक ने होटल के स्वामी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। होटल के स्वामी ने यह दलील दी कि थैली उसकी अमानत में बिना किसी बदल (Consideration) के रखी गई थी इसलिये वह उसके गुम हो जाने की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

क्या होटल के स्वामी की उपर्युक्त दलील न्यायसंगत है?

उत्तर समस्या —प्रस्तुत मामले में होटल के स्वामी की दलील न्याय संगत नहीं है। कानून यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी की वस्तु बिना बदल के अमानत में रखता है तो वह उस वस्तु के साथ गैरकानूनी ढंग से किए गए कृत्य (Misfeasance) के लिए उत्तरदायी है। इस संदर्भ में यह स्मरण रहे कि बिना बदल (Without consideration) किसी चीज को अमानत में रखने वाला भी बदल (Consideration) पाने वाले अमीन की तरह ही उत्तरदायी माना जाता है। प्रस्तुत मामले में थैली होटल के स्वामी की असावधानी के कारण गुम हुई है। अतएव होटल का स्वामी अपने क्षतिग्रस्त ग्राहक की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

१०

संविदा पर आधारित क्षतिकृत्य

(*TORTS FOUNDED ON CONTRACT*)

प्रश्न ११३ —संविदा से स्वतन्त्र (Independent of Contract) और संविदा पर आधारित (Founded on Contract) क्षतिकृत्यों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —संविदा से स्वतन्त्र और संविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों में अन्तर —संविदा सम्बन्धी क्षतिकृत्य दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो कि संविदा से स्वतन्त्र तथा दूसरे वे जो संविदा के आधार पर उदित होते हैं। इन दोनों प्रकार के क्षतिकृत्यों में अन्तर निम्नलिखित है —

संविदा से स्वतन्त्र क्षतिकृत्य	संविदा पर आधारित क्षतिकृत्य
१ वादी और प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार का कानूनी सम्बन्ध (privity) नहीं होता।	१ वादी और प्रतिवादी में संविदिक सम्बन्ध (Contractual privity) का होना अनिवार्य है।
२ इसमें कानून द्वारा निर्धारित कर्त्तव्य की अवहेलना होती है।	२ इसमें पक्षकारों के बीच समझौते के द्वारा निर्धारित कर्त्तव्य की अवहेलना होती है।
३ यह कर्त्तव्य बिना पक्षकारों की सहमति के कानून द्वारा आता है।	३ यह कर्त्तव्य पक्षकारों की सहमति पर आधारित होता है।
४ क्षतिपूर्ति की धनराशि अनिश्चित (Unliquidated) होती है	४ क्षतिपूर्ति की धनराशि आम तौर पर निश्चित (Liquidated) होती है।

प्रश्न ११४ —संविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उदय सामान्यतः किस प्रकार होता है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर —संविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उदय —संविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उदय दो प्रकार से हो सकता है—एक तो प्रतिवादी की असावधानी और दूसरे प्रतिवादी की धोखेबाजी (Fraud) से।

प्रतिवादी की असावधानी —यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य को करने में असावधानी से काय करे जिसको करने का उसने सविदा किया हो और इस प्रकार वादी को क्षति पहुँचाए तो कहा जायगा कि उसने सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य किया है। उदाहरणाथ, यदि एक डाक्टर ने किसी व्यक्ति के आपरेशन करने का सविदा किया हो किन्तु उसने आपरेशन करने मे असावधानी से काय किया हो जिससे रोगी को क्षति पहु ची हो तो वह सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य होगा जो डाक्टर की असावधानी से उदित हुआ माना जाएगा।

प्रतिवादी की धोखेबाजी —यदि दो व्यक्ति किसी काय के लिए परस्पर सविदा करें और उनमे से एक व्यक्ति धोखेबाजी करे तथा इस प्रकार दूसरे को क्षति पहु चे तो धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वादी को क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने का अधिकार है।

उपर्यु क्त दोनो प्रकार के क्षतिकृ यो के लिए वादी को अधिकार रहता है कि वह चाहे तो सविदा के भगीकरण (Breach of Contract) के आधार पर मुकदमा चलाए या क्षतिकृत्य कानून के अतगत मुकदमा चलाए।

— प्रश्न ११५ —सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य की कार्रवाई म क्षतिपूर्ति किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

उत्तर —क्षतिपूर्ति का निर्धारण—आम तौर पर सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य को कारवाई म क्षतिपूर्ति का निर्धारण उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार सविदा भगीकरण की कारवाई में किया जाता है। ऐसे मामलो में क्षतिपूर्ति का मापदण्ड (Measure of damage) वही होता है जोकि पक्षकारों ने सविदा के अ तर्गत निर्धारित किया है। इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों म क्षतिपूर्ति दण्ड अथवा उदाहरण के रूप म नही, वरन् प्रतिकर (Compensation) के रूप मे प्रदान की जाती है।

प्रश्न ११६ —सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों के लिए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) किन परिस्थितियों में पैदा होता है ?

उत्तर —वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) —निम्नलिखित परिस्थितियों में सविदा से स्वतत्र और सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों के लिए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent causes of action) पैदा होता है —

(१) ऐसे मामलों में जब कि यह सन्देहजनक हो कि संविदा किया गया है अथवा नहीं, अर्थात् वास्तविक रूप से तो संविदा न होने पर कानून के अन्तगत संविदा उपलक्षित (Implied) हो और एक ही कृत्य समान रूप से संविदा भंगीकरण (Breach of Contract) भी कहा जा सकता हो और क्षतिकृत्य भी माना जा सकता हो।

(२) जबकि एक व्यक्ति किन्हीं घटनाओं के अन्तगत दूसरे व्यक्ति पर क्षतिकृत्य के लिए मुकदमा चला सके और उन्हीं घटनाओं के अन्तगत किसी तीसरे व्यक्ति पर संविदा भंगीकरण के लिए मुकदमा चला सके। ऐसे मामलों में वादी एक होता है और वाद के दो समवर्ती कारण होते हैं।

(३) जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी कृत्य के लिए जो उसके प्रति क्षतिकृत्य हो तथा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति संविदा भंगीकरण हो, मुकदमा चला सके। ऐसे मामलों में प्रतिवादी एक होता है और उसके विरुद्ध वाद के दो समवर्ती कारण होते हैं।

११
व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य
(*TORTS RELATING TO BUSINESS*)

प्रश्न ११७ —व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर —व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन (False statement relating to business) —व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन प्रकाशित करने पर प्रकाशक के ऊपर उस प्रकाशन द्वारा व्यापार को पहुँची क्षति के लिये क्षतिपूर्ति करने का दायित्व आता है, भले ही वह प्रकाशन अपमानकारी न हो। मिथ्या संवाद (Disparagement) का प्रकाशन ही द्वेषपूर्ण भावना का परिचायक है। यदि वह किसी कानूनगत अधिकार से प्रकाशित हुआ है तो उसे प्रकाशित करने में द्वेषपूर्ण भावना का अनुमान नही किया जा सकता। यह बात स्मरणीय है कि यदि एक व्यापारी यह विज्ञापन प्रकाशित करता है कि उसकी वस्तुएं अन्य व्यापारियों की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं तो उसका यह कृत्य अभियोज्य (Actionable) नहीं होगा चाहे वह मिथ्या एवं द्वेषपूर्ण हो। [व्हाइट प्रति मिलिन (१८९५) ए० सी० १५४]

प्रश्न ११८ —व्यापारिक प्रतियोग्यता (Business competition) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर व्यापारिक प्रतियोग्यता (Business Competition) —प्रत्येक व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह व्यापार करे। यदि कानून द्वारा स्वीकृत व्यापार करने में वह अपने प्रतिद्वन्दी व्यापारियों के साथ होड़ लगाता है, उनके मूल्यों से कम मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचकर उन्हें बाजार से बाहर कर देता है तो उसका यह कृत्य कानूनी कृत्य कहलाएगा और इस प्रकार प्रतिद्वन्दियों को जो हानि पहुँचेगी, उसका उत्तरदायित्व होड़ लगाने वाले व्यापारी पर कतई न होगा। इसका कारण यह है कि उचित प्रतियोग्यता (Fair Competition) कानून द्वारा स्वीकृत है और ऐसी प्रतियोग्यता के परिणामस्वरूप किसी को हानि पहुँचे तो हानिकर्ता उस हानि को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात् उसका हानिकारक कृत्य (Harmful act) अभियोज्य (Actionable) नहीं होगा। किन्तु यदि

प्रतियोग्यता द्वारा किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को भंग किया जाए तब हानिकर्त्ता का कृत्य हानिकारक होने के साथ साथ क्षतिपूर्ण (Wrongful) भी माना जाएगा और वह प्रतियोग्यता अनुचित प्रतियोग्यता (Unfair competition) कही जायगी। ऐसी अनुचित प्रतियोग्यता कानून द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतएव ऐसी अनुचित प्रतियोग्यता करने वाले के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। एक सिद्धान्त के रूप में यह बात स्मरणीय है कि अनुचित प्रतियोग्यता एक सामाजिक व आर्थिक बुराई है किन्तु वह कानूनी बुराई तभी मानी जाती है जब उसके द्वारा किसी के कानूनी अधिकारों का अपावरण हो अथवा उसमें छल, कपट, क्षतिपूर्ण मिथ्या भाषण या मानहानि आदि के तत्व सम्मिलित हो जाए।

प्रश्न ११६ —क्या संविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना एक अभियोज्य क्षतिकृत्य है ? इस क्षतिकृत्य के तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर —संविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना —किसी व्यक्ति को संविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना एक व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य है और अभियोज्य (Actionable) है। इस क्षतिकृत्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) यह कि वादी तथा अन्य व्यक्ति के बीच एक कानूनी संविदा विद्यमान था,

(२) यह कि प्रतिवादी ने अन्य व्यक्ति को वादी से अपना संविदा भंग करने को प्रेरित किया, एवं

(३) यह कि इस प्रकार का कृत्य करने के लिए प्रतिवादी के पास कोई कानूनी औचित्य नहीं था।

इस संदर्भ में यह बात याद रखनी चाहिये कि वादी को इस प्रकार के मुकदमों में विशेष क्षति सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न १२० —व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्यों के संदर्भ में षड्यन्त्र (Conspiracy) की विवेचना कीजिए।

उत्तर व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य और षड्यन्त्र —व्यापार करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कानूनी अधिकार है कि वे मिलकर एक संघ बनाए या साझेदारी फर्म खोल लें और इस प्रकार मिले-जुले प्रयास से व्यापार करें। यदि इस प्रकार मिलकर व्यापार करने से किसी अन्य व्यापारी को क्षति पहुँचती है तो कोई व्यक्ति क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मिलकर किसी प्रकार ऐसा षड्यन्त्र रचने का अधिकार नहीं है, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यापार में क्षति पहुँचे।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल कर किसी गैर कानूनी कृत्य के करने के